हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30, अगस्त, 1978

खण्ड 2, अकं 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 30 अगस्त, 1978

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	(3)20
अतारांकित प्र न एवं उतर	(3)28
ध्यानाकर्शण सूचना	(3)29
व्यवस्था का प्र नः–	
अल्प सूचना प्र न सम्बन्धी	(3)30
ध्यानाकर्शण सूचना (पुनरारम्भ)	(3)31
व्यवस्था का प्र न	(3)35
ध्यानाकर्शध सूचना (पुनरारम्भ)	(3)38
सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निर्वाचन के लिए नाम वापिस लेना	(3)40
कार्य मन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन	(3)41
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)45
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)45
व्यवस्था का प्र न	(3)47

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 4) बिल, 1978	(3)49
दिप पंजाब एग्रीकल्चरण प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1978	(3)69
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1978	(3)71
दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1978	(3)76
दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैंबली (अलाउंसिज एंड पेन ान आफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1978	(3)80
दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमैंट) बिल, 1978	(3)99
दि हरियाणा विधान सभा प्रोसीडिंग्ज (प्रोटेक ान आफ पब्लिके ांन) बिल, 1978	(3)106
दि हरियाणा पब्लिक वक्फस (एक्सटैन ान आफ लिमिटे ान) बिल, 1978	(3)109
दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978	(3)112
राज्य में कानूनी स्थिति सम्बन्धी सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा वक्तव्य	(3)114

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 30 अगस्त, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टरऋ1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Question House. Sh. Har Swarup Bura.

The Hon. Member is not present. Next Question.

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, यह पहला सवाल बड़ा इम्पोर्टेट है अगर अपा इजाजत दे दें तो इसका जवाब आ जाए।

Mr. Speaker: Unless the Hon. Member has authorised any other Member to ask the question on his behalf, it cannot be allowed.

कई आवाजेः स्पीकर साह,ब यह बड़ा इम्पौर्टेट सवाल है, इसका जवाब जरूर आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की सैंस है और मिनिस्टर साहब को भी कोई एतराज नहीं है तो I have no objection.

Agriculture Minister (Brig. Ran Sigh): I have no objection either.

Mr. Speaker: Alright, the Hon. Minister may please give the answer.

Payment of Sugarcane Growers

***510. Chaudhri Harswarup Bura:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the date by which the price fixed for Sugarcane is to be paid by the Khandsari Mill Owners to the Sugarcane growers in the State?

कृशि मंत्री(ब्रिगेडियर रण सिंह): खांडसारी युनिटोकं के मालिकों द्वारा खरीदे गये गन्ने कू मूल्य का भुगतान गन्ना खरीदने के 14 दिन के अन्दर करना होता है।

—माननीय सदस्य चौधरी हरस्वरूप बूरा सदन में उपस्थित नहीं थे किन्तु सदन द्वारा आग्रह करने पर अध्यक्ष महोदय ने प्र न का उत्तर देने की अनुमति दे दी।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, किसानों को गन्ने में पीछे बडा भारी नुकसान हुआ है और लोगों को गन्ने को आग लगानाी पडी और इसी वजह से इस बार गन्ना कम है। क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अगले सीजन के लिये गन्ने की क्या कीमत रखी है?

ब्रिगेडियार रण सिहंः हालांकि इस सवाल का मेन सवाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी स्पीकर साहब की जजाजत से मै। इसका जवाब दे सकता हूं। पिछले साल हमने कोई 12 लाख टन गन्ना क ा किया था और इस साल 18 लाख टन क ा किया और फिर भी काफी गन्ना क ा होने से रह गया। इसका इलाज सरकार के पास नहीं है, यह सब की जिम्मेवारनी है। क्योकि भूगर मिलें जो है वे हरियाणा में जितना भी गन्ना पैदा होता है उसका 20 प्रति ात क ा करती हैं बाकी सब से बडी चील कोहलू है जो 60 प्रति ात गन्ना क ा करते है और मै देखता हूं कि कई इलाकों में कोहलू का इस्तेमाल होना बन्द हो गया हैं जैसे जगाधरी के इलाके में बन्द हो गया और रोहतक के इलाके में जहां पर कोहलू का अच्छा रिवाज था वहां भी बन्द हो गया है। फिर भी हम अ योर करते है कि दूसरों बनिस्बत (जैसे ंपजाब है ओर यू.पी.) इनसेहम अधिक कार्यवाही करेगें। कीमतों के बारे में फैसला करना अभी खसस जल्दी नहीं है, जब टाइम आयेगा सरकार खुद कार्यवाही करेगी।

श्री फतेह चन्द विजः जैसे मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 14 दिन के अन्दर–2 पेमैट करनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जहां एक एक और डेढ़–2 साल से पेमैंट नहीं हुई है। क्या उन लोगों को इन्ट्रैस्ट दिलवाने का सरकार का विचार है?

ब्रिगेडियर रण सिहंः अगर किसी किसान को 14 दिन के अन्दर पेमैंट नहीं हुई है तो मैं समझूंगा कि वह कसूर किसान का हैं । इस एक्ट के मुताबिक हमारा केन कमि ानर लाइसैंसिग अथोरिटी भी है। अगर उनके पास कोई ऐसी कम्पलेंट आएगी तो वह खांडसारी यूनिट को 14 दिन के अन्दर पेमैंट करने के लिये मजबूर कर सकता है। इसके अलावा उनके उपर जुर्माना भी हो सकता है और कैद भी।

सरदार सुखदेव सिंहः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जिसको 14 दिन के अन्दर–2 पेमैंट नहीं मिलती वह कम्पलेंट कर सकता है। क्या यह तरीका बदला नहीं जा सकता कि 14 दिन के बाद सरकार खुद एक ान लें?

ब्रिगेडियर रण सिहंः अगर खांडसारी युनिट वाले 14 दिन के अन्दर किसी को पेमैंट नहीं करते है तो कम्पलेंट तो किसान को ही करनी पडेगी, यह कानून में दिया हुआ है। जब किसान ि ाकायत करेगा तो हम उ से फौरन पैसा दिलवायेंगें।

चौधरी रिजक रामः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि इस साल भूगर मिलों ने चाहे वे कोआप्रेटिव भूगर मिल्ज है और चाहे प्राइवेट है, किसानों को पेमैंट नहीं की और इस संबंध में काफी भारी तादाद में कम्पलेंटस है। इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है?

Brig. Ran Singh: The answer to this supplementary can very appropriately be given by my colleague, the Co-operation Minister. However, I will say two things. We have to pay about Rs. 3.50 crores to the Kisans. For Rs. 1.50 crores arrangements have already been made by the Government. For the rest, a decision was taken in the last Cabinet meeting that all efforts would be made to arrange loans for our Cooperative Mills immediately and the arrears would be paid.

डाक्टर बृज मोहन गुप्ताः जैसे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 14 दिन के अन्दर पेमैंट करनी होती है लेकिन अम्बाला कैन्ट के पास गांव कामोडी में दो साल से कोई पेमैंट नहीं हुई। उसकी ि ाकायत बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब को भी की है और मैंने पार्टी मीटिंग में भी इस बात को रखा था लेकिन फिर भी अब तक पेमैंट नहीं हुई है। इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री अध्यक्षः अगर कोई पर्टिकुलर केस हो तो उसके बारे में आपको अलग से नोटिस में लाना चाहिये। फिर भी अगर मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहें तो कह सकते है।

कंवर राम पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, किसान का गन्ना जब बांउड होता है तो एक एग्रीमैंट किया जाता है। वह एग्रीमैंट या तो सोसाइटी के पास रह जाता है या भूगर मिल के पास और किसान को उसकी कोई कापी नहीं दी जाती। क्या सरकार ऐसा

प्रबन्ध करेगी कि किसान को भी उस एग्रीमैंट की एक कापी दी जाया करे?

बिग्रेडियर रण सिंहः यह बहुत अच्छा सुझाव है। आगे से हम एक कापी किसान को भी दे दिया करेगें।

चौधरी हरि चन्द हुड्डाः क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि इस वक्त हरियाणा मे किसान के पास सिर्फ दो ही कै ा क्रप्स है। एक कपास है और दूसरा गन्ना कमपास तो तकरीबन खत्म हो चुकी है और गन्ने की पिछले दो सालों से बुरी हालत है। अभी जैसे मंत्री महोदय ने बताया कि 14 दिन के अन्दर पेमैंट कर दी जाएगी मैं यह कहना चाहता हूं कि 14 दिन की बजाए उसी वक्त क्योकं नही कर दी जाती?

बिग्रेडियर रण सिंहः इस सवाल का जवब तो पहले ही दिया जा चुका है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः जैसे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 14 दिन के अन्दर पेमैट कर देगें। मैं यह जानना चाहता हं कि आज तक हरियाणा के भाुगर मिलों की तरफ 14 दिन से ज्यादा की पेमैंट कितनी बाकी है?

बिग्रेडियर रण सिंहः यह सवाल तो खांडसारी यूनिटों का है परन्तु भाूगर मिलों का मामला तो अलग है।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, यह जो सरस्वती भाूगर मिल है यह जमीदारों को परे ाान कर रहा है। न वह उनको पेमैंट कर रहा है और न ही किसानों का गन्ना ले रहा है। क्या सरकार इसके खिलाफ कोई कदम उठायेगी?

बिग्रेडियर रण सिंहः इसके बारे में काफी विचार हो चुका है ओर में यकीन दिलाता हूं और आपको मानना भी चाहिये कि यही एक मिल है जिसने जो गन्ना बौंड किया था उससे तीन लाख टन ज्यादा क ा किया है। अगर पेमैट के बारे में कोई कम्पलेंट है तो वह केन कमि ानर के पास की जाए और उसका फौरन इलाज किया जाएगा।

चौधरी देस राजः क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस साल जो खांडसारी मिल मालिकों ने गन्ना लिया है वह 3–4 रूपये क्विंटल के हिसाब से लिया है तो क्या उनके खिलाफ कोई पैनल्टी लगाई गई है?

बिग्रेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में मेरे पास सिर्फ दो कम्पलेंटस आई थी एक आपके एरिया से ओर दूसरी मेरे एरिया बेरी से। उसकी इन्कवायरी की गई और जिसके नाम से कम्पलेंट थी उसने बताया कि उनकी ठीक 8 रूपये के हिसाब से कीमतें मिल रही है। एक मामला तो ऐसा भी हूआ कि जिस आदमी ने कम्पलेंट की थी उसने इन्कार किया और कहा उसने कम्पलेंट नहीं कीथी और उन्हे ठीक पैसा मिला है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, अगर किसान बांउडिड गन्ना न दे सके तो उस पर पैनल्टी लगाई जाती है लेकिन अगर मिल वाले बौंडिड गन्ना न लें तो क्या उनपर भी कोई पैनल्टी लगाने की प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है ताकि किसान के नुक्सान की क्षति पूर्ति हो सकें?

बिग्रेडियर रण सिंहः सवाल आपका ठीक है, लेकिन आनरेबल मैंबर साहब को मालूम होना चाहिये कि पहले ही इसका प्रोवीजन है। स्पीकर साहब, आपको यह जानकर खु ाी होगी कि किसान ने जो गन्ना बौंड किया है अगर वह उसका 85 फीसदी से कम देता है तो जो कमी की मिकदार है, जितनी उसकी कीमत बैठती है, उसका 20 परसैन्ट पैनल्टी के रूप में किसान मिल को देगा। लेकिन अगर मिल जानबूझ कर किसान का गन्ना नहीं लेता तो न लिये जाने वाले गन्ने की मिकदार की कीमत जितनी बैठती है उसकी आधी कीमत किसान को मिल मालिक देगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, यहां पर कोहलू का जिक्र किया गया है। लेकिन मिल की तरफ से यह हिदायत है कि मिल के एरिया में कानूनी तौर पर कोहलू नहीं चल सकता। इन हालात में मिल के नजदीक कोई आदमी कोहलू नही लगा सकता। क्या मंत्री महोदय इस पाबन्दी को हटाने की कृपा करेगें ताकि किसान का बचा हुआ गन्ना कोहलू लगाकर पेला जा सके?

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री(चौधरी भजन लाल): आज से 5 साल पहले इस किस्म की पाबन्दी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। इस पाबन्दी को हटे हुयें 5 साल हो गये है। चाहे कोई मिल के एरियें में कोहलू लगाये , सरकार की तरफ से उन पर कोई पाबन्दी नहीं है, इजाजत मिली हुई है।

Mr. Speaker: This was a very satisfactory answer of this question. This was an assurance from the Government that there is no Pabandi whatsoever on Kohlus.

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत वजीर साहब से कहना चाहता हूं कि किसी भी रिजवर्ड एरिया में कोहलू नहीं चल सकता और अगर कोई चलाता है तो पुलिस उसका चालान करती है। इस केबारे में और जानकारी हासिल करके हाउस को बतानी चाहिये, लेकिन यह ठीक है कि रिजर्वड एरिया में कोई कोहलू नहीं चला सकता।

चौधरी भजन लाल: किसी किस्म की कोई पाबन्दी नहीं हैं आज से पांच साल पहले पाबन्दी हुआ करती थी, उसके बाद कोई पाबन्दी नहीं लगी। यह फैसला इसलिये किया गया था कि मिल सारा गन्ना नहीं उठा पाती थी। सारा गन्ना नर उठाने की वजह से किसान को नुकसान होता था। किसान के फायदे को देखते हुये यह पाबन्दी उठाई गई थी।

बिग्रेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। मैं अपने कुलीग से निवेदन

करूंगा कि इस साल भूगरकेन के बारे में बडे भारी क्राइसिज थे, मेरे ख्याल में अगले साल जो सिचुए ान आएगी उसमें और ज्यादा काइसिज पैदा होगा। इसकी एक वजह यह है कि हमारेपास भूगर केन स्टाक इतना ज्यादा है जिसका असर कीमतों पर जरूर पडेगा। अगर हम भूगर एक्सपोर्ट कर सके तो ठीक है, नहीं तो बुरा असर पडेगा। दूसरी वजह यह ळे कि भूगर डी कंट्रोल हो गई है और तीसरा कारण यह है कि हमारे कहने के बावजूद भी गन्ने का एरिया एक इंच कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है।। मिलें टोटल प्रोडक ान का 20–22 परसैंन्ट गन्ना पेलती है इसलिये खांडसारी युनिट्स और कोहलू का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा।

Declaration of Mewat area in Tehsil Palwal and Sub-Tehsil Pataudi Industrially Backward

***523. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether any decision has been taken by the Government to declare the area of Mewat, Thesil Palwal and Sub-Tehsil Pataudi in Gurgaon District as Industrially Backward; and

(b) if so, the time by which the afore said decision is likely to be implemented?

उद्योग मंत्री(डाक्टर मंगल सैन):

(क) नहीं।

(ख) इस समय प्र न नहीं उठता।

स्वामी आदित्य वे ा: अध्यक्ष महोदय, सब लोग अच्छी तरह से जानते है कि सारे हरियाणा में सब से ज्यादा पिछडा हुआ क्षेत्र मेवात है। वहां पर पर–कैंपिटा इन्कम 200 रूपये है जबकि बाकी हरियाणा की पर–कैंपिटा इन्कम 1200 रूपये हैं वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, हर तरु से यह क्षेत्र पिछडा हुआ हैं मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को औद्योगिक दृश्टि से पिछडा हुआ क्षेत्र क्यों घोशित नहीं किया गया?

डा0 मंगल सैन: मेरे माननीय सदस्य, स्वामी आदित्यवे ा जी, हाउस के बडे श्रद्धेय सदस्य है, वे भगवें कपड़े पहनते है। उन्होने प्र न में पूछा था–

"whether any decision has been taken by the Government" मैंने जवाब दिया था 'नहीं' निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन मामला विचारधीन जरूर है और मैं समझता हूं कि यह बडा बैकवर्ड क्षेत्र है, हम प्रयत्न कर रहे ं है कि इसको बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया जाये।

चौधरी राजेन्द सिंह: क्या मंत्री महोदय बातायेगें कि पिछडा क्षेत्र घोशित करने का क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या कंडी ांज है?

डा0 मंगल सैनः मेरे माननीय मित्र बल्लभगढ़ कांस्टीच्युएंसी को रिप्रेजेंट करते है और फरीदाबाद इंडस्ट्रीयल कम्लैक्स बीच में आता है जो हरियाणा का सबसे ज्यादा फारवर्ड एरिया है। अगर इसी एरिये को ही बैकवर्ड डिक्लेयर करवाने की कोि ा ा करेगें तो फिर बिसमिल्ला हो जाएगा।

कई सदस्यः बेकवर्ड डिक्लेयर करने का काइटेरिया पूछा है(व्यवधान) आप यह बतायें कि बैकवर्ड डिक्लेयर करने का काइटेरिया क्या है?

डा0 मंगल सैनः मैं इस बात पर भी आता हूं। सच बात तो यह है कि स्पीकर साहब, जब से हम सत्ता में आये है, हमने कोइ एरिया बैकवर्ड डिकलेयर नहीं किया। इससे पहले जो काइटेरिया था उसके बारे में मैंने अपने आफिसरों से पूछा थां पता चला कि पहले सत्ताधारियों ने इस पर पुलिटिकल माहौल बना रखा था.....(श्री कन्हैया लाल पोसवाल की तरफ से विघन) स्पीकर साहब, मेरे साथी को बडी तकलीफ हो रही है, सदाकत ज्यादा चुभती है(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो प्रकार से बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर हेाते है। एक स्टेट गवर्नमैंट करती हे और एक गवर्नमेंट आफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के नार्म्ज है लेकिन स्टेट गवर्नमैंट के नहीं है, अब बन रहे है और बहुत जल्दी बनाकर सदन में लाये जायेगें।

चौधरी गया लालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो किसी सवाल का जवाब तसल्ली बख्भा नहीं दे रहे। (व्यवधान) कोई एम.एल.ए. सवाल पूछे तो उनका जवाब देना चाहिये।

Mr. Speaker: I do not think that the Hon. Member canmake such observation.

Dr. Mangal Sein: This is a reflection.

श्री अध्यक्षः मेरे ख्याल में मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, बहुत सपश्ट तौर पर दिया है। (व्यवधान) आपने सवाल पूछना हो तो पूछ लें।

चौधरी गया लालः मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार जिस एरियें को पिछडा हुआ घोशित करती है वह सोच विचार कर करती है। यह देखा जाता होगा कि कौन से जिले का कौन सा एरिया पिछडा हुआ है, किस जिले की स्थिति कमजोर है, क्या इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है?

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय ने बताया है कि पहले की सरकार कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही थी और यह सरकार उसका काइटेरिया बना रही है।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, कल हमारे मंत्री जी ने इसी सदन में श्री बलदेव तायल के सवाल के जवाब में बताया था कि केन्द्रीय सरकार सिरसा को बेकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर रही है, लेकिन आज इसी सदन में मन्त्री महोदय कह रहे है कि

क्राइटेरिया कोई नही है। क्या यह पिछली सरकार की तरह पुलिटिकल डिसीजन नहीं है?

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे माननीय सदस्य स्वामी अगिनवे ा जी कनफयूज कर गये और खुद कनफयूज हो गये, इसका स्पश्टीकरण करनाचाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट जहां बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करती थी वह पुलिटिकल तौर पर होता था, क्योंकि इसके लिये अभी नार्म्ज नहीं है। गवर्नमैट आफ इंडिया के प्लानिंग कमी ान के नार्म्ज बने है और डिस्ट्रिक्ट सिरसा को, गवर्नमैंट आफ इंडिया ने अपने नार्म्ज के मुताबिक बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिये रिकमेंड किया है।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, इन्डस्ट्रीज का जयादातर बेस छिल्ली के नजदीक बनता हैं लोग दिल्लीरहना चाहते है और वहीं इंडस्ट्रीज लगाना चाहते है। राजस्थान में एक भंवाडी ब्लाक है जो घारूहेडा ब्लाक के साथ लगता है और उसको सहुलियतें दी है। उसी के साथ मेवात का एरिया लगता है, क्या सरकार वहां के लिये भी कंसीड्रे ान कर रही है या नहीं?

डा0 मंगल सैनः मेरे लायक दोस्त बहुत देर मंत्री रहे है। मैं स्वीकार करता हूं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया के नार्म्ज थे, घपला तो स्टेट गवर्नमैंट ने किया था। यह जो राजस्थान की बात करते है इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनके

पडोस में स्थित धारूहेडा को हमने इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिकलेयर कर रखा है (ाोर)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः अध्यक्ष, महोदय मेरे प्र न का पूरा जवाब नहीं आया। (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, हमारी सबम्रि ान यह है कि इसके उपर डिसक ान होनी चाहिये(विघन)।

Reservation to Admission for Harijans in the Haryana Agriculture University, Hissar.

***561 Chaudhri Peer Chand:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether it is a fact that reservation quota to admission for Harijans in the Haryana agriculture University, Hissar has been reduced from 20 percent to 18 percent; and

(b) if so, the reasons therefor?

कृशि मंत्री(ब्रिगेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि 1971–72 में हरिजन भाइयों की रिजर्वे ान 20 से 18 परसैंट कर दी गई थी। इसके बारे में हमने यूनिवर्सिटी से पूछताछकी थी लेकिन उनके पास कोई खास जवाब नही है।

चौधरी पीरचन्दः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि इसकी वजहसे सन 1971–72 से लेकर आज तक जो हरिजनों को लौस

हुआ है उसे आयंदा पूरा किया जायेगा और इस परसैंटेज को फिर से 20 करवा दिया जायेगा?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, मैं इस सदन को अ योंरैन्स देना चाहता हूं कि सरकार अगले ही सै ान से इस रिजवे ान को, स्टेट की पालिसी के मुताबिक ही 20 परसैंन्ट कर देगी।(प्र ांसा)

इसके अलावा मैं आनरेबल मैंबर्ज से कहना चाहता हूं कि भाुक है कि इसकी वजह से अब तक कोई नुकसान नही हुआ क्योंकि जितने हरिजन बच्चों ने दाखिले के लिये वहां एप्लाई किया उनमें से पांच परसैन्ट ग्रेस मार्कस देकर जो ऐलिजिबल बने उन सबको दाखिला मिला लेकिन फिर भी कुछ सीअें बच गई जो कि ओपन कोटे को देनी पडी। परन्तु इस दफा जो कम्पाउंडर्ज औरस्टाक असिस्टैन्टस का कोर्स है उसमें 75 बच्चे पढ़ते है उसमें हरिजन भाइयों को 14 सीटें मिली है जबकि उनका हक 15 बनता हैं । यह एक सीट का घाटा भी अगले साल पूरा कर देगें। (प्र ांसा)

श्री जगननाथः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि जिन लोगों ने विधान के विरूद्ध इस रिजर्वे ान को 20 परसैंट से घटा कर 18 परसैन्ट किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगें?

श्री अध्यक्षः जहां तक मुझे पजा है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज औटोनोमस बौडिज होती हे

जिके उपर सरकार का बहुत कम कंट्रोल होता है ंफिर भी अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो बे ाक दे दे वरना औटोनौमस बौडीज के बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाने के हक में मैं नहीं हूं।

ब्रिगेडियर रण सिंहः मैं अनरेबल मैंबर्ज को इतना ही अ योर करूंगा कि यह डिसिजन ऐकेडैमिक कौंसल ने किया था लेकिन इसेहम अपने ढंग से ठीक कर देगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः अध्यक्ष महोदय, स्टेट में बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस रिजर्वे ान को जात पात के बेसिज की बजाय इकनौमिक बेसिज पर किया जाएगा?

ब्रिगेडियर रण सिंहः मेन क्वै चन से इस सवाल का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, यूनिवर्सिटीज में रिजर्वे ान के अलावा कुछ अप्वायंटमैंन्टस होती है, कुछ प्रमो ांज होती है, डीमो ान्ज होती है और ससपैन ांज आदि होती है। इनमें भी किसी रूल और रैगुले ान का ध्यान नहीं रखा जाता। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूंकि वहां वाइस चांसलर की अप्वायंटमैंट ठीक तरह से नहीं हुई। क्या मंत्री जी बतायेगे कि इस पौस्ट के लियेकितनी दरख्वासतें आई थी? (विघन)

ब्रिगेडियर रण सिंहः इस सप्लीमैंटरी का सवाल से कोई ताल्लूक नहीं है।

Mr. Speaker: I agree with the Hon. Minister that this supplementary has got nothing to do with the question regarding reservation for scheduled castes in admissioin.

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, सैकिन्ड पार्ट का हो सकता है मेन क्वे चन से ताल्लूक न हो लेकिन फर्स्ट पार्ट तो इससे सम्बन्धित है। (विघन)

श्री अध्यक्षः अगर आपको यह सवाल पूछना है तो आप इसके लिये अलग नोटिस दीजिये।(विघन)

चौधरी गंगा रामः अध्यक्ष महोदय इस साल हरियाणा सरकार बैकवर्ड क्लासिज की रिजर्वे ान 2 परसैंट से बढा कर पांच परसैंट करने का एलान कर चुकी है लेकिन अब तक जितनी ऐडमि ान्ज हुई वे पुराने नियम के अनुसार ही हुई क्योंकि सरकार की तरफ से जारी किया गया नोटिफिके ान किसी कालेज या संस्थान में नहीं पहुंचा था। इसकी वजह से बेकवर्ड क्लासिज को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहूंगा कि यह इत्तलाह कब तक ऐजुके ानल इंस्टीचयूं ांज में चली जाएगी?

ब्रिगेडियर रण सिंहः इस सप्लीमैंटरी का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री जय नारायणः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान ऐडमि ान के मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैकवर्ड क्लासिज और लैंडलैस लेबरर्ज के लिये पन्द्रह परसैन्ट का रिजर्वे ान था। क्या मंत्री जी बतायेगें कि लैंडलैस लेबरर्ज और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिये यह ऐडमि ान की रिजर्वे ान ऐन् ायोर की गई?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, इस सप्लीमैंटरी का भी मेन क्वै चन से कोई ताललुक नहीं है।

श्री अध्यक्षः अगर इसके लिये आप अलग नोटिस देगें तो इसका जवाब आ जायेगा।

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, गवर्नमैंट की दूसरी नोटिफिके न के मुताबिक दूसरी जगहों में बैकवर्ड क्लासिज के लिये पांच परसैंन्ट की रिजर्वे ान हैं क्या यहां भी दो परसैंन्ट से बढाकर पाचं परसैन्ट करने की तजवीज पर सरकार गौर फरमायेगी?

ब्रिगेडियर रण सिंहः यह सवाल मैं चौधरी खुर ाीद अहमद से ऐक्सपैक्ट नहीं करता था।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत आनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड जातियां है या हरिजन जातियों हे उनमें भी गिरे हुये जो लोग है क्या उनके लिये भी यहां कोई जगह है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Rings Dams in the State

***554. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minsiter for Irrigation and Power be pleased to state whether the Government have received any complaints to the effect that the ring dams constructed in the State have created difficulties/hurdles to the bullock carts traffic, if so, the steps taken to remove the same?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री वीरेन्द्र सिंह): अभी तक कोई ि ाकायत प्राप्त नहीं हुई है।

चौधरी संत कंवरः क्या सरकार इन रिग बान्धों को पक्का बनाने का विचार कर रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः पक्का किस सैंस में?

चौधरी संत कंवरः पर्मानैंटली पक्का। (विघ्न) मंत्री जी पता नहीं इग्लैंड से आये है या कंहा से आए है जो ये पक्के का अर्थ भी नहीं समझते। (विघन) पक्का ईंट और सीमेंट से होता है। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंहः मंत्री भी उसी तरह गांव के रहने वाले है जैसे माननीय सदस्य है। पक्का की तफसील बहुत लम्बी है। खैर उसे में इन्हे फिर समझा दूं कि फिलहाल इन बान्धों को ईंट और सीमेंट से पक्का बनाने की कोई तजवीज नहीं है।

चौधरी हरिचन्द हुड्डाः स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर महोदय ने देहातें में खडे होकर यह कहा था कि जो यह बान्ध बनायें जायेगें उन पर बकायदा चारों तरफ फूल लगायें जायेगें और उसके चारों तरफ ऐसे अड्डे बना दिये जायेगें ताकि उन पर वजन उतार सकें लेकिन आज वहां कीकर की ककरोली के सिवाये कुछ नहीं पहुंचा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां पर इन चीजों का कब तक प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ भी फरमाया था ठीक ही फरमाया था। इसी साल ये रिंग बान्ध बनाये गये है। इनके बनने के बाद बरसात भाुरू हो गई। इन बान्धों को बहुत सुन्दर ढंग से बनाया जाएगा। अभी तक टाईम नहीं मिला है । हरेक रिंग बान्ध को बहुत सुन्दर ओर खुबसूरत ढंग से तैयार किया जाना है और आर्किटेक्ट की भी मदद ली जायेगी ताकि उस गांव को बाहर से देखने में सुन्दर और अच्छा लगे।

चौधरी जगजी सिंह पोहलूः स्पीकर साहब मेरे हल्के के गांव सोलहा में सरकार ने रिंग बान्ध बनाया था। परन्तु आज वह टूट गया और वह गांव पानी में डूबा हुआ है मेरे हल्के के आज भी 16 गांव पानी में डूबे हुये है। गरीब हरिजनों और बैकवर्ड लोगों के घर पानी में डूबे हूये है। कुछ गिर चुके है और कुछ

गिरने के करीब हैं । क्या वजीर साहब वहां पर इन्कवायरी करा के उन अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करेगें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः कोई ि ाकायत आयी तो इन्कवायरी करवायी जायेगी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में इस साल एक भी मैरून्ड विलेज नहीं है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मैने ि ाकायत तो कर दी।

श्री अध्यक्षः कोई पर्टिकुलर कम्पलैंट है तो आप मंत्री जी को बताइयें।

चौधरी गंगा रामः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि इस साल जो हरियाण्उाा में रिंग बान्ध बनाये गये है वहां पर जंगलात के महकमें ने पहले कीकर लगानी भाुरू कर दी है इसलिये वहां सांप, कीडे और चोर ही पला करेगें। सरकार की कोई ऐसी तजवीज है कि इन रिंग बान्धों पर सफेदे और भाी ाम के दरखत लगायें जाये जिससे गांवों के लोग छायामें बैठ सकें और वे काम में भी आ सकें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, वहां पर पहाडी कीकर नहीं लगाने दी जायेगी अगर ऐसी बात है तो हिदायत जारी कर दी जायेगी कि ऐसे दरखत न लगाये जाये।

चौधरी संत कंवरः क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगें कि हरियाणा मे जितने गांवों में रिंग बान्धों की जरूरत है उन तमाम गांवों में रिंग बान्ध बना दिये गये है या नहीं, अगर नहीं तो कब तक बना दिये जायेगैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः 80 परसैन्ट गांवों में बानध बना दिये गये है अगर जरूरत महसूस हुई तो बाकी 20 परसैन्ट गांवों में भी बान्ध बना दिये जायेगें।

श्री भले रामः अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि बान्धों को पक्का नहीं कर रहे है लेकिन ऐसा न करने से बान्ध से गांव तक का जो आम रास्ता है वहां पर पानी भर जाता है। तो क्या सरकार बान्ध से लेकर गांव तक पक्का रास्ता बनवायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जो मैरून्ड गांव थे उनके बारे में पिछली बार सरकार ने फैसला किया था कि वहां पर पक्की सडकें प्रोवाइड की जायेगी।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडियाः क्या मंत्री महोदय बतायेगैं कि जिन गांवों में साहबी नदी का पानी आता है वे रिंग बान्ध बनवाने के हक में नही है इसलिये क्या पावटी, दानोली प्राणपुरा और कि ानपुरा आदि गांवों में राजस्थान की तरह से पत्थर के बान्ध बनाने पर विचार किया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः किसी वि ोश इलाके की वि ोश मांग है तो उसको एग्जामिन कर लेगें मेरे से बहन जी मिल लें, हम एग्जामिन करवा लेगें।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, पिछले साल सरकार ने बान्ध लगाने आरम्भ किये थे ओर अभी तक वहां पर काम चालू है। बहुत से देहात रोहतक जिले के और गोहाना तहसील के जो वैस्टर्न ट्रेक के गांव है, वहां पर पानी का लैवल बहुत उंचा हो गया है जिसके कारण इन बान्धों से आबादी के साथ–साथ पानी जमा हो गया है उस जमीन में ऐबजौर्प ज्ञन कैपसिटी नहीं है, घरों के गिरने का खतरा है। वाटर लोगिंग घरों तक पहुंच गई है। इस कारण से लोग बडे परे ाान हैं।क्या मंत्री महोदय ने इस प्रोग्राम के चलाने से पहले ऐसी तजवीज रखी है कि जो बान्ध लगे है उनसे असल नुकसान कितना हुआ है और फायदा कितना हुआ है, क्या उसकी जानकारी हासिल करेगें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह जानकारी पहले ही हाहिसल की गई थी और रिंग बान्ध जितने भी बने है वे फायदेमन्द साबित हुये हैं आबादी को बचााने के लिये यह प्रबन्ध किया गया हैं अगर कहीं गांव से बाहर पानी ज्यादा दिनों तक खडा है तो पम्पिंग सैटस से छोटी रिंग ड्रेन से निकाल देते है, इस बात का ध्यान रखा गया है।

स्वामी अग्निवे ा: जहां पर ये रिंग बान्ध बान्धे गये है वहां पर जो गांव की फिरनी होती हैं या सडक होती है उसको तोडा गया है। अब सडक का लैवल नीचा हो गया है ओर रिंग बान्ध का उंचा हो गया हैं इन रिंग बान्धों को अभी तक पूरा भी नही किया गया हैं। गांवों के लोगों को काफी असुविधा हो रही हैं उसके पीछे पानी इक्ट्ठा हो जाता हैं मेरे हल्के में हावडी गांव है, उसमें तीन मील तक एक समुन्द्र सा बन गया है।, झील बन गई है जिसके कारण हजारों एकड भूमि पानी में आ गई और फसल नश्ट हो गई है। पानी निकालने के लिये ड्रेन तैयार नहीं है। रिंग बांध के साथ–साथ ड्रेन भी तैयार होनी चाहिये थीं गांव के लोगों की फसल नश्ट हो गई है।, सडक नश्ट हो गई है। इस प्रकार के नुकसान से बचाने के लिये क्या सरकार कोई उपाय सोच रही है?

श्री वीरेनद्र सिंह: मेरे को बंडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि वे गांव में गये ही नहीं है। उन्होने किसी गांव का रिंग बान्ध देखा ही नहीं है। वे दिल्ली ही धूमते रहे। हमने रैम्प प्रोवाइड किये हैं। बाकायदा हर बान्ध के साथ सडक का प्रबन्ध किया जायेगा। इन रिंग बान्धों की तसह से आज हरियाणा का एक भी गांव मैंरूड नहीं है।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा है कि ये किसी भी गांव में नही गये। इन्होने सारा समय सूरजकुंड में गुजारा है और मैंबरों पर मिनिस्टर साहब आक्षेप लगा रहे है। कि वे गांव में नहीं गये। अगर गांवों की असैसमेंट करें तो आप

पाएंगें कि वे इन बान्धों की वजह से दुखी है। आबादी के साथ–2 पानी भरा हुआ है। उन बान्धों की वजह से पानी को बाहर निकाल नहीं सकते और न ही कोई दूसरा इन्तजाम कर सकते है लेकिन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गांवों को कोई खतरा नहीं है और सब ठीक है, बिल्कुल ठीक बान्ध लगाये है। आप सारा सर्वे करवा लें और असैसमेंटं करवा लें फिर आपकों असल बात का पता चल जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल है या ये भाशण दे रहे है।

चौधरी रिजक रामः मैं भाशण नही दे रहा हूं। मैं सवाल ही कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर फायदा है..... .....।

चौधरी संत कंवरः अगर ये बांध न बांधे जाते तो हमारा बहुत नुकसान होता।

चौधरी रिजक रामः आप और जयादा खु ाामद कर लें, मुझे उसमे कोई एतराज नहीं है।(विधन) स्पीकर साहब संत कंवर जी बीच में बोल पडते है इसलिये मैं सवाल ही नहीं पूछ पाता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिहंः स्पीकर साहब, यह पूछ क्या रहे है?

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिये।

चौधरी रिंजक रामः स्पीकर साहब मैनें अभीमंत्री महोदय से एक सवाल यह पूछा था कि जो रिंग बान्ध बनाये गये है, इनसे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। क्या वे इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराने की कृपा करेगें? उन्होने इसका जवाब यह दिया है कि रिंग बान्ध जो बने है, वह बिल्कुल ठीक बने है। मैं आपके द्वारा सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरा सवाल तो यही है किजो रिंग बान्ध लगायें हैं, कंहा पर उनका फायदा है और कहां पर उनका नुकसान है? इस बारे में और कार्यवाही करने से पहले क्या आप सर्वे करवायेगें कि इसका फायदा है या नहीं है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर्वे पहले करवा लिया गया हैं दोबारा सर्वे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन लोगों को तकलीफ है, वे गांव वाले लोग मेरे पास आये थे। उनकी हमारेपास दरखास्तें है, उनकी दरखास्तों के मुताबिक रिग बान्ध बनाये गये हैं अगर चौधरी साहब के पास कोई गांव वाले लोगों ने पहुंचकर उन्हे अपनी तकलीफ बतायी है तो वे हमें बता दें, हम उसको भी एग्जामिन करवा लेंगें।

मास्टर ि ाव प्रसादः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगें कि अम्बाला इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक बान्ध सरकार ने लगाया था, वह टूट गया हे , इसका क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उसके बारे में मेरे पास अब तक तो कोई ि ाकायत नहीं आई अगर आयेगी तो बता देगें।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब,आप समय तो दे नहीं रहे । मैं ऐसे ही कह देता हूं कि बागवाली का बान्ध जो टूट गया है, वह कब तक बनेगा? (हंसी एवं भाोर)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मास्टर ि ाव प्रसादः मैं स्पीकर साहब, आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात इनके नोटिस में है कि अम्बाला इंडस्ट्रियल एरिया का बान्ध टूट गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः फिलहाल तो मेरे नोटिस में नही है।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप मेरे को जितना समय देगें मैं उतना ही लूंगा उससे ज्यादा नहीं लूंगा। मैं गरीब की मदद करता हूं, यह ईमानदारी की बात है। मुझे गरीब की हर बात का पता है क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में जाता रहता हूं।

श्री अध्यक्षः चौधरी लाल सिंह जी, मेरे पास रिकार्ड है, आपको सबसे ज्यादा गरीबों का पता है।

चौधरी लाल सिंहः थैंक यू।

श्री अध्यक्षः अब आप सवाल पूछिये।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जहां हरियाणा की सरकार ने तमाम गांवों को रिंग बान्ध बांध कर बचा लिया है, उसी तरह से अमबाला जिला में तहसील नारायणगढ़ और कालका यह दोनों कांस्टीच्युऐंसीज ऐसी है जहां से सारी नदियां निकलती है। जब यहां पर गांव बिलकुल पानी मे ंचले जाते है तो महकमै वाले वहां पर पतथर का बान्ध बना देते है, क्या सरकार उन गांवों में जो इस वक्त डूब गये है या बह गये है, इसी साल बान्ध बनवा देगी?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का इससे कोइ संबंध नहीं हैं यह सवाल तो रिंग बान्ध के बारे में हैं आप नोटिस दीजिये । यह एकबात बहुत अच्छा सवाल हैं कृपया नोटिस दीजियें, इसका जरूर जवाब दिया जायेगा।

Octroi duty on Salt

***564. Shri Mange Ram Gupta:** Will the minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether it is a fact that octroi duty on salt is being charged by the Municipal Committees of Jind and Julana even after it has been exempted as stated by Government in reply to Starred Question No. 345; and

(b) if so, thereasons therefor?

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): अधिसूचित क्षेत्र समिति जूलाना नमक पर आक्ट्राय चाज्र की जा रही है किन्तु नगरपालिका जींदमें चार्ज नहीं किया जा रहा।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरा पिछले सै ान में क्वै चन नम्बर 345 था कि इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि भारत सरकार ने नमक पर किसी किस्म का कर नहीं लगाया है, जीन्द की म्युनिस्पिल कमेटी क्यों नमक पर आक्ट्राय चार्ज कर रही हैं तो उस वक्त आदरणीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि अब तक तो यह रूल है कि चार्ज किया जाता रहा है लेकिन अब हम हिदायत कर देगें कि न किय जाये। एक तरह जुलाना नोटिफाइड एरिया कमेटी में हैं मैं समझता हूं कि उन्होने मेरे क्वै चन का जवाब दिया था, उसके मद्देनजर किसी भी जगह नमक पर आक्ट्राय नहीं लेना चाहिये था। मेरा यह विचार है कि यहां पर भी और जुलाना में भी अगर नमक पर आक्ट्राय बन्द कर दिया जाये तो अच्छा होगा। जीन्द स्टेट के बारे में एक पुराना कानून है जिसके तहत चाहे कोई भी नोटिफाइड एरिया कमेटी हे या म्युनिसिपलीटी है वह नमक पर आक्ट्राय वसूल रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सब जगह नमक पर आक्ट्राय बन्द करने पर सरकार विचार क्यों नहीं करती है?

चोधरी राम लाल वधवा: मेरे पास क्वै चन नं0 345 है जिसका इनहोने जिक्र किया है। उस वक्त इनहोने यह सवाल किया था कि जीन्द सिटी में यह आक्ट्राय वसूल किया जा रहा है,

क्या यह हकीकत है? तब जीन्द सिअी की बात हुई थी तो सरकार ने 20–2–78 को जीन्द म्यूनिस्पैलिटी के बारे में नोटिफीके ान इ ा कर दिया कि वहां पर यह वसूल न किया जाये। अब इनहोने यह बताया है कि जुलाना में वसूल किया जा रहा हैं वैसे मैं आपकों यह बता दूं कि मैं ने फील्ड से इन्फर्मे ान मंगवायी है कि यह आक्ट्राय नमक पर कहां–2 वसूल किया जा रहा हैं मै आपकों वि वास दिलाता हूं कि यह सब जगह बन्द करवा देगे।

Sugar Flowed with the Mollasses

***646. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Co-operation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that fifty thousand quintals of Sugar in the Sooperative Sugar Mill, Karnal flowed with the mollasses during the year 1977-78; and

(b) if so, the action taken by the Government in the matter?

सहकारिता एवं डेरी विकास मंत्री(चोधरी भजन लाल):

(क) भीरे के साथ कुछ चीनी की मात्रा बही है और सही मात्रा का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ख) वर्श 1977–78 के गन्ना पेलने के मौसम में करनाल सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष द्वारा भीरे के साथ बही असली चीनी की मात्रा ज्ञात करने हेतू जांच आदे ा जारी कर

दिये गये है। त्रुटियां दूर करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही हैं।

चौधरी ि िव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि जांच कौन अधिकारी कर रहा है और कब तक इस जाचं के परिणाम सामने आ जायगें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें टेक्नीकल आदमी जांच के लिये चाहिये। हमने कानपुर से टेक्नीकल आदमी लेने के लिये एक चिट्ठी लिखी है क्योंकि इसकी जांच टैक्नीकल आदमी ही कर सकता है। इसमें जो आ0सी0एम0 है, वह भी इस जांच में उस टैक्नीकल आदमी का साथ देगें। उससे जानकारी हासिल करके जिस अधिकारी को भी वह टैक्नीकल आदमी कसूरवार ठहरायेगा उसके खिलॉफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

कंवर रामपाल सिंहः क्यामंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बात उनकी जानकारी में है कि जो एम0डी0 वहां से अब ट्रांसफर हो गया है, उसने जाने से दो महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी कि 30 हजार क्विंटल चीनी भीरे के अन्दर चली गई है, क्या यह बात उनके नोटिस में है?

चौधरी भजन लालः 30 हजार क्विंटल चीनी भीरे में जाने की बात तो मेरी समझ में नही आई कि इतनी चीनी भीरे में चली कैसे गई लेकिन चीनी गई जरूर है। हम इसकी जांच करेगें।

चोधरी देस राजः मेरी कांस्टीच्युऐंसी में गन्ना बहुत पैदा होता हैं 50 प्रति ात चीनी मेरी इत्तलाह के मुताबिक इस के भीरे में चली गई हैं क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि वहां पर कुल कितनी चीनी पैदा हुई, कितना भीरा बना और कितना केन पीडा गया?

चौधरी भजन लालः जहां तक गन्ना पेलने का ताल्लूक है इस मिल को 18 लाख 40 हजार क्विंटल गन्ना बांड किया ओरउसने 17 लाख 20 हजार टन गन्ना पेला। जहां तक भीरे में चीनी जाने का ताल्लुक है , एवरेज 4 प्रति ात चीनी जानी चाहिये लेकिन इसमे 5.95 परसैंट चीनी गई है जो कि बहुत ज्यादा है इसकी हम इन्कवायरी करवा रहे है।

चौधरी देस राजः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब रह गया हैं यह तो इन्होने बता दिया कि गन्ना कितना पेला लेकिन वहां पर चीनी कितनी पैदा हुई और कितना भीरा पैदा हुआ, इसके बारे में तो इन्होने बताया ही नही?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैने आपको अभी बताया हे कि वहां पर 17 लाख 20 हजार क्विंटल गन्ना पेला गया है। जहां तक चीनी कितनी बनी और भीरा कितना बना, इस बात कासवाल है, भीरे के बारे में पोजी ान यह है कि एक्साईज एंड टेक्से ान डिपार्टमैंट हमें एलोके ान करके

भेजता है, फिर उसके मुताबिक हम पीस देते है। इस बारे में अगर सैपरेट नोटिस दे तो जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जब तक सरकार को जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती क्या आप ऐसा आदे ा देने के लिये तैयार है कि तब तक भीरा बिल्कुल न बेचा जाये?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो भीरा बन गया उसमें चीनी जाने के दो कारण होते है। भीरा में चीनी तभी जाती है जब कि गर्मी के मौसम में चीनी मिल चलें। इस दफा गर्मी के मौसम मे मिलों को चलाना पडा। इस वजह से कुछ ज्यादा चीनी भीरे में चली गई। जो चीनी भीरे में चली जाती है उसकों निकालना बहुत मु ि कल हैं उसके लिये कोइ ऐसी म ाीनरी नहीं है जो चीनी को निकाल सकें।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, इस सवाल के अुनसार भीरे में चीनी चली गई लेकिन मेरा सवाल इसके उल्ट है। हमारे यहां चीनी के साथ भीरा मिलकर आ गया है। सोनीपत की भूगर मिल की चीनी सबसे काली होती है।उसको चीनी के साथ भीरा बहकर आ जाता है। क्या मंत्री महोदय इसकी इंक्वायरी करवाने की कृपा करेगें?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, सोनीपत और करनाल की देामिले नई लगी है। इसमें कोई भाक नहीं कि

सोनीपत मिल में जो म ाीनरी लगी है वह ठीक म ाीनरी नही लगी है और हम इसकी इंक्वायरी करवा रहे है। जिस ठेकेदार ने टेन्डर लेकर फैक्टरी लगाई है उस ठेकेदार की आइ लाख रूपये की पेमैंन्ट रोक रखी है और उस पर 1 करोड 17 लाख रूपये का क्लेम भी कर रखा है। म ाीनरी ठीक नहीं लगी इसलिये चीनी ठीक नही आती, कास्ट आफ प्रोडक ान ज्यादा आती हे इन सब बातां की पूरी इंक्वायरी कर रहे है और जिस आदमी ने यह म ाीनरी लगाइ है उसके ख्लिाफ ऐक ान लिया जायेगा।

श्री लहरी सिंह मेहराः अभी–2 मंत्री महोदय ने बताया हे कि हम एक्साइज एण्ड टैक्से ान डिपार्टमैंट के कहने के अनुसार भीरा अलाट करते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जो बाकी भीरा बच जाता है उसका क्या किया जाता है?

चौधरी भजनलालः स्पीकर साहब, जो फैक्टरीज भाराब बनाती हे उन को एक्साइज एण्ड टेक्से ान डिपार्टमेंट द्वारा भीरा अलाट किया जाता हैं बाकी बचने का तो सवाल ही नहीं है। जो फैक्टरीज भाराब बनाती है उन्ही के लिये भी भीरा पूरा नहीं होता।

श्री गुलजार सिहंः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि सोनीपत भ्ागर मिल की म ाीनरी खराब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करनाल की फैक्टरी की म ाीनरी खराब होने के कारण

इतनी चीनी भीरे के साथ चली गई हो। क्या मंत्री महोदय करनाल की भूगर मिल की म ीनरी की भी इंक्वायरी करवायेगें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, करनाल की फैक्टरी की म ीनरी में डिफैक्ट की इंक्वायरी करवाने के आदे । जारी कर दिये है और उस ठेकेदार की बारह लाख रूपये की पेमैंन्ट रोक रखी है।

श्री फतेह चन्द विजः मंत्री महोदय ने बताया है कि इन मिलों की इंक्वायरी करवा रहे है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि इंक्वायरी भूगर मिलों के कर्मचारियों द्वारा करवाई जा रही है या किसी और के द्वारा करवाई जा रही है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, सीनियर अधिकारी इंक्वायरी कर रहे है।

कंवर राम पाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि गर्मी के मौसम में भीरे के अन्दर कितनी क्वांटिटी मे चीनी जाती है और सर्दी के मौसम में कितनी जाती है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, परसेन्टेज तीन से पांच रहती हैं अगर तीन से पंच परसेन्ट चीनी चली जाये तो कोई ज्यादा नहीं है। आमतौर पर ऐवरेज चार की रहती है। लेकिन जैसा मैने बताया कि करनाल में 5.95 परसैन्ट चीनी भीरे के साथ चली गई है जो ज्यादा हे और इसकी इंक्वायरी करवा रहे है।

कंवर राम पाल सिंहः मैंने यह पूछा है कि सर्दी में कितनी परसेन्टेज होती है और गर्मी मैं क्या हेाती है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, सर्दी में कम जाती है ओर गर्मी में ज्यादा जाती है।

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो भीरे में भूगर कनटेन्टस बताये क्या वे ऐनेलिसिज करके बताये हे या वैसे ही बता रहे है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि कही चीनी की पिलफ्रेज तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नही हैं कि चीनी बनकर ही निकल गई हो? my question is whether it has been verified by the analysis of Sheera or not? (Interruption)

श्री अध्यक्षः कोई पिलफ्रेज की ि ाकायत तो नहीं है?

चोधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चीनी की चोरी होने की कोई ि ाकायत नहीं है।

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था. .....

Mr. Speaker: He has already given the answer. I will give you another chance.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि ठेकेदारो की पेमैंन्ट रोक रखी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि ठेकेदार की पेमैंन्ट एज ए पनि ामेंट रोक रखी है या भूगर मिल के पास देने के लिये पैसा नहीं है?

क्योंकि कई भुगर मिलों के पास किसानों को देने के लिये भी पैसा नहीं है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैनें अभी बताया है कि हमने इंक्वायरी आफिसर्ज डिप्यूट कर रखे है, इंक्वायरी हो रही हैं। टेक्नीकल आदमी बाहर से बुला रखे है कि अगर मिल में कोई डिफेक्ट है तो वे बतायें और इसी वजह से पमैंन्ट रोक रखी हैं दूसरी बात सुशमा जी ने कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे न होने के कारण पेमैंन्ट रोकी हुई हों। इस सम्बन्ध में मैं हाउस को बताना चाहता हूं और आपको सुनकर खु ाी होगी कि सारे दे ा में हरियाणा ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर मिलों ने किसानों को साढ़ै तेरह रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमैंन्ट की है ओर इस तरह से मिलों को साढे चार करोड रूपये की हानि उठानी पडी है। मार्किट में गन्नै की हालत थी कि उसको कोई पांच छःरूपये फी क्विंटल रूपया बाकी था। किसानों का मिलों की तरफ 3.15 करोड रूपया बाकी था। जिसमें से डेढ करोड रूपया सरकार ने मिलों को इसी महीने दिया है। बाकी तीस दिन के अन्दर सारी पेमैंन्ट कर दी जायेगी और किसी भी किसान का पैसा मिल की तरफ नहीं रहेगा।

श्री दीप चन्द भाटियाः स्पीकर साहब, हमारे जो एम0एल0एज0 है उनको सन्देह हो रहा है कि भीरे में जो ज्यादा चीनी ज्यादा जा रही हे उसके पीछे कोई बैकग्राउन्ड है। मैं चाहता हूं कि इसकी भुद्ध इंक्वायरी करवाई जाये। मैं चीफ मिनिस्टर

साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर से इसकी इंक्वायरी करवाई जाये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायें?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय का यह कहना कि भीरे के अनदर 5.95 परसैन्ट भुगर होती है यह कहां तक उचित है जब तक कि भीरे की ऐनेलिसिज न कराई गई हो तो कि उसमें भूगर कन्टेन्टस कितनी हैं मेरा कहना यह है कि यह भी पोसिबिलिटी हो सकती है कि भारे में चीनी ज्यादा न गइ हो बल्कि भूगर बनकर बाहर गई हो और इस तरह से पिलर्फेज की गई हो। जब तक एनेलेसिज न हो तब तक कैसे कहा जा सकता हे कि उसमें इतनी परसैंट भूगर है। क्या मंत्री महोदय भीरे की एनेलेसिज कराऐगें औरउसके बाद अगर उचित समझें तो पिलफ्रेज की इंक्वायरी की जाएगी?

चौधरी भजन लालः जो टैक्नीकल आदमी आएगें वे भीरे को बाकायदा टैस्ट करेगें कि किस मिकदार में उसमें चीनी है। अध्यक्ष महोदय हम बहुत गहराई से इस बात की छानबीन करेगें ओर मैं हाउस को यह आ वासन देना चाहता हूं कि इंक्वायरी के बाद अगर किसी का कसूर पाया या जिस भी अधिकारी का दोश पाया जाएगा चाहे वह कितना ही बडा क्यो न हो सरकार उसको माफ नहीं करेगी।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Custodian Land in the State

***598. Chaudhri Gaya Lal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the total area of Custodian land in the State at present;

(b) the total area of Custodian land, out of that referred to in part (a) above which has been auctioned so far; and

(c) whether any land referred to in part(a) above is under unlawful possession, if so, the details thereof?

Revenue Minsiter(Thakur Bir Singh):

(a) A statement showing the total area of evacuee land under different categories available as on 1-8-78 in the State is laid on the Table of the House.

(b) A statement showing the total area of evacuee land sold by way of auction upto 31-7-78 is laid on the Table of the House.

(c) Yes. The details of the evacuee land under unlawful possession which are not availbale are being collected.

STATEMENT'A'

URBAN **RURAL**

Pure evacuee in Ordinary acres	Under Occupancy rights in ordinary acres	Under joint Khewat in Ordinary acres	Ghair Mumkin in Ordinary acres	Cultivated in standard acres	Banjar in Ordinary acres	Ghair Mumkin in Ordinary acres
321	24	27	48	5773	2058	4761

STATEMENT'B'

URBAN **RURAL**

Pure evacuee in Ordinary acres	Under Occupancy rights in ordinary acres	Under joint Khewat in Ordinary acres	Ghair Mumkin in Ordinary acres	Cultivated in standard acres	Banjar in Ordinary acres	Ghair Mumkin in Ordinary acres
1571	20	137	76	48488	18423	10248

Declaration of Sirsa District as Backward area

***615. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any

proposal under consideration of the Government to declare Sirsa District as Backward area?

Finance Minister(Shri Preet Singh): No.

Raid on Cement Depot at Dharaunda

***568. Kanwar Ram Pal Singh:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) whether any raid was conducted by the District Food and Supplies Officer, Karnal, on a cement depot at Gharaunda. If so, the name of the depot holder together with the date of raid and the quantity of the cement found in the stock and the stock register, separately, on the date of raid;

(b) whether the depot holder was found guilty, if so, action taken against him, and

(c) whether it is a fact that the person in whose name the said depot is running had since died, if so, the date of his death and in whose name and under what authority the said depot is running at present?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री(श्री गजराज बहादुर नागर):

(क) घरोंडा के सीमेंट डिपु पर जिला खद्य एवं पूत्रि अधिकारी करनाल द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया बल्कि मै0 देस राज एण्ड सन्ज घरौण्डा के डिपु की पडताल सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी द्वारा 30—6—78 को की गई। जबकि सीमेंन्ट के 155

थेले उसके स्टाक में पाये गये किन्तु उसके स्आाक रजिस्टर में बैलेन्स भून्य दिखाया हुआ था।

(बी) उपरोक्त को देखते हुये डिपु होल्डर दोशी समण गया क्योंकि उसके स्टाक में सीमेंट के थैले थे परन्तु फिर भी उसके स्टाक रजिस्टर में बैलेन्स भून्य था। इस अनियमितता के कारण डिपु होल्डर के विरूद्ध केस रजिस्टर किया गया और विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

(सी) हां जी, श्री देसराज परोपराईटर मैं0 देसराज ण्एड सन्ज का देहान्त 15—1—74 को हो गया था उस समय से यह सीमेंट का डिू उसकी पुत्र वधु श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी श्री हरचरण सिंह सुपुत्र श्री देसराज पुराने नाम और स्टाईल के अर्न्तगत स्वर्गवासी के वारिस होने के नाते चला रही है।

Superintending and Executive Engineers posted at Jawahar Lal Nehru Canal

***595. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) the total number of Superintending Engineers and Executive Engineers posted at Jawahar Lal Nehru Canal at present, separately and the names of the places where the offices of the Superintending Engineers and Executive Engineers are located in the state;

(c) whether there is also a proposal under sonsideration of the Government to shif the offices of Superintending Engineers at Mohindergarh?

Irrigaton and Power Minister(Shri Verender Singh):

(a) Five Superintending Engineers and 18 Executive Engineers are incharge of the work of constructing J.L.N. Canal. Their headquarters are as follows-

Sr. No.	Circle Offices	Divisional Offices	
1.	J.L.N. Canal Circle no. I, Rohtak.	Rohtak	2
		Rewari	2
2.	J.L.N. Canal Circle no. II, Rohtak.	Rohtak	1
		Charkhi Dadri	2
		Narnaul	2
3.	J.L.N. Canal Circle no. III, Rohtak.	Rohtak	4
4.	Construction Circle No. I, Delhi	Sonepat	2
5.	Loharu Canal Circle, Rohtak	Rohtak	3

(b) No.

(c) No.

Dispensary at Kalanaru, District Rohtak

***605. Shri Jai Narain:** Will the minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new dispensary or to repair the old dispensary at Kalanaru in District Rohtak. and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized?

Health Minister (Shrimati Dr. Kamla Verma):

(a) There is no proposal under consideration of Government to open a new dispensary at Kalanaur. The old dispensary buildings is proposed to be got repaired at an estimated cost of Rs. 16100/-

(b) The repair work of the dispensary building is likely to be completed during the current financial year.

Constituency-wise Construction of Road

***668. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Public works be pleased to state-

(a) the total mileage of roads Constituency-wise as on 20-6-1977;

(b) the total mileage of roads Constituency-wise which were started before 21-6-1977 and were still under construction on 31-3-78;

(c) whether Government have sanctioned any new road in Samalkha Constituency; if so, the details thereof?

INTERIM REPLY

अ:स:प:क:29 / 46 / 78 / लो:नि:4(3)

मेहर सिंह राठी

मंत्री,

लोक निर्माण विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ़ ।

दिनांक 29 अगस्त, 1978

विशयः तारांकित प्र न नं. 668 जो श्री मूलचन्द जैन विधान सभा सदस्य द्वारा पूछा गया।

प्रिय,

विधान सभा की कार्य सूची दिनांक 30–8–78 में तांराकित प्र न नं.668 जो श्री मुलचन्द जैन विधान सभा सदस्य ने पूछा है उत्तर के लिये भाामिल किया हुआ है। इसके बारे में मैने यह कहना है कि इसका उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ है सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना अधीनस्थ कार्यलयों से मांगी हुई है

और एकत्रित की जा रही है। उसके बाद यह मुख्यालय में कमपाईल होनी है। सूचना एकत्रित करने में कुछसमय लग जायेगा। अतः आपकों अनुरोध किया जाता है कि तारांकित प्र न नं0 668 के उत्तर के लिये 30–8–78 की बजाये लगभग 10 दिन की कोई अन्य तिथि नि चत कर दी जाये।

सादर,

भवदीय,

हस्ता–

(मेहर सिंह राठी)

कर्नल राम सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़।

Committee on the Working of the Cooperative Societies.

***696. Shrimati Shanti Devi:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the date from which the Committee on the working of the Cooperative Societies has been functioning:

(b) the work done by the aforesaid Committee so far, together with the time likely to be taken by it for completing the entire work; and

(c) the expenditure incurred on the said Committee so far by the State Government together with details of T.A./D.A. or other allowances drawn by the Chairman and other Members of the Committee, separately?

Minister for Cooperation and Dairy Development (Chaudhri Bhajan Lal):

(a) This Committee was constituted on 23-2-78 and its first meeting was held on 14-4-78.

(b)The committee collected literature on various subjects of reference from different states and National Cooperative Union of India and prepared Questionnaire which was circulated to all concerned for eliciting their opinion. It is likely to take six months to complete its job.

(c) No expenditure has been incurred by the State Government on the said Committee so far as no T.A./D.A. bills have been submitted by the Chairman and other Members of the Committee. However, some expenditure on stationary, stamps and contingencies has been incurred by the Haryana State Cooperative Bank and Haryana State Cooperative Development Federation, in this regard.

Scholarship to Harijan girls for Higher Education

***634. Shrimati Shkuntla Bhagwaria:** Will the minister for Educaiton be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to award Scholarships to the Harijan Girl students for getting higher Education, if so, details thereof?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya): No . Question of giving details does not arise. However, scholarships are granted for this purpose to both boys and girls belonging to Scheduled castes under a Government of India Scheme.

Construction of Drain

***655. Capt.Mange Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to construct a drain from village Gurawara to No. 8 drain in village Silani Tehsil Jhajjar along Jhajjar-Rewari Road, if so, the time by which the same is likely to be constructed?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): No please.

Tourist complex at Village Jakhauli, District Kurukshetra

***574. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Toursit Complex at village Jakhauli, District Kurukshetra, if so, the time by which it is likely to be opened?

Chief Minister(Chaudhri Devi Lal): No Sir.

M.B.B.S. Lady Doctors in the State

***585. Chaudhri Birender Singh:**Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the total number of sanctioned posts of M.B.B.S. Lady Dosctors in the State as on 31st July, 1978; and

(b) the District-wise number of posts lying vacant out ot those referred to in part (a) above in the Primary Health Centres in the State?

Health Minister(Shrimati Dr. Kamla Verma);

(a) There are specifically 38 posts sanctioned for Lady Doctors. Other posts are for both men and Qomen doctors. In addition to the afore-mentioned 38 Lady Doctors, there are 121 Lady Doctors in position including HCMS I and II.

(b) No posts specifically for Lady Doctors have been sanctioned for tghe Primary Helath Centres. However, 31 Lady Doctors are posted in Primary Health Centres at present.

D.A. to Government Employees

***662. Swami Agnivesh:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether the dearness allowance is bing paid to all the adhoc Government employees and the poor emp[loyees working on daily wages, if no, wheter Government intends to pay the dearness allowance in future to the said employees keeping in view their pitiable condition?

Finance Minister (Shri Preet Singh): The dearness allowance is paid to the ad-hoc Government employees but not to the employees working on daily wages. The question of granting dearness allowance to the employees working on daily wages, does not arise.

Measures for Prevention of Floods In Badli Constituency

***663. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is in the notice of the Government that the Delhi State Administration is extending the construction of Dhansa Bund area;

(b) if so, whether the said extension will not stop the further flow of water; and

(c) the steps taken or proposed to be takne to revent flood in Badli Constituency?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बढे हुये बांध को हटाने और बांध के अन्दर जैसे 1977 में पानी के बहने के रास्ते थे, की व्यवस्था करने के लिये मामला केन्द्रीय जल आयो, दिल्ली प्र ाासन के मुख्य कार्यकारी पार्शद तथा कृशि एवं सिंचाई मंत्री, भारत सरकार के साथ उठाया हुआ है।

Industrial Training Institute, Palwal

***670. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to increase the existing number of seats in all the trades in Industrial Training Institute, Palwal?

उद्योग मंत्री(डा0 मंगल सैन): जी नहीं

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Cost of Beer per Bottle

172. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Industries be pleased to state the approximate cost of beer per bottle produced by Haryana Breweries at present together with the percentage of profit fixed thereon?

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन):

1.	650 मिली लीटर वाली प्रति बोतल की उत्पादन की लगभग लागत	2.76 रूपये
2.	उस पर लाभ की प्रति ातता	3.26 प्रति ात

Dry Port in Palwal Area

173. Swami Aditya vesh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether any correspondence has been exchanged between the State Government and the Central Government regarding construction of a Dry Port in Palwal area, and

(b) if so, the extent to which the success has been achieved in this respect together with the time by which the construction work is likely to be started?

Agriculture Minister (Brig. Ran Sigh):

(a) Yes.

(b) No decision has so far been received from the Central government.

Inter-State Approach Roads

174. Swami Aditya Vesh: Will the minister for public works be pleased to state the total number of Inter-state roads constructed during the period from the 4th July, 1977 to 30th June, 1978, together with the names of the States so connected by these roads?

लोक निर्माण मंत्री(चोधरी मेहर सिह राठी): भून्य।

Flat Rate of Electricity

175. Swami Aditya Vesh: Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the flat rate of electricity charges are more in Haryana than that in the States of Punjab and Uttar Pradesh; and

(b) if so, the extent thereof together with the reasons therefor?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Sigh):

(a) Yes.

(b) The flat rate in Punjab is Rs. 11.50 per BHP per monthe plus Rs. 1.50 per BHP per month as demand charges and that of U.P. is Rs. 15/-per BHP per month plus Rs. 7.50 as fixed charges for light and fan as against Haryana rates of Rs. 16/-per BHP per month plus rs. 2/- per BHP per month as demand charges in lieu of rentals. The flat rate in Haryana is higher due to the reason that the Board is not being subsidised by the Government. Whereas in case of Punjab, it is understood that the Electricity Board is being compensated by theGovernment for the loss so sustained by the Board on accound of lower rates.

ध्यानाकर्शण सूचना

Mr. Speaker: I have received notice of a call attention motion from Rao Birender Singh, M.L.A. concerning widespread resentment and anxiety in the minds of the people of the state in regard to the publication of a news-item

entitiled “Haryana’s Power Prospects Bleak”. The motion is admitted. The hon. Member may please read out his motion.

Chaudhri Birender Singh: This motion is from Birender Singh i.e. me and not from Rao Birender Singh.

Mr. Speaker: Correct, it is from Chaudhri Birinder Singh. He may please read out the motion.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, सबसे पाहले मैं आपको एक बडी खु ाी की बात बताना चाहता हूं। कल करनाल जिला के एस0पी0 चौधरी लखी राम ने घरोंडा के पास बहुत समलगरों, डकैतों के पास से 20 लाख रूपये का सोना पकडा हैं यह उन्होने बडी बहादुरी का काम किया है लाण्ड आर्डर को मेनटेन किया हैं असलिये मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारि ा है कि उस एस0पी0 को एवार्ड दिया जाये और स्पै ाल प्रोमो ान दिया जाये मैं तो यह कहुंगा कि ऐसे बहादुर अफसर को आई0जी0 बना दिया जाये ताकि सारे हरियाणा में ला–एण्ड आर्डर पर पूरी तरह से कन्ट्रोल हो सकें (ाोर एवं वयवधान)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, ये समगलर अमृतसर से सोना लाकर बमबई पहुंचा रहे थे और इनहोने रास्तें में घरौंडा बैरियर को तोडा। ये भाग रहे थे तो एस0पी0 करनाल श्री लखी राम ने 20 लाख रूपये का सोना उनसे बरामद कर लिया और उन लोगों को पकड लिया। इसलिय`मैं यह कहूंगा कि ऐसे बहादुर अफसर को सरकार की तरफ से अव य अवार्ड मिलना चाहिये।

व्यवस्था का प्र न

(अल्प सूचना प्र न सम्बन्धी)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है कि मेरा भाार्ट नोटिस कवै चन आपने एडमिट किया है। कवै चन आवर खतम था या तो आप इसको क्वै चन आवर के भाुरू में ले लेते या फिर उस भाार्ट नोटिस को अन्त में लेना था। आपने स्वयं सरदार लछमन सिंह जी को यह कहा था कि वे उत्तर देगें और वह उतर मुझे अभी तक नही मिला है। मृपा करके वह उत्तर मुझे दिलवाएं।

Mr. Speaker: I have received a request from teh Minister asking for time to answer that question and I have granted the time to the Minister to answer that question.

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, आज तो सदन समाप्त हो जाएगा तो फिर इसके बाद मुझे कब मेरे भाार्ट नोटिस क्वै चन का उत्तर मिलेगा?

Mr. Speaker: The Government has asked for time to collec the information. कि वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा मिला है वगैरह–2 और इसके लिये उन्होने समय मांगा है और मैने मुनासिब समझा कि यह टाइम जरूरी है और मैने उनको यह टाइम दे दिया है।

चौधरी खुर ाीद अहमदःस्पीकर साहब, क्या यह इंफर्मे ान वां ागटन से आनी है या हमारे सेक्रेटेरियट से आनी है?

Mr. Speaker: I am not in a position to say where the information is to come from. But the Government has asked for time to answer that question.

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री महोदय से यह पूछ लिया था और उन्होने कहा था कि मैं एक दो दिनों तक इसका जवाब दे दूंगा– (ाोर)

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, यह समय आपके कहने से मांगा गया था, ये सरासर जवाब देने में कोताही कर रहे है, इससे साफ जाहिर है कि मंत्री महोदय की जवब देने की इच्छा नहीं है और इस बात को छुपाया जा रहा है। मंत्री महोदय ने खुद कहा था कि मैं एक दो दिनों में इसका जवाब दे दूगां।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री महोदय से पूछ लिया था और उन्होने कहा था कि मैं जवाब दूंगा।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, पोजी ान ऐसी हे कि आप ने इनका भाार्ट नोटिस कवै चन आन दि फलोर आफ दि हाउस मिनिस्टर साहब, की कनसैन्ट लेकर एडमिट किया था ओर उन्होने इजहार किया ाि कि वह इसका जवाब दे देगें ता`आप यह कहे कि इन्फमे ान कुलेक्ट नहीं हो सकी यह कोई ठीक बात नहीं

हैं यह सवाल पहले भी जब श्री वीरेन्द्र सिंह इस महकमें के इंचार्ज थे, आया था, उसके पास सेकटेरियट में पूरी इंफर्मे ान थी। सेक्रेटेरिएट में और यहां के पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट में इसकी सारी इंफर्मे ान हो सकती है इसलिये मिनिस्टर साहब को इस बारे में टालने नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, कोइ भाार्ट नोटिस कवै चन की मैंने लिस्ट प्रिंट नहीं करवाई और गवर्नमैंट ने जो इसके लिये टाईम मागां है वह, in my discretion, I have granted that time. जितनी भी जल्दी संबंधित मिनिस्टर से यह इंफर्मे ान आ जायेगी that will be circulated (Interruptions)

ध्यानाकर्शण सूचना (पुनरारम्भ)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, होम मिनिस्टर साहब, से मेरी एक गुजारि ा है कि एक पुलिस अफसर ने अपनी जान पर खेल कर 20 लाख रूपये का सोना पकडा है, बहुत बहादूरी का काम किया है। सदन के अन्दर उसके इनाम की घोशणा की जायें (ाोर एवं व्यवधान)

सिचांई एवं बिजली मंत्री(श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, आनरेबल मैंबर्ज के विचार.....(व्यवधान)

Mr. Speaker: The Home Minister is on his legs. I would request everybody to please take his seat.

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैंबर्ज के जो सेन्टीमैंटस है, वे सरकार के नोटिस मे आ चुके है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से सलाह करके भााम तक कोई ब्यान दूंगा।

Mr.Speaker: Chaudhri Birinder Singh may please read out his motion.

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, मेरी एक गुजारि ा है कि किसी ईमानदार अफसर को एवार्ड देना जरूरी है लेकिन अगर उसके खिलाफ कोइ सख्त कम्पलेन्ट आई हो तो उसके खिलाफ एक ान लेना भी बहुत जरूरी है और अगर उसके एरिया में कोई मर्डर हुआ हो तो यह लाजमी हो जाता है कि इन बातों को भी ध्यान में रखा जाये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, जो सरकारी कर्मचारी कसूरवार है उनको भी ध्यान में रखा जाये।

Mr.Speaker: Please take your seat. (Interruptions) Order please. The Home Minister has just now annouced कि वह मुख्य मंत्री महोदय से कंसलट करके आज भााम तक, यानि हाउस के एडजर्न होने से पहले अपनी तरफ से एक स्टेटमैंट देगें। अब मैं बाकी मैंबरान से अनुरोध करूंगा कि वे उस सटेटमैंट का इन्तजार करें। We leave it to the Home Minster.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरी एक सब मि ान है कि जो काम पुलिस ने कियाहै उसके मुताल्लिक होम मिनिस्टर

साहब सलाह करके अपनी स्टेटमैंट देगें लेकिन मैं गुजारि ा करूंगा कि ला एंड आर्डर की हालत आज हरियाणा में खराब हो रही है और आज ही अखबारों में पढा गया है कि हरियाणा में पंजाब के लाग आकर डाका मरने लगे है। भिवानी में एक बैंक लूट लियागया है। पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी आने लगे है।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): राव साहब, उन सब को चार घंटे के अन्दर–2 पकड लिया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह: चीफ मिनिस्टर साहब, जिन्होने पकडा है , उनको भी तो ईनाम दो।

श्री अध्यक्ष: राव साहब, आप यह कैसे अन्दाजा लगाते है कि होम मिनिस्टर साहब अपनी स्टेटमैंट में सिर्फ उस बात पर ही स्ट्रैस करेगें? वे सारे हालात और ला एन्ड आर्डर का जायजा लेकर ही स्टेटमैंट देगें। हम यह सारी बात होम मिनिस्टर साहब के उपन ही छोडते है।

Rao Birender Singh: Quite agreed. Thank you very much. यही तो मैं सजैस्ट करना चाहता था कि वे सारे हालात का जायजा लेकर ही स्टेटमेंट दें और जो मोरखेडी में गडबड हुई है, उसका भी जिक्र कर दे। (Interruption)

Mr. Speaker: Order please. Chaudhri Birinder Singh may plaese read out his motion.

Chaudhri Birinder Sigh: I want to call the attention of the Irrigation and Power minister, Haryana, to a matter of urgnet public importance which is as follows:-

A news item with thetitle" Haryana's Power Prospects Bleak" appeared in today's "Tribune" i.e. 29-8-78. It is mentioned that Haryana has been excluded from participation in Rs. 271 crores Nathpa-Jhakri Hydel Power Project. The project was to be executed by Haryana and Himachal Pradesh and was to feed the electricity needs of the State which has no potential for hydel power.

The news-itme has caused wide spread resentment and anxiety in the mind of the people of the State and the issue needs immediate attention of the State Government.

Therefore, the motion for calling the attention of the minister for Irrigation and power to this important issue.

Mr. Speaker: The Irrigation and Power mInister may like to make a statement or ask for time to make it.

Shri Verender Singh: I will make the statement just now. और किसी ने बात कहनी है तो कहे वरना मैं अपनी स्टेटमैंट देता हूं।

श्री भाम ेर सिंहः स्पीकर साहब.....

Mr. Speaker: There is no discussion on a Call Attention motion. The motion has been read out and if the Minister would like to make a statement, he may do so.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने कल सुबह ला एंड आर्डर के बारे में एक एडजर्नमेंट मो ान दी थी जिसमें मैने 8 स्पैसिफिक इंस्टांसिज जींद में हाई–वे पर डिकायटी ओर राबरीज के दिये थे। स्पीकर साब, रात को डी0सी0 की कोठी के सामने, पुलिस लाईन के सामने, एस0डी0ओ0 के मकान के सामने.....

.

Mr. Speaker: Please Sit doen. I hav ereceived a number of Call Attention motions on the law and order situation and, thereofre, I requested the Minister –in-charge and the Chief Minister and they have verykindly agreed to examine the whole question and make a statement on the law and order situation in the State before the House adjourns sometime today. The point of Shri Surjewala on the law and order situation will be covered by the Home Minister in his statement.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान है कि मेरा एडजर्नमेंट मो ान है, काल अटेन ान मेा ान नहीं है। मैने इस पर डिसक ान की मांग की थी। यह तो बिल्कूल अलग मामला हे इस पर डिस्क ान के लिय `सार हाउस को मौका मिलना चाहिये। मैने इसमें कई सीरियस इंस्टांसिज दिये है। (ाोर)

Mr. Speaker: You might have received my letter dis-allowing the adjournment motion.

श्री भाम ोर सिंहः मुझे डिस–अलाउ करने की कोई इन्टीमे ान नहीं मिली है और न ही आपकी कोई चिट्ठी मिली है. .....

श्री वीरेन्द्र सिंहः उस वक्त आप धरने पर बेठे थे (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप अब उस पर आधें घंटे की डिसक ान करवा दें.....

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब,.....

Mr. Speaker: I would request Mr. Shamsher Singh to please sit down.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैं बैठ जाउंगा लेकिनसबमिअ कर रहा हूं (ाोर)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जब मैंबर साहिबान आधे घंटे की बहस के लिये खु ा है तो आपको क्या ऐतराज है? (ाोर)

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एडजर्नमेंट मो ान ला एंड आर्डर के बारे में है, जिसकी स्थिति आज बडी सीरियस है (ाोर) हाउस के भी वही व्यूज है.....

Mr. Speaker: I have already given my ruling and the Home Minister is going to make a statement on Law & Order situation in the State. Please sit down. Will the Irrigation and

Power Minister would like to make any observation on the call Attention motion?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, एक न्यूज आइटिम का हवाला देकर आनरेबल सदस्य ने अपने काल अटैन् ान की भाशा कुछ इस किस्म की लिखी है कि जैसे नाथ्पा–झाकडी प्रेोजैक्ट पर बहुत जल्दी एग्रीमैंट हो चुका था और काम चालू हो चूका था और वहां पर जो हमारा एस्टैवलि ाड हक था उससे हमें एकसकलूड कर दिया गया है। ये मेरे लायक दोस्त बडे सज्जन और बडे अच्छे वकील भी है। नाथ्पा–झाकड़ी प्रोजैक्ट की सारी की सारी जगह हिमाचल प्रदे ा में है। हरियाणा सरकार ने हिमाचल सरकार को एप्रोच किया कि आाअे एक ज्वायंट बैंचर के साथ इस हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट को हम तैयार करें। दोनों सरकारों में कुछ बातचीत चलती रही ओर पिछली सरकार के जमाने में एक एग्रीमैंट की रूपरेखा भी बनी, कुछ कलाजें तैयार हुई परन्तु वह एग्रीमेंट साइन न हो सका। किन्ही बातों पर दोनेा सरकारें एग्री नही थी। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने फिर नये सिरे से कोि ा ा की कि नाथ्पा–झाकड़ी प्रोजैक्ट को सिरे चढाया जाये। हमने इस बात को ही मद्देनजर नहीरखा कि उस प्रोजैक्ट से सारा फायदा हरियाणा को ही हो, हम इतना आउट आफ दि वे भी नहीं जाना चाहते लेकिन चूंकि हाइड्रो इलैक्ट्रिक के लिये हमारे पास कोई और पोटें ि ायल नहीं है इसलिये उके साथ–साथ हम नाथ्पा–झाकडी प्रोजैक्ट के लिये हिस्सेदार बनना उसी सीमा तक पसन्द करेगैं जब तक हरियाणा

स्टेट को उस एग्रीमैंट से फायदा पहुंचता रहे। इस हद तक जाने को हम हमे ाा तैयार रहते है और आज भी तेयार है। कुछ दिन पहले एक गलतफहमी फैली, दिल्ली से नै ानल हेरल्ड पेपर में एक स्टेटमैंट छपी। ये ऐसी ऐसी स्टेटेमैंट छापते है जैसे कि इन्होने कहा कि हिमाचल प्रदे ा सरकार का पंजाब के साथ फाइनल एग्रीमैंट हो चुका है। ऐसी कोई बात नही है हमने पता किया है और वहां के सैक्रटरी पावर ने हमें परसों ही इत्तलाह दी है कि 31 तारीख के बाद के या तो हमारे अफसरो को वहां बूलायेगें या उनके अफसर हमारे यहां आएंगे और उस एग्रीमैंट पर फर्दर बातचीत होगी। मैं अ योरैंस दिलाना चाहता हूं कि हम नाथ्पा–झाकडी प्रोजैक्ट के लिये हिमाचल प्रदे ा सरकार के साथ एग्रीमैंट करने के लिये तैयार है ब ार्ते कि उस एग्रीमैंट से हमारी स्टेट का फायदा पहुंचे। हम हिमाचल सरकार के साथ बहुत जल्द इसका आखिरीफैसला करने जा रहे है।

Mr. Speaker: I have received a notice of Call Attention Motion....

Rao Birender Singh: On a point of Information.....

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, यह काल अटैन्ा न मो ान का जवाब है, इस पर कुछ नही पूछा जा सकता– (विघन)

राव बीरेन्द्र सिंहः अगर आप इन्फर्मेान नहीं देना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं–

चौधरी राम लाल वधवाः सपीकर साहब, कोई कायदा ओर प्रोसीजर तो होना चाहिये.....

राव बीरेन्द्र सिंहः हम जबरदस्ती थोडे ही इनफर्मेान मांगते है।

Mr. Speaker; There is no discussion on a call attention motion.

I have received a notice of a Call Attention motion from Shri Fateh Chand Vij, M.L.A. concerning the changing of the course of water of Yamuna river and as such the necessity of constructing a bridge on the Yamuna near village Babel.

The motioon is admitted.

The Hon. Member may kindly read his motion.

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मैं इस ध्यानाकर्शण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान.....

व्यवस्था का प्र न

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं स्पीकर साहब, एक दिन में दो काल अटैन्शन मो ान नहीं आ सकते , एक ही आ सकता है।

Mr. Speaker: I agree that there is such convention but as Speaker in my capacity I have tried to admit and to give all such opportunities as possible to the members to express their views and, there fore, I have admitted this motion only in my discretion.

Rao Birender Singh: On a point of order. Can the Speaker go against the rules of Procedure? You can say in you discretion you can do that also.

एक आवाजः स्पीकर को तो काफी अखितयारात है (ाोर)

Mr. Speaker: Hon. Members, there have been precedents in the past where not one or two , even three Call Attention motions have been admitted on one day and, therefore, in accordance with the well established precedents already set up in the House, I have in my discretion allowed the second call attention motion and I would request the Hon. Member to proceed.

चौधरी रिजकरामः स्पीकर साहब, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि राव साहब की तरफ से मैंबर साहेबान यह उम्मीद नही रखते थे कि जहां मैंबरों को चेयर की तरफ से कुछ सुविधायें दी जायें या कन्सै ान दिया जाये उस पर भी एतराज किा जाये। इसलिये में प्रार्थना करूंगा कि वे उस प्वांयट को स्ट्रैस न करें।

राव बीरेन्द्र सिंहः यह तो अब की बात है लेकिन जब मैं सारे हरियाणा की जनात के लिये इनफर्मे ान मांग रहा था तब तो आप चुप बैठे रहे। जब ये इनफर्मे ान देने से इन्कार करते है तो सारे मिनिस्टर उठकर खडे हो जाते है अब कौन सी ऐसी बात हो गई?

चौधरी रिजक रामः बाकी तो सारे मान लेते है लेकिन चौधरी वीरेन्द्र सिंह किसी की नहीं मानते (हंसी)

राव बीरेनद्र सिंहः अगर यह हाउस इस तरीके से चलना चाहे कि **********तो मुझे कोई ऐतराज नही है। अगर यह प्रैसीडैटंस इसी तरह चलेगें और आप चही कनवैन ान बनाना चाहते है तो भाौक से बनायें। हमें तो जनता ने थोडे से करके भेजा है और आपकी मैंजोरिटी है.....

श्री अध्यक्षः राव साहब, आप बैठियें.....

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं एक रूलिंग पढ दूं फिरउसके बाद अपनी रूलिंग दे दीजिये.....

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। Please sit down for a minute. मैं आपको वि वास दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल निश्पक्षता के साथ–2 काम करूंगा और जहां तक हो सकेगा in order to maintain the standard of deocracy, I will go out of my way to give greater priority to the opposition rather than to the treasury benches. In the past, I have tried my best मैंने दिलों

जान से कोि ा ा की कि हर एक मैंबर को सहुलियत और फैसिलिटी दे सकूं और मैं दिलो जान से सहूलियत और फैसिलिटी देना चाहता हूं मुझे भलीभांति पता है कि ऐसा रूल है जिसके तहत सिर्फ एक काल अटैन्ड ज्ञन मो ानएक सिंटिग में रेज हो सकता है। कल मेरे पास चार पांच काल अटैन्ड ान नोटिसिज आयो। मैंने रूल चैक अप किया। रूल के अनुसार एक सिंटीग के लिए एक एडमिट हो सकता है। उसके बाद मैंने प्रेसीडैन्टस चैक किये और ऐसे प्रैसीडेंटस है जिन के अन्दर एक से ज्यादा काल अटैन्ड ान मो ान एक दिन में एडमिट हुये । कम से कम 4–5 प्रेसीडैटस मेरे सामने पूट–अप किये गये जिन में एक दिन में एक, एक दिन में दो ओर किसी दिन तीन भी एडमिट हुये। इसलिये मैंने मेम्बर साहिबान के इन्ट्रैस्ट और खाहि ा को देखते हुये यह सहूलियत दी ओर दो काल अटैन्ड ान मो ान एडमिट किये। अगर हाउस की सैंनस यह हे कि दूसरा काल अटेन्ड ान मो ान एडमिअ न किया जाये तो हाउस फैसला कर दै।

कई सदस्यः इसको अपोज नहीं करना चाहिये क्योंकि यह हाउस को फैसिलिटी है। (व्यवधान) दूसरा काल अटैन्ड ान मो ान भी आना चाहिये। (व्यवधान)

राव बीरेनद्र सिंहः मैं अपोज नही कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि रूल में क्य लिखा है, इसमें लिखा हैः–

"Not more than one such matter shall be raised at the same sitting".

यह रूल कहता है अगर ' ौल' का मतलब कुछ और निकलता हे तो निकाल लीजिये मैं चुप हूं।

Mr. Speaker: I consider Rao Birender Singh a very experienced ligislator. मैं इनसे यह तवक्को नहीं रखता था कि ये ऐसा कहते कि मैंने स्पीकर के तौर पर **********मैंने ईमानदारी ओर निश्पक्षता से काम लिया है। मैं राव साहब से दरखास्त करता हूं कि वे इस प्वांयट को स्ट्रैस न करें।

डा0 मंगल सैंनः राव साहब ने **********(व्यवधान) इसलिये जो कुछ भी आप कर रहे है वह रूल्ज के मुताबिक तथा ठीक कर रहे है। (व्यवधान)

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): राव साहब ने **********जो बात कही है, वह हाउस की कार्यवाही से निकाल दी जाये। (व्यवधान)

Chaudhri Khurshid Ahmed; That is an aspersion on the Chair and should be expunged from the proceedings. (Interruptions)

Mr. Speaker: That should be expunged from the proceedings of the House.

राव बीरेन्द्र सिंहः चौधरी भजन लाल जी ने टविस्ट करके बात की है। मैंने यह नहीं कहा कि किसी एक व्यक्ति ने या **********(व्यवधान)

Chaudhri Khurshid Ahmed: That is rather an aspersion on the whole House. It is all the more necessary that it should be expunged. (Interruptions)

आवाजें: यह तो सारे हाउस पर एस्प र्न हैं (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह: अब एक फैसला कर लिया जाए कि जो कुछ मैं इस हाउस में बोलूं, वह कथन न लिखा जाएगा। (व्यवधान)

चोधरी राम लाल वधवा: आपने जा पहले भाशण दिया है, वह सारा आया ही है।

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महादेय, रूल्ज आफ प्रोसीजर के अनुसार,अध्यक्ष की रूलिंग फाइनल होती है। एक बार रूलिंग देने के बाद, किसी आदरणीय सदस्य को उस पर टीका–टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। मैं सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि वे इस रूल तथा कन्वैन्ान को मान्यता दें और इस बात को खतम करें। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह: रूल्ज को दें या कन्वैन्ान्ज को दें दोनों में से एक बात हो सकती है।

चौधरी रिजक राम: रूल्ज तो ठीक है, लेकिन मैंबरान की सहूलियत का ख्याल भी रखा जाना चाहिये। (व्यवधान)

ध्यानाकर्शण सूचना (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now Shri Fateh Chand Vij may please read out his motion.

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय, मैने इस अभिप्राय का नोटिस दिया है कि राजय सरकार का ध्यान आव यक लेक महत्व के इस मामले की और दिलाया जाये कि यमुना नदी में बाढ आने के कारण नदी ने अपना पानी के बहाव का रास्ता पानीपत तहसील के गांव बाबेल, नगला, घनसौली तथा सनोली आदि की और बदल लिया हे जिसके कारण इन गांवों का आवागमन गांव बैसकगढ़ी, रानामाजरा, पतथरगढ़, जलालपुर तथा निवाद के साथ बन्द हो गया है। किसान दूसरी ओर से न तो इस और आ सकते है और न ही वे गन्ना तथा अन्य अनाज आदि ला सकते है। सरकार से निवेदन है कि इस मामले की और ध्यान दे तथागांव बावेल के समीप यमुनानदी परएक पुल का निर्माण करें ताकि दूसरी ओर के गांव राज्य के भोश भाग से जोडे जा सकें।

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय, जवाब देना चाहेगें या समय चाहेगें? जो वह ठीक समझें, कर लें।

सिचांई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): काल अटैन्‍ ज्ञन मो ान जो पढ़ी गई इसके मुताबिक , अगर वाकई यमुना के कोर्स चेंज करने के कारण कुछ गांव कट गये है और उन गांवों को जाने के लिये रास्ता नही हे ओर पुल बनाना निहायत जरूरी है तो गवर्नमेंट के लिये मु किल नहीं होगा, पुल

बनवाया जाएगा लेकिन पहले इसको एग्जामिन किया जायेगा। इसके बाद अगर कोर्स परमानैटं चेंज होता है तो गवर्नमेंट इसको एग्जामिन करवायेगी ओर हर सम्भव सहायता दी जाएगी।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहग, यह जवाब डैफिनिट नहीं है , वेग है। जो कटाव हुआ है, क्या गवर्नमेंट उसको ठीक करने का इन्तजाम करेगी या नहीं? अगर पुल बनना है तो क्या गवर्नमेंट पुल बनवायेगी इसके बारे में गवर्नमेंट को पूरी रिपोर्ट हाउस को देनी चाहिये।

Mr. Speaker: No discussion on the statement on a Call Attention motion, please. आपने तो काल अटैन् ान मो ान पर डिस्क ान भाुरू कर दी है, यह ठीक नहीं रहेगा (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंहः आन ए पवांयट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, आपके सीरियस कंसीड्रे ान के लिये चौधरी रिजक राम जी ने जो बात कही है उस में बहुत वजन है। इस हाउस की डिगनिटी को, डैकोरम को और कन्वैन् ान्ज को कायम रखना है। जो इतराज उनका है, वही इतराज मेराहै।, बल्लिक इससे भी ज्यादा है। हाउस मे ंजो बडें सीरियस मामलात का बिजनैस है,उसको इस तरीके से, जल्दबाजी से निपटाया जाना ठीक नही। क्वै चन आवर में सवालेा का जवाब नहीं दिया जाता, दस–दस, बीस–बीस मेंम्बर बोलने के लिये खडे हो जाते है और भाोर– ाराबे में बात गुम हो जाती है और सरकार को यह चीज गुआफक बैठती है। इसी तरीके से दो काल अटैन् ान मो ान्ज

आये, आपने मेहरबानी करके दो अलाउ कर दिये, रूल्ज को इग्नोर करके अलाउ कर दिय। मैं जानना चाहात हें कि क्या हाउस के मैंबरान को इसका कोई फायदा हुआ है? काल अटैन्‍ ान मो ान पहले आना चाहिये। काल अटैन्‍ ान मो ान आने के बाद सरकार को नोटिस जाता है, सरकार उसका जवाब तैयार करती है और जवाब तैयार करनें के लिये समय मांग सकती है। आमतौर पर, जो जरूरी इन्फर्मे ान होती है, वह महकमा से कुलैक्ट करके एक स्टेटमैंट तैयार होती है ओरउस स्टेटमेंट को मेबरान में सर्कुलेट किया जाता है और स्टेटमेंट हाउस में पढा जाता है। उसका हाउस में रिकार्ड होता है कि फलां काल अटैन्‍ ान मो ानपर सरकार का यह जवाब हैं लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब इतने लायक है कि काल अटैन्‍ ान मो ान हो, चाहे इन्टर–स्टेट का मामला हो, पानी का मामला हेा, बिजली का मामला हो, हिन्दुस्तान का कोई भी मामला हो, फौरन खडे हो जोते है और दो ल्फजों मे कह कर बात खत्म कर देते है और समझते है कि स्टेटमेंट पूरा हो गया। (व्यवधान) आप इस बात के लिये सरकार को मजबूर करै कि काल अटैन्‍ ान मो ान को बाकायदा सीरियसनैस से लें, पूरी इन्फर्में ान कुलैक्ट करे, चाहे दोघन्टे के बाद जवाब दें , दे चाहे कल दे दें, चाहे अगले सै ान मेंं देना चाहे, अगले सै ान में दे दें, लेकिन इन्फर्मे ान जरूरी पूरी होनी चाहिये। जब हम सवाल पूछने के लिये उठते हे तो हमारे एक भी सवाल का जवाब देने के लिये तैयार नहीं होते और कहते हे कि इस पर डिस्क ान नही हो सकती। इसलिये आपसे दरखास्त है कि जो प्रोसीजर अब तक

चला आ रहा है, क्नवै ान्ज चली आ रही है, उनको निभाया जाये और काल अटैन् ान मो ान का जवाब बाकायदा स्टेटमेंट की हालत में दे।

उद्योग मंत्री (डा0मंगल सेन): स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान यह है कि आदरणीय राव साहब ने अपना परपज पूरा करते हुये बहुत दिनों के बाद एक बात कहनी थी वह कह दी ओर एक वाइल्ड ऐलीगे ान हमारे उपर लगा दिया कि सरकार सवालों का जवाब सीरियसली नहीं देती ओर काल अटैन् ान मो ान पर डिबेट करने का मौका उन्हे नहींदेती। अभी–अभी राव साहब, जो पूराने पार्लियामैंन्टेरियन है, फरमा रहे थे कि **लेकिन मैं आपके द्वारा उनका ध्यान रूल्ज आफ प्रोसीजर एंउ कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 73 की और दिलानाचाहता हूं। रूल की वर्डिंग इस प्रकार हैः–

"(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent publiuc importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made." तो स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान यह है कि जो ये बात फरमा रहे थे कि हम हाउस के बिजनैस को बडे लाइटली ले रहे है। और आपके गुड आफिस का इस्तेमाल कर रहे

है यह बात गलत हैं हम हर बात का बडी गम्भीरता से जवाब देते है। मेरे कुलिग ने फौरन ही बिना कोई समय मांगें, जिसको कि वे मांग सकते थे, रैडिली अवेलेबल इन्फर्मे ान के बेसिज पर विधान सभा मे जवाब दिया है ताकि उनकी गलतफहमी को दूर किया जाये। मैं समझता हूं कि उन्होने अपना फर्ज पुरा किया लेकिनराव साहब हाजरी लगानाचाहते थे वह उन्होने लगा दी है।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, इन्हे तो इस बात को एप्रि ायेट करना चाहिये था। आज हाउस एडजर्न हो रहा हैं इसलिये मिनिस्टर साहब ने जानकारी हासिल कराने के लिये समय मांगने की बजाये स्टेटमेंट ही दे दी। (विघन)

चोधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, आन ए पवांयट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने जो रूल पढ कर सुनाया उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। उस पर कोइ डिसक न नहीं करना चाहता लेकिन आपके द्वारा डाक्टर साहब से मेरी एक प्रार्थना है कि अगर मिनिस्टर साहेबान के पास पूरी इन्फर्मे ान अतेलेबल न हो तो वे बे ाक और समय मांग लिया करें लेकिन जो जवाब दिया जाये वह प्रिसाइज दिया जाये। मिनिस्टर का यह कहना कि अगर कटाव हो गया है तो यह कर दिया जाएगा और वह कर दिया जाएगा ठीक नहीं लगता। मिनिस्टर को तो यह बताना चाहिये कि कटाव हुआ हे या नहीं हुआ हैं इसलिये मेरी सिर्फ इतनी गूजारि ा है कि जो जवाब मंत्री जी की तरफ से

आए, गवर्नमेंट की तरफ से आए वह प्रिसाइज हो चाहे ये जवाब देने के लिये और टाईम ले ले ं

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैंबर्ज आज दो काल अटैन् ान मो ान आई थी जो एडमिट की गई। उनके उपर मंत्री महोदय ने जवाब दिया हे ंपहली काल अटैन् ान मो ान नाथ्पा झाकरी हाईडल प्रोजैक्ट के बारे मे थी। उसके बारे मे ंबहुत डिटेल में जवाब दिया गया था हालांकि नोटिस बहुत कम दिया गया था और मिनिस्टर साहब इसका जवाब देने के लिये और समय मांग सकते थे जिससे यह मैटर और आगे चला जाता।

दूसरा पंवायट श्री फतेह चन्द विज जी ने रेज किया। मिनिस्टर साहब इसके लिये भी समय मांग सकते थे। क्योंकि आज यमुना में कटाव एक जगह नहीं दस जगह हो रहा है लेकिनउन्होने हाउस से कोई चीज न छुपाते हुये बिल्कुल स्पश्ट तोर पर कहा कि मैं इस बात की इंकवायरी कराउंगा कि वहां पर किस पवायंट पर कितना कटाव हुआ है ओर अगर जस्टिफाइड हुआ तो पुल की भी योजना बनाई जाएगी। इसके बारे मे, मेरे ख्याल में मैंबर सहेबन मेरे से सहमत हेागें कि सरकार ने अपनी तरफ से बिल्कुल सीरियसली जवाब दिया है।

जहां तक क्वै चन्ज का जवाब देने का समबन्ध है, आज कवै चन्ज अवर में जितने भी क्वै चन्ज का जवाब दिया गया वह मेरे ख्याल में बेहतरीन तैयारी करके दिया गया। आज

मिनिस्टर साहेबान पूरी तैयारी करके आये थे और बहुत अच्छे जवाब दिये गये।

सार्वजनिक उपकमों संबंधी समिति के निर्वाचन के लिये नाम वापिस लेना

Mr. Speaker: Now I have to make an announcement concerning the Committee on Public Undertakings;-

(i) There were five members viz

1. Shri MoolChand Mangla.

2. Shri Sumer Chand Bhatt.

3. Smt. Sushma Swaraj.

4. Shri Devender Sharma.

5. Master Jogi Ram.

in the list of validly nominated candidates, after withdrawls, for election to fill up three casual vacancies in the Committee on Public Undertakings for the year 1978-79. Today Shri Devender Sharma and Master Jogi Ram have withdrawn their candidature leaving three candidates for three vacancies. It the house approves, the two members may be permitted to withdraw their candidature after the due date for withdrawl of names and if the House agrees the result may be declared without resorting to election fixed for 31-8-78 and if the sense of the House is there then we can take that there is no need any election.

Voices: Yes.

कार्य–मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker: Now I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

The Committee met at 4.00 P.M. on Tuesday, the 29th August, 1978, in the Chamber of the Speaker.

The Committee, after some discussiom, recommended that the business on the 30th August, 1978, shall be transacted as under:-

Wednesday, the 30th August, 1978 (at 9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Presentation and adoption of First report of the Business Advisory Committee.

3. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.

4. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Assembly Sine-die at its rising on 30th August, 1978.

5. Legislative Business.

Bills

(1) The Haryana Appropriation (No.4) Bill 1978 in respect of Supplementary Estimates (Ist Instalment) 1978-79.

(2) The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill, 1978.

(3) The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1978.

(4) The Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill, 1978.

(5) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of members) Amendment Bill, 1978.

(6) The Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill, 1978.

(7) The Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill , 1978.

(8) The Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill , 1978.

(9) The Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill , 1978.

Now the Minister for Parliamentary Affairs may move the motion.

स्थानीय प्र ाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): अध्यक्ष महोदय मै प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है ।

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the First report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees.....

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मैं एकबहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ (विघन)

श्री अध्यक्ष: किस सम्बन्ध में? (विघन)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष मोदय, एक प्रिविलेज का सवाल पैदा हो रहा है ंवाटर वर्कस के बारे में मैने एक प्र न उठाया था। परसों आपने स्वयं कहा था कि मितिन्टर साहब एक दो दिन के अन्दर जवाब दे देगें लेकिन आज उत्तर नहीं दिया जा रहा है ं मेरा भाोर्ट नोटिस क्वै चन एडमिट हुआ है। मेरी समझ में नही आता कि आप इसको लाइटली क्यों ले रहे है? (विघन)

उद्योग मंत्री(डा0 मंगल सैन): अध्यक्ष महोदय, यह तो उापके उपर एसप ार्न है यह गलत बात है।

Chaudhri Khurshid Afmed: It can be raised at any time in the House. It cecomes a question of privilege.

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, आप इसे गम्भीरता से लीजिए। आपने स्वयं आ वासन दिया था कि स्वामी जी आपको कल या परसों जवाब मिल जाएगा। यह आ वासनआपने उनसे पूछ कर दिया था। लेकिन अभी वधवा साहब ने बताया कि आज ही हाउस एडजर्न हो रहा है इसिलये मै चाहता हूं कि उसी

उदारता की भावना से आप मिनिस्टर साहब से कहें कि अगर वे अभी जवाब देने के लिये तैयार न हो तो सदन की बैठकसमप्त होने से पहले वे मेरे भाोर्ट नोटिस कवै चन का जवाब दें दें । (विघन)

चौधरी संत कंवरः अध्यक्ष महोदय, इस बात का देा तीन बार स्पश्टीकरण दिया जा चुका है, इसलिये इसके बारे में अब बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है।

Chaudhri Khurshid Ahmed: He has raised a question of privilege and you had promised that the reply to this question would be given by the minister in this House and that promise has been broken by the Minister. Whether it involves a breach of privilege, that is the point on which I expect a ruling from you.

एक सदस्यः यह कौन सी स्टेज है?

चौधरी खुर ाीद अहमदः प्रिवलेज की कोई स्टेज नहीं होती। वह तब तक होती है जब तक आप हाउस में होते है।

राव बीरेन्द्र सिंहः प्रिवलेज तों बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के खिलाफ बनता है, मिनिस्टर के खिलाफ नहीं बनता। इसे आप वधवा जी के खिलाफ लाएं और डाक्टर मंगल सैन जी के खिलाफ लाएं।

डा0 मंगल सैनः हां, हां, क्या बात है? हम तो मैंबर भी नही है।(विघन)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। मिनिस्टर साहब ने भाोर्ट नोटिस प्र न का जवाब देने के लिये आज जो समय मांगा है यह बिलकुल गलत बात है क्योंकि स्वामी जी ने एक स्पैसिॅफिक सवाल किया है और यह सवाल उस मीटिंग के बारे में है जिसकी अध्यक्षता स्वयं उसी सम्बन्धित मंत्री ने की हैं वह इन्फर्मे ान वर्ल्ड बैंक से नहीं मांगनी है कि उनसे कितना पैसा आया है या नही आया है। अध्यक्ष महोदय, प्र न बडा स्पैसिफिक है। कि जो स्टेट गवर्नमैंट ने पैसा दिया था उसकी ऐलोके ान स्वामी जी के कहने के मुताबिक 44 लाख सिरसा को, 44 लाख अम्बाला को और 12 लाख हरियाणा के बाकी जिलों को हुई है। आया यह बात सही है या नहीं । यह बात तो मंत्री महोदय उस वक्त भी बता सकते थे। वे स्वयं उस मीटिंग के अध्यक्ष थे। इन्होने यह पैसा एलोकेट कियां उन्हें इन्फमें ान मंगाने की जरूरत नहीं है इसलियें हाउस को मिस लीड किया गया है। इन्फर्मे ान मंगवाने की जरूरत नहीं है इसका जवाब उसी वक्त दिया जा सकता था।

Shri Lachhman Singh: On a point of Order. This is not the Question of Mr. Agnivesh.

Shrimati Sushma Swaraj: This is the only question.

श्री लछमन सिंहः उनका सवाल यह है कि सन 1977–78, 1978–79 में कांस्टीच्युएंसीवाईज कितना पैसा खर्च हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः यह सवाल नहीं है।

श्री लछमन सिंहः यही सवाल है। आप कवै चन कों पढ़े तो सही? (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः यह सवाल नहीं है।(व्यवधान)

श्री लछमन सिंहः यही सवाल है, आपने क्वै चन पढा है क्या? (व्यवधान) मैनें कल हाउस में यह कहा था कि मैं कल जवाब दूंगा। (व्यवधान) उन्होने दो सालों का मांगा है कि कांस्टीच्युएंसीवाईज कितना पैसा खर्च हुआ है? कांस्टीच्युएंसीवाईज इन्फमें ान तो नीचे फील्ड से ही आयेगी(व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः क्वै चन यह है.....(व्यवधान)

श्री लछमन सिंहः कांस्टीच्युएंसीवाईज इन्फर्मे ान मांगी गई है डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं, आप क्वै चन को पढें? (व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please. स्वामी अग्निवे ा जी का भाोर्ट नोटिस क्वै चन आया। उस वकत मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि वह इसका जवाब इत्तलाह हासलि करके हाउस सायने डाई एडजर्न होने से पहले देने की कोि ा ा करेगें। उस वक्त हाउस की मीटिगं पहली तारीख तक चलने वाली थी और ऐसी भी व्यवस्था होने वाली थी कि सतलुज यमुना लिंक के बारे में एक मीटिंग होने वाली है। इसलिये छःसात तारीख तक भी हाउस के चलने की बात थी। इसको मद्देनजर रखते हुये उस वक्त भाायद

मंत्री महोदय ने कहा कि सायन डाई एडजर्न होने से पहले वह इसका जवाब दे देगें। उसके बाद तो बिजनैस एडवायजरी कमेटी में फैसला हो चुका है कि आज हाउस की नानस्टाप सिंटिंग करके सायन डाई एडजर्न हो जाएगा। मंत्री महोदन ने यह निवेदन किया है कि तीन दिन का समय दिया जाये। मैं उनको तीन दिन का समय सैंक ान कर चुका हूं और इस रूंलिग पर वापिस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वामी जी के सवाल का मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी रिप्लाई तैयार कराके विधान सभा सचिवालय को भिजवा दे।

श्री जगन नाथः आन ए प्वायट आफ आर्डर सर (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप मेरी रूलिंग पर कोई प्वायंट आफ आर्डर न करें।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि सिरसा जिले में ज्यादा पैसा लगाया गया हैं क्या इस बात को छुपाने के लिये सारा कुछ नहीं किया जा रहा है?

श्री अध्यक्षः मेरी रूलिंग पर आप कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं उठा सकते।

श्री जगन नाथः आपकी रूलिंग पर थोडे ही कुछ कह रहा हॅं। यह बात तो उन पर है।

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was Carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): मैं प्रस्तव करता हूं–

कि आज के लिये निि चत की गढ़ कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक के अनिि चत रूप से नियम ''सभा की बैठक'' के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at, this day's sitting from teh provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr.Speaker: Question is-

That the Proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at, this day's sitting from teh provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि ित काल के लिये स्थगित रहेगी।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its risingthis day shall stand adjouned *Sine-die.*

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, मैने भी एक बात कहनी थी कि सरदार जी ने जवाब तो पूरा नहीं दिया इसलिये खाने का इन्तजाम तो ये करवा दें क्योकि सै ान देर तक चलना है। (हंसी)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, आप सै ान सायन डाई एडजर्न कर रहे है लेकिन आप इसको दो तारीख तक के लिये पोस्टपोन कर दें और फिर दोबारा सै ान बुला लें। स्पीकर साहब, यह कानून भी है कि बिलों को पढने के लिये चार दिन का टाइम मिलना चाहिये। इसलिये मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इस सै ान को तीन–चार दिनर के लिये एडजर्न कर दें लेकिन सायन–डाई एडजर्न न करें क्योकि मैंबर साहेबन सारे बिलों को पढ़ना चाहते हैं बिना पढ़े हम अपनी आर्गुमेंट नहीं दे सकते है।

श्री अध्यक्षः सै ान बाद में बुलाया जाएगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः आप सै ान दो तारीख के बाद बुलायें या चार तारीख के बाद बुलायों मै इन बिलों पर पूरी डिस्क ान चाहताा हूं।

चौधरी रामलाल वधवाः स्पीकर साहब, ये बिल्ज मेंबरों को बांटे जा चुके हैं इन्होने यह बिल पढे हुये है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अपोजी ान के मैंबर साहेबन भी थे उन्होने भी यही कहा था।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः इसमें मेरे अनरेबल दोस्त को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। घरों में मैंबरों को टाईम नहीं होता है और न ही लाइब्रेरी की किताबें अवलेबल होती हैं हम आपको अच्छी एडवाइस देगें

श्री अध्यक्षः कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी मेंसब मैंबर साहेबान प्रेजेन्ट थे और यह फैसला हो चुका है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह प्वायंट न उठायें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब चार दिन का समय देने का तो कानून हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहेबान ने भी आना है।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इतने बिल्ज है कि आज के दिन पस नहीं हो सकते। 44वी ं अमैंडमेंट हो रही है, उसकी रटीफिके ान के लिये कुछ दिनों बाद फिर सै ान बुलाना पडेगा।इसलिये आप के जो आर्डीनैन्स लैपस होते है उनको पास करवा लीजिये ओर जो बिल्ज है वे अगले सै ान में रख लीजिये। आप क्यों र ा—थ्रू कर रहे है?

Mr. Speaker: The report of the Business Advisory Committe has already been accpeted by the House and you cannot go back on that. (Interruptions)

Question is-

That the assembly at its rising this day shall stand adjournd Sine-day.

The motion was carried.

व्यवस्था का प्र न

स्वामी आदित्य वे ाः स्पीकर साहब, मैं काफी देर से प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूंलेकिन मुझे सुना हीं नही जा रहा हैं

श्री अध्यक्षः हां बोलिये, आपका प्वायंट आफ आर्डर क्या है?

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय , आज यह सदन अनि ि चत काल के लिये स्थगित होने जा रहा है। इससे पहले मैने.....

श्री अध्यक्ष: यह अनि ि चत काल क्या होता है? (ाोर एवं व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे ा: इनडैफिनिट पीरयिड। इससे पहले मैंने बाढ़ की समस्या पर ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया था और मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वह इसका उत्तर दे देगें। आज तो हालत यह होने जा रही है जैसे पटियाला नरे ा ने 6 महने के बादयह कहा था कि आग बुझा दी जाये। लोग वहां पर बाढ़ मेंं डूबे हुये है, मर रहे है, तबाह हो रहे है, उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसी प्रकार से वाटर लौंगिग की प्रौब्लम पर मैने एक ध्यानकर्शण प्रस्ताव दिया था। इस पर भी कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यह समझ आता है कि यहां पर सारे डैमोक्रटिक नार्म्ज को क ा करके सारे काम किये जा रहे है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो अरजैन्ट प्रेाब्लम्ज है, उन पर तो विचार किया जाये इसके लिये चाहें हमें एक दो दिन के लिये हाउस के समय को एक्सटैंड कयों न करनापड़े।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, एक साईडपर तो जब मैं काल अटै न ान मो ान को एडमिट करता हूं तो आप लोग कहते है कि मैंबर साहेबान को यह सहूलियत नहीं देनी चाहिये और ूदसरी

साईड पर आप कहते हैकि पटियाला भााही हो रही हैं पटियाला में तो पता नहीं क्या क्या होता था। पटियाला तेा एक बहुत बडी स्टेट थी।

स्वामी आदित्यवे ा: स्पीकर साहब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अरजैन्ट प्रौब्लम्ज है, उन पर कार्यवाही करने के लिये सरकार तुरन्त ध्यान दे। अगर इन बातों की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं देना तो फिर यहां सारे हाउस को बुलाने की क्या उपयोगिता है? (ाोर एवं व्यवधान)....

राव बीरेन्द्र सिंहः स्वामी जी आप की बात नहीं मानेगें तो आप क्या करेंगें?

उद्योग मंत्री(डा0मंगल सैन): आपके साथ नहीं जायेगें। .....(हंसी एवं भाोर)

स्वामी आदित्यवे ा: स्पीकर साहब, मैंने नोटिस दिया था, उसका उत्तर आज मिलना चाहियें। ...(व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः हर स्टेज पर सारी डिस्क ान हो चुकी हैं समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे प्वांयट रेज कर रहे है?

स्वामी आदित्यवे ा: मंत्री जी की ओर से मेरे नेाटिस का कोइ उत्तर नही आया।

श्री अध्यक्षः आपका पंवायट आफ आर्डर क्या है? अगर आपका कोई पंवायट आफ आर्डर है तो बताइयें वरना बैठ जाइये।

स्वामी आदित्यवे ाः मेरा यहीं पवांयट आफ आर्डर है कि जो अरजैन्ट प्रौब्लम्ज है, जिनकी ओर मैने सदन का ध्यान आकर्शित किया है, मंत्री महोदय ने कहा था कि वह उनका उत्तर देगें और आज सदन अनि चत काल के लिये स्थगित होने जा रहा, गि इनका उत्तर दिया जायेगा? मेरा यह पवांयट आफ आर्डर है । (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः एप्रोप्रीए ान बिल फाइनांस मिनिस्टर साहब मुव करने जा रहे है अगर कोई बात रह गयी होगी तो वह बात मैंबर साहेबान कह लेगें और फिर उसका उत्तर भी आ जायेगा।

Agriculture Minister(Brig. Ran Singh): And he has no point of Order.

स्वामी आदित्यवे ाः मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मै यह कहना चाहता हूं कि कल हमारा प्राईवेट मैंबर्ज डे था। उसमें हम नान आफी ीयल रैज्योलू ान वगैरह ला सकते थे। किसी कारणव ा हमारो मुख्यमंत्री जी की इस बात से हम सहमत है कि हमारा रावी–व्यास के पानी का मामला इतना अहम है कि हमारे सारे मंत्री मंडल को दिल्ली जाना पडेगा। उसके लिये उनको तैयारी पहले ही करनी पडेगी। उसके लिये उन्होने कल ओर परसों के लिये हाउस को स्थगित करा लिया, इसमें कोई अड़चन नही

है। लेकिन आप भी जरा यह महसूस करेगें कि जब मै।ने आपसे बात की थी तो मैंने यह कहा था कि 31 तारीख को यह हाउस सडजर्न न हो और प्राइवेट मेंबर्ज को अपना रैज्योलू ान लाने का पूरा मौका मिलना चाहिये। उसी के तहत मैं यह चाह रहा था कि हाउस आज ही एडजर्न न किया जाये।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, कल आने मेरे साथि चैम्बर में लगभग आधा घंटा तक बात की थी। मैंने सब प्वायंट आपको समझा दिये थे ओर बाद में आप मुझसे सहमत हो गये थे कि जो फैसला हो गया है, यह ठीक हो गया हैं आज आप उसी प्वायंट पर पवांयट आफ आर्डर रेज कर रहे है, मुझे बडे अफसोस के साथ कहनापडता है कि मुझे तो इसमें कोई प्वांयट नजर नही आता।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, हाउस जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को मन्जूर कर चुका है तो फिर यह उसी बात को दोबरा बार–बार कैसे दोहरा रहे है?

Mr. Speaker: I would request the Finance Minister to please introduce the Haryana Appropiation Bill.

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 4) बिल, 1978

Finance Minister(Shri Preet Singh): Mr. Speaker, I beg to introduce the Haryana Appropiation (No-4) Bill, 1978.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropiration (No-4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: motion moved-

That the Haryana Appropiration (No-4) Bill be taken into consideration at once.

स्वामी आदितयवे ा(हथीन): अध्यक्ष महोदय, इस सत्र का एप्रोप्रिए ान बिल सदन के सामने रख दिया गया हे जोकि थोडी देर मे पस हो जायेगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये) इसमें 253 करोड रूपये का प्रावधान यिका गया हैं इसके अन्तर्गत कई मांगे है। 7–8 मोंगे हे जिनके माध्यम से यह सारा पैसा यह सरकारखर्च करने जा रही है । मैं यह कहना चाहूंग कि अगर सरकार थोडा सा समाज के पिछडे वर्ग की ओर भी ध्यान दे, जो पिछडे हुये लोग है, उनकी तरफ ध्यान दे ओर कुछ थोडा सा प्रावधान उनके लिये भी यिका जाता तो सब से जयादा इस बिल की प्र ांसा होती। उदाहरण के तौर पर हमारे राज्य में जो लोग चौकीदार है, जोलेाग चौकीदाराना करते हेख आज उनको जो मासिक वेतन दिया जा रहा है, वह केवल 55 रूपये मासिक के हिसाब से दिया जा रहा है। उनक`बारे मे इसमें कोई विचार नही ंकिया गया जबकि चौकीदार बेचारादिन राज का मुलाजम हैं कभी वह थाने में जाता है तो कभी तहसील में जाता हैं कोई भी सयरकारी कर्मचारी गांव में पहुंच जाये, वह हमे ाा उसकी हाजिरी मेंपे ा होता है। मेरे पास गुडगावं जिले की तमाम तहसीपलों के चोकीदारों का रैजोल्यू ान आया हुाअ है कि हमारा वेतन 55

यपये से बढाकर कम से कम 150 रूपये किया जाये। मेरा विचार है कि सरकार इस बात की और जरूर ध्यान देगी। दनकी इस मांग का समर्थन करते हुये मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि हांलाकि इस बिल में कोई इस किसम का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस बिल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भविश्य में अब सरकार कोइ सप्लीमैंटरी डिमान्डज और एप्रोप्रिए ान बिल रखेगी तो उस समय हरियाणा के चौकीदारों के वेतन में वृद्धि करने के लिये जरूर विचार करेगी। इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारापलवल, बल्लभगढ और नूंह का इलाका है, वह इलाका आगरा नहर और उसकी जो डिस्ट्रिब्यूटीज है , उनसे सिंचित होता है। उपाध्यक्ष महोदय, उस सारे इलाके मे इतनी बडी लूट है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हालांकि हरियाणा के किसान उससे लाभ उठाते है लेकिन उसका सारा पैसा उत्तर प्रदे ा सरकार को जाता है। स्थिति यह हे कि नहर के जो मुन् ाी है या पटवारी है, वे पहले तो किसानों से मिलकर नहर को कटवा देते है, उसके बाद उनका अधिकारी वहां पर पहुंचकर किसानों पर ताइवान लगा देता है। मैं आपको नोटिस में ऐसा ही एक इन्सटांस लाना चाहूंगा कि वहीन गांव का एक किसान जिसके पास कुल 5 एकड जमीन है, उसके उपर इन्होने 810 रूपये ताइवान लगा दिया हैं मै यह चाहूंगा कि अधिकारियों की यह जो मिलजुल कर आगरा नहर और उसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से बल्लभगढ, नूंह , पलवल और हथीन के क्षेत्र के किसानों के साथ लूट हो रही है उन्हे इस लुट से बचाने के लिये

सरकार अगली बार इस बारे मे कोई न कोई विधेयक लाने पर अव य विचार करें।। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे अभी मैंने कहा कि वह सारा इलाका बाढ से बुरी तरह से प्रभावित है ओर बाढ के साथ ही वहां पर वाटर लोगिंग की बहुत बडी समस्या पैदा हो गयी हैं आज हरियाणा के सामने एक बसबसे बडी ज्वलन्त समस्या है कि किस प्रकार से वाटर लौंगिंग की समस्या को हल किाय जाये। मुझे बडे दुख के साथ यह कहना पड रहा है कि जहां एक एजुके ानल संसथा के लिये 65 लाख रूपये का प्रोवीजन इस एस्टीमेंटस मेंरखा गया है वहां जो बाढ़ग्रस्त इलाके है, उनको बचाने के लिये , जहां पर वाटर लोगिंग की प्रोब्लम है, उससे निपटने के लिये किसी प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है। उपसध्यक्ष महोदख, मैं आपके सामनेयह निवेदन करना चाह रहा हूं कि बल्लभगढ, तहसील , नूंह तहसील और पलवल को डुबोने वाली कई ड्रेने है।उदाहरण के तौर पर बदरोह नं 1 नं. 2 बदरोह नूह ड्रैन वगैरह यह ड्रेन 1962 और 1964 में खोदी गई थी। तब से लेकर आज तक इन ड्रैनों पर कोई भी सायल वर्क नहीं किया गया हैं जिसका नतीजा यह हुआ है कि वहां सारा का सारा पानी खेतों में खडा हुआ है। हम कहते है कि हमारा ड्रैनेज डिपार्टमैंट बहुत अच्छा है, हमारे अधिकारी बहुत कम्पीटेंट है और काम करने वाले है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि जब पानी बरस जाता हे तो वह बरसने के बाद खेतों में भर जाता है। फिर ये दो चार आदमियों को लेकर वहां पर पहुंच जाते है। वहां पर इतना ज्यादा पनी होता है कि आदमी भी उसमें डूब जाये।

वेवहां पर ड्रैन की मेनटेनैन्स के लिये काम करते हुये अपने रजिस्टरों में हजारों मजदूर दिखा देगें लेकिन वहां पर होता कुछ नहीं है। आप देखिये, आपका ड्रैनेज डिपार्टमेंट इतना नाअहल सिद्ध हुआ हैं इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज सारा पलवल सब डिविजन, नूह सबडिविजन और बल्लभगढ का आधा सबडिविजन वाटर लौगिंग की और बाढ की समस्या से प्रभावित हो चुका है। इसलियें मै वह चाहूंगा कि इस सप्लीमैंटरी बजट में तो बे ाक इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है लेकिन जिस प्रकार से सरकार न परम्परा बना रखी है कि पहले खर्च कर लो और फिर पास करा लेा, उसी प्रकार से सरकार तत्काल इस समस्या को हल करने के लिये इन ड्रैनों के ठक प्रकार से वर्क करने के लिये और वाटर लौगिंग की समस्या को हल करने के लिये अलग से लाखों रूपया खच्र करके उस क्षेत्र के किसानों को बचायें। इस क्षेत्र में लगभग 10000 हैक्टेयर जमीन अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। इतना ही नहीं उस क्षेत्र में प ाुओं की बीमारी भी फैल गई है। वहां पर प ाुओं के पांव में ओर मुंह में सूजन आ जाती है, कीडेपड जाते है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि बडी तादाद तें वहां पर प ाु मर रहे है। इसके अलावा वहां के लोगों को पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य स्वामी अग्निवे ा जी ने वाटर सप्लाई के बारे में प्र न पूछा था, उसका ठीक से उत्तर नही दिया गया। उस क्षेत्र के सारे लोगों को ऐंठा की बीमारी हो रही है जिसकों हम डाइसैंटरी कहते हे लेकिन वहां की क्षेंत्रीय भाशा में उसे ऐंठा की बीमारी कहते हैं

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर प ा भी परे ाान है और आदमी भी परे ाान है। वहां पर मच्छरों की इतनी फौज पैदा हो रही है कि जब मैंसंबंधित लोगों से बात करता हूं तो वे कहते है कि ये तो नैचुरल है, सारे कार्य अपने आप ही होते रहेगें। क्या प्रकृति अपने आप सारे मच्छर खतम करदेगी? जब यह सार कुछ प्राकृतिक है, नैचुरल है तो मै यह पूछनाचाहता हूं कि जो हमाराहैल्थ डिपार्टमेंट है, इसकी क्या उपयोगिता ळै? क्या आव यकता है लाखों करोडों रूपया खर्च करने की। हर साल हम लाखों करोडो रूपये हैल्थ की रक्षा के लिये खर्च कर रहे है। मैं यह कहना चाहता हूं कियह जो सारी समस्याएं है, इन समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ध्यान दे। अगर आप इन समस्याओं को हल कर देगें तो मेरे विचार मे कोई अउदमी इसका विरोध नही केगा और इसका स्वागत करेगे। इन भाब्दों केसाथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

चौधरी हरिचन्दहुड्डा(किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इस एप्रोप्रिए ान बिल का सवाल हे इस पर बोलते हुये जो पुराने मैंबर्ज है वे ही ज्यादा समय खा जाते है। ओर उसका फायदा कुछ नहीं होता। इसलिये सबका टाइम बराबर लेना चाहिये। जयादातर मैंबर्ज किसानो का नाम लेते है, किसानों को एक्सप्लाएट करते है लेकिन वे उनकी खेती की डिवैलपमेंट और उनकी खेती के जराये को बढानें की बात नहीं करते। यहां देहात में अस्सी फीसदी आदमियों की पर–कैपिटा इन्कम 50 से 100

रूपये तक है। जब तक इनकी पर–कैपिटा इन्कम नहीं बढाई जायेगी तब तक दूसरे लोगों की, चाहे वे किसी भी केटेगरी के है उनकी आमदनी भी नहीं बढाई जानी चहिये। बजट में इन अस्सी फीसदी लोगों की पर–कैपिटा इन्कम बढाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये और इसको बढाने का जो बेसिक साधन है या बेसिक सीढ़ी है वह खेती ही है। अपने इस दे ा में एगीक्लचर को उस तरह से बढाया जाए ओरइसको बढाने के लिये वही जराये इस्तेमाल किये जायें जो कि दूनियां के दूसरे डिवेलंपिग कन्टरीज कर रहे हैं अभी तक खेती के जराये को बढाने के लिये इसे थयूरी पर ही आधारित रखा गया है , प्रैक्टीकल कदम नहीं लिये गये हैं यही वजह है कि दे ा एक पेटेन्ट भिखारी माना गया है in the international shpere the cuntry has been recognised as a patent begger इसलिये देश के वकार को बढाने के लिये हमें एग्रीक्लचर को बढावा देना पडेगा। Agriculture is essential thanindustry. The role of agricultrue is first and industry is based on it. मेरा तो यही कहना है कि जहां तक इस बजट का सवाल है इसके जरिये किसी और को आगे बढाने से पहले उन 80 फीसदी आदमियों का जिनकी पर–कैपिआ इन्कम इतनी लो है,, उनका ख्याल रखकर आगे बढा जाये।

चौधरी जिरक राम(राई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ दो तीन आइटम्ज पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में, सो ाल वेलफेयर ओर एजूके ान के बारे में ही अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। एजुके ान के बारे में

तो बहुत सीमित सी बात है। एजुके ान बोर्ड तोडने के बारे में सरकार की तरफ से जवाब दियागया था उसके बारे में डिस्क ान के लिये मैंने और मेरे साथियों ने भी प्रार्थना की थी और यह फैसला हुआ था कि इस पर एप्रोप्रिए ान बिल पर बहस के समय बोला जा सकता हैं इसलिये में आपकी अनुमति से अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जो एक्सप्लेने ान दी है उससे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इस बोर्ड के बारे मेंसरकार ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल पक्षपातपुर्ण हैं जो भी एलीगे ान्ज हे अगर आप उनको देखें मतो पता लगेगा कि वे तकरीबन उस समय के है जब स्वामी अग्निवे ा इसके चेयरमैंन नही थे। आज इस असैम्बली का हर सदस्य, हरियाणा का हर आदमी यह जानता है कि एजुके ान बोर्ड को जो तोडा गया हे वह स्वामी अग्निवे ा की वजह से तोडा गया हैं सब लोग यह मानते है कि स्वामी अग्निवे ा अपने सिद्धातों से नही हटे और सरकार की अनुचित बात पर साथ देने के लिये तैयार नही हुये और इसी लिये बोर्ड को तोड दिया गया। यह सरकार का एक अन्यायपूर्ण पहलू है। जो भी चार्ज लगाये गये थे वे बहुत पुराने थे।

श्री प्रीत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर जनरल डिस्क ान हो चुका है। अगर मैंबर साहिबान बोलना चाहते हे तो डिमान्ड तक ही कंफाइन रहें।

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, फैसला यह हुआ था कि डिस्क ान भी कर सकते हैं मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि महज इस बिनाह पर कि स्वामी अग्निवे ा सरकार की या चीफ मिनिस्टर की अनुचित बात में साथ देने के लिये तैयार नहीं थे और इसी वजह से बोर्ड को तोडा गया और इससे ज्यादा अन्याय की बात और कोई नहीं हो सकती। आज अगर सरकारयह सोचती हे कि वह किसी मैंबर को सजा देकर उसका समर्थन हासिल कर सकती है तो वह गलतफहमी मे है। स्वामी अग्निवे ा ने एक उच्च आद र्ा हमारे सामने रखा है। वे ओहदें के कारण किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं कर सकते। फिर उनको सजा दी जाये और हटाकर यह उममीदकी जाये कि वह साथ देगें मेरे ख्याल में इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। आज सारे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि हमारे इलैक ान मैंनिफैस्टों में साफ तौर पर कहा गया था कि कांग्रेस सरकार चैयरमैंन–ि ापऔद दूसरे ओहदे आपस में बांटकर अपने हाथ में रखने की कोि ा ा करती थी और यह एक भ्रश्टाचार हैं लेकिन आज हम देख रहे हे कि सारी की सारी कार्यवाही जिसकी हम नुक्ताचीनी करते थे वह काम आज यह सरकार कर रही हैं कितने असैम्बली के मैंबर है जिनको ओहदे दिये हुये हैं कितने उनके रि तेदार है जिनको बडे पदों पर लगाया हुआ है ताकि वे सन्तुश्ट रहें । यह ठीक बात नही हैं । मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो फैसले है ये ठीक नही है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहकरखत्म कर दूगां और वह यह है

कि एग्रीकल्चर के बढावे के लिये बिजली की पर्यापत मात्रा मिलना निहायत आव यक हे इस बारे में कितनी ही बातें है जिन पर मैं बोलना चाहता था लेकिनसिवाये नाथ्पा–झाकरी के मंत्री महोदय ने और किसी के बारे में जवाब नहीं दिया। 1973 में हिमाचल सरकारऔर हरियाणा सरकार में बातचीत होकर यह फैसला हुआ था कि इस प्रौजैक्ट को दोनों सरकारे चलायेगी। हरियाणा सरकार इस प्रोजैक्ट को फाइनैन्स करेगी और उससे जो बिजली पैदा होगी उससे हरियाणा को लाीा होगा। उस प्रोजैाक्ट से एक हजार साठ मैगावाट बिजली पैदा होनी थी लेकिन आपने उसको खो दयिा। हम देख रहे है कि हरियाणा में जिस रफतार से आज बिजली की मांग बढती जा रही है, उससे, मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर साल 12 परसैन्ट मांग बढेगी, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? हमारी सरकार ने गांवों मे छोटी इंडस्ट्रीज लगाने का प्रोग्राम बनाया है उसके लिए बिजली चाहिये , टयूबवैल्ज और लगेंगे, उनके लिये बिजली चाहिये , लिफट इरिगे ान के लिये बिजली चाहिये , जवाहरलाल नेहरू कैनाल की जा स्कीम है उसके लिये उसके लिये बिजली चाहिये। इस सब चीजों को देखते हुये हमारी बिजली की मांग काफी बढ जाएगी। इसमांग को ध्यान में रखा जाये तो सरकार की बडाी भारी कोताही हे कि उसने नाथ्पा–झाकरी जैसे प्रोजैक्ट को अपने हाथ से खो दिया हैं बिजली की जब कमी होगी तो सारे डिवैल्पमैट के काम रूक जाएंगें इंडस्ट्रीज को बड़ा भारी नुकसान होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सुनने में आया है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का दफतर हिसार ले जाया जा रहा हैं । कुछ कर्मचारी इस बात से बड़े परे ाान है ओर वे हिसार नहीं जाना चाहते। मंत्री महोदय का अगर बस चले तो असैम्बली भी वहां ही बैठने लग जाये। अगर किसी में थोड़ी सी भी सूझबूझ है वह इस बात कों मान नहीं सकता कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का दफतर जिसके चेयरमैंन, मैंबर्ज और कर्मचारियों तथा सरकार के बीच 24 घंटे का तालमेल हो, हर वक्त का तावान हो वह दफतर हिसार केसे जा सकता है? यह कोइ अचछा फैसला नहीं होगा। मैं समझता हूं आज जो फैसले किये जाते हे वे थोडे साम्प्रदायिक और रीजनल कंसीड्रे ान से किये जाते हैं आज हरेक को यह ि ाकायत है कि चाहे ब्यास प्रोजैक्ट का मामला है, नाथ्पा–झाकरी का मामला है और चाहे हैडवर्क्स का ममला है सरकार ने कोई मजबती नहीं दिखाई है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज दोस्ती निभाने के लिये हरियाणा सरकार भाायद चण्डीगढ, पंजाब वालों को देना चाहती है। इसलिये मैं आपके द्वारासदन से यह कहना चाहता हूं कि आप इस मामले में जितनी जल्दी से जल्दी अपना प्रभाव और मेंबर साहेबान का प्रभाव सरकार पर डाल सकेंउतना ही हमारे सब के लिये हितकर होगा और यह जो सरकार कदम उठा रही है उसको ऐसा करने से रोकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, मै ज्यादा न कहता हुआ समाज कल्याण के बारे में कुछ कहना चाहता हं। यहां पर बोलते हुये मंत्री महोदय ने भी समाज कल्याण के बारे में कुछ बातें कही। बड़ी अच्छी बात है लेकिनएक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलानाचाहता हूं कि आज सारी स्टेट में हरिजन लोग और जो दूसरे पिछड़े हुये लोग है उनमें बड़ी धड़ेबन्दीचल रही हैं तो आप ही बतायें कि इस से समाज कल्याण का कार्य कैसे हो सकता हे? देहातों में हरजिन, बेचारा गरीब किसान अपने खेत में नही जा सकता, लोगों में भय है कि कहीं–

चौधरी संत कंवर– आन ए पवांयअ आफ आर्डरं डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी साहब कौन सी डिंमाड पर बोल रहे है? उन्होनेयहां पर कहा कि गरीब हरिजनों कोखेतों तक मे नहीं जाने दिया जाता। वे बताएं कि कौन सा ऐसा गांव हे जहां पर हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें कहां पर रोक रखा है? यह जो कह रहे है वह बिल्कुल गलत कह रहे है(ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो सारे हरियाणा में क ीदगी के हालात बने हुये है उनकी रोकथाम के लिये मंत्री महोदय को और हमारी सरकार को पूरी ताकत लगानी चाहिये। सरकार के पास पब्लिक रिले ान डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण का डिपार्टमेंन्ट है। जितनी भी सरकार की ताकत है उसे ऐसे हालात पैदा कर देने चाहिये कि किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा न हो, किसी प्रकार की किसी किस्म की आपस में

क ामक ा पैदा न हो। इस सब के लिये सरकार को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिये कि ऐसा वातावरण कभी भी हमारी स्टेट में न पैदा हो।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय बोलने के लिये दिया है जोकि एप्रोप्रिए ान बिल पर बोलने के लिये बहुत थोडा हैं सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार का पैसा खर्च किया जाता है इसे बडा सोच सकझ कर खर्च करना चाहिये। वैसे तो आंकडे बताते है कि 85 प्रति ात लोग खेती पर निर्भर करते है लेकिन मैं आपको यह बतानाचाहता हूं कि 100 प्रति ात लोग खेाती पर निर्भर करते है क्योकि खेती के बगैर न किसी भाहर का काम चल सकता हे, न कोई कारखाना चल सकता है और न कोइ दुकानदारी चल सकती है ंहमारी जनता सरकार का जो प्रोग्राम है कि हरेक नागरिक को रोटी, कपडा और मकान मुहैया किया जाए, यह सब कुछ खेती की ही देन हैं डिप्टी स्पीकर साहब, बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि पिछले साल फलड की वजह से करोडों रूपये का नुकसान हुआ, जाने गई, प ाुओं का नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ और खेती का नुकसान हुआ लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। आज भी हरियाणा के गांव गांव में पानी भरा हुआ है, हो सकता है कि उनमें रबी की फसल भी इस साल भाायद न हो पायेगी। इसलिये मैं सकरार से कहूगां कि हमें लोगों की भलाई के लिये

अव य काम करने चाहिये और कै ा प्रोग्राम बनाने चाहिये, जैसा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाये थे। उन्होने गांव गांव में बिजली पहुंचा दी थी और सडके भी पहुंचा दी थी , जहां पर सडके नहीं पहुंच सकी वाहं परउस सरकार ने सड़कें पहुंचाने का यतन अव य किया। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि एक साल के अन्दर अन्दर कै ा प्रोग्राम बनाया जाए ओर एक साल के अन्दर–अन्दर ही हरियाणा के सभी गांवों को नहरी पानी दिया जाए और हरियाणा की खून पसीने की कमाई को बरबाद होने से बचाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैने कल भी बोलते हुये कहा था और आज भी कहता हूं कि चाहे आप नहरें बनाये, चाहे आप फलड पर कंट्रोल करें लेकिन बीच में यह जो ठेकेदार का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाये। इस काम के लिये एक कमेटी बना दो जिसमें संबंधित मिनिस्टर महोदय हो और वे अपने अपने मकहमों का काम मौके पर जाकर संभाले। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे छोटे भाई सुरेन्द्र सिंह ने बसों पर दो तीन बार छापे मारे हे जिससे बसों मे काफी सुधार हुआ है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके पोर्टफोलियों है, आप उतने ही मिनिस्टर्ज बना लो, कोई बात नहीं लेकिन एक –एक महकमें को थौरोली चैक रकने की जरूरत है ताकि फालतू पैसे के खर्च को रोका जा सके।

इससे अगला प्वांयट जो मैं कहना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहब, वह बड़ा आव यक है। सरकार से मेरी गुजारि ा

है कि हरेक तहसील में सरकारी ट्रैक्टर रखे जाएं क्योंकि जो छोअे किसान है वे आना ट्रैक्टर मोल नहीं ले सकते। इसलिये या तो सरकारी ट्रैक्टर के किराए के किसान से थोडे पैसे लिये जाएं या उस छोअे किसान को खेती के लिये फ्री ट्रैक्टर दिया जाये। इसके साथ साथ एक और सुझाव देना चाहताहूं कि अपनी जनता सरकार से कि जिन मेरे किसान भाइयों के पास अपने अपने ट्रैक्टर है उनको प्राईवेट मैंकेनिक बडा लुटते है। एक सूई घालनी हो तो उन किसानों से वे लोग काफी पैसा झाड लेते हे और फिर कहते है कि ताऊ तू आज आ गया, अगर न आता तो ट्रैक्टर खत्म था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टरों की मुरम्मत के लिये सरकार तौर पर मिस्तरी, मैकेनिक रखें जायें ताकि उन गरीब किसानों को लूटने से बचाया जा सके।

इससे आगे मैं ि ाक्षा के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं कि हरेक देहात में एक–एक कन्या पाठ ााला खोल देनी चाहिये क्योंकि लड़कों की पढाई की निस्बत लडकियों की पढाई बडी जरूरी है क्योंकि to teach one girl is equal to teaching one family. इससे एक कुनबा पढ़ जाता है और इस बारे में मैंने कल भी चीफ मिनिस्टर साहब से बात की थी कि कई जगह लोग मिडल स्कूल मांगते है, कई जगहों पर हाई स्कूल मांगते है। तो मै यह कहूंगा कि हमें इन स्कूलों के देने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफें है? देदो, ज्यादा से ज्यादा पैसा पढाई के उपरखर्च कर दो। इन सब बातों के लिये हमें वर्ल्ड बैंक से

कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, सैन्टर से कर्जा लेने की जरूरत नही है। हमारे हरियाणा में बडे–बडे सेठ, बिजनैसमैन, बड़े–बड़े किसान और भट्ठों वाले बैठे है, वे लोग आपको इतनापैसा दे सकते है कि आपके सारे काम एक साल में ही पूरे हो सकते हैं इस लिये इन सब बातों को ध्यान मेरखते हुये सरकार को चाहिये कि हरियाणा में जितने प्राईमरी स्कूलज है उन्हें मिडल औरजितने मिडल स्कूलज है उन्हे हाई स्कूलज बना दिया जाये , ताकि सारा झगड़ा ही मिट जाएं।

श्री उपाध्यक्षः पोहलू साहब, आपका टाईम खत्म हो गया हैं यह जो आप बातें कह रहे है ये तो पहले भी इस हाउस में आ चुकी है।

चोधरी जगजीत सिंह पोहलूः डिप्टी स्पीकर साहब, काम की बात कह लेने दो, बार बार थोडा ये बातें कही जाती है।मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के लोग स्कूलज की बिलडिगों को तेयार करते है। सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता, केवल सरकार ने मास्टर्ज ही लगाने है। आप इतना करें कि आप फीस को बढा दें, ट्रेन्ड छोरे गांवों में धक्के खा रहे है, उन छोरों को इससे रोजगार भी मिल जाएगा और लोगों के बचचे भी पढेंगें और जो क्नया पाइ ाालाओं पर खर्च हो, उसकी सारी जिम्मेवारी पंचायतों पर डाल दो। लड़कियां पढी–लिखी है वे गांवों में स्कूलज चला सकती है ंलडकियों की जो पढाई है, वह देहातों मे बडी जरूरी हे अतः जरूरी कामों पर पैसे को खर्च किया जाये।

फिजूल के कामों पर पैसा न खर्च किया जायें खासतौर से जो पैसा सडकों के निर्माण के लिये खर्च किया जाता है उस पर निगरानी की बडी आव यकता हैं हमारे नये मिनिस्टर श्री मेहर सिंह राठी बने है, बडे काबिल आदमी है, उन्होने कल इसी बात पर अ योंरेस भी दिया था। इसलिये मैं कहूंगा कि इस पैसे को बड़े सोच समझ कर संकोच से और आराम से खर्च किया जाये ओर परसेन्टेज की बीमारी से बचा जाये। जो परसेन्टेज है वह रोड इंस्पैक्टर से लेकर उपर तक चलती हे और इसी परसेन्टेज के कारण आधा पैसा भी सडकों पर नहीं लगता।

इससे अगला प्वांयट डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा यह है कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों, अफसरों को जीपस या कारें अपने इलाके में घूमने के लिये मिली हुई है उसी तरह से एम0एल0एज0 को भी अपने हल्के मे घूमने के लिये कारें या जीपें मिलनी चाहयें क्योंकि एक एम0एल0एज0 भी बडी हैसियत रखता है, उसकी भी बडी पोजी ान है।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, ये सब बातें आप पहले भी बोल चुके है, कोई नई बात आप कहना चाहे तो कहें।

चौधरी जगजी सिंह पोहलूः नई बात डिप्टी स्पीकर साहब, यह है कि गांव–2 में फलडज आये हूये है, पानी खडा हुआ है जिसके कारण वहां पर बीमारियां फैल रही है। आपका जो हैल्थ डिपार्टमेंट है वह बुरी तरह से फेल हो चुका है क्योकि जो

डी0डी0टी0 मच्छरों के लिये दी जाती है वह आउट आफ डैट हो चुकी है। उससे कोई असर नही हो रहा है, कोई मच्छर नहीं मरता। जो डी0डी0टी0 दी जाती है उसको बदला जाये और मच्छरों को मार कर लोगों को मलेरिया से बचाया जाये (ाोर एवं व्यवधान) दूसरी बात जो मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि गांवों में बीमारियों की वजह से गरीब किसानों के डंगर मर रहे है क्योंकि आपके जा`हस्पताल है वहां पर कोई भी दवाई अवेलेबल नही है। किसानों को हस्पतालों से दवाईयां नहीं मिलती ओर लोगों को बाजारों से मोल लेनी पडती है। मेरी सरकार से यह रिकवैस्ट है कि वह लोगों को खुद दवाई सप्लाई करे ताकि वे अपने डंगरों काबचाव कर सकें। इससे अगली बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आपके हस्पताल है उनमें किसी को भी कोई गोली वगैरह नहीं मिलती। लोगों को अपने इलाज के लिये भी दवाईयां बाजार से लेनी पडती है। कई कई तो आपके हस्पताल ऐसे है जहां पर ए0पी0सी0 की गोलियां तक भी नहीं मिलती। इसिलये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हस्पतालों में हर प्रकार की दवाईयों का प्रबन्ध किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हों।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है कि मेरे दोस्त एप्रोप्रिए ान बिल पर बोल रहे है या कि क्रिटीसिजम कर रहे है, He is speaking entirely irrelevant.

अभी काफी बिल पे ा करने बाकी है, सभी मैंबर साहेबान ने बोलना है, इसलिये जरा टाईम का ख्याल रखा जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे भाई को भाायद पता नहीं कि मै एप्रोप्रिए ान बिल रहा हूं और पैसा हर चीज पर खर्च होता है। मैं आपसे एक नई बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा में बहुत से इलाके ऐसे है जहां तीन–तीन फसलें मारी जा चुकी है जैसे बडोदा का हल्का है, पाई हल्का है और सफीदों का हल्का है। इसलियें मेरी गुजारि ा है कि इन इलाकों की तकावी माफ की जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं तोड की कहना चाहता हूं कि हमारा जो बिजली बोर्ड है इसके उपर सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है हमारे खून पसीने की कमाई खर्च होती है और इस बारे में सैंटर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसलिये मैं रिकवैस्ट करूंगा कि बिजली बोर्ड में जो अनपढ़ मैंबर लगाये गये है उनको हटा कर टैक्नीकल मैंबर लगायें जायें। दूसरी बात जो मैं बिजली बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं वह यह हैकि बिजली बोर्ड के दफतर को चंडीगढ़ से हिसार न बदला जाए। ऐसा करने पर एक तो सरकार को नई जगह पर बहुत खर्च करना पडेगा दूसरा इससे हमारा चण्डीगढ का केस खराब होगा। जब तक हमें अबोहर–फाजिल्का का एवार्ड नहीं मिलता तब तक हम चण्डीगढ़ को नहीं छोडेगें और हमारी राजधानी चण्डीगढ़ में ही रहनी चाहिये। वैसे भी चण्डीगढ़ हमें भााह कमी ान ने दिया हुआ हैं । कई लोग कहते है कि चण्डीगढ़

एक सफेद हाथी है लेकिन मैं इसे सफेद हाथी नहीं कहता। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को प्रार्थना करूंगा कि इस बिजली बोर्ड को न बदला जाये और चण्डीगढ़ में ही रखा जाये। चण्डीगढ़ का जो हमें एवार्ड मिला हुआ है उसे जल्दी लिया जाये। इसके लिये अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान की बाजी लगा देते।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़):डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करते हुये इस बिल की डिमांड नम्बर 9, 16, और 17 पर बोलना चाहता हूं। डिमांड नं. 9 में एजुके ान के लिये 65 लाख रूपया रोहतक युनिवर्सिटी को दिये गये हैं डिप्टी स्पीकर साहब, जो रूपया सरकार यूनिवर्सिटी को देती है उस रूपये के उपर सरकार का कोई भी कन्ट्रोल नहीं है, सरकार उसे चैक नहीं कर सकती है। वह सरे का सारा रूपया युनिवर्सिटी की अथारिटी अपने तरीके से खर्च करती है । इस बारे में चौधरी उदय सिंह दलाल को एक एक बात का पता हैं अभी पीछे वहां 40–45 लाख रूपया का फर्नीचर पानीपत के एक आदमी के थ्रू खरीदा गया। उसके बारे में लोग कहते है कि उसमें से ज्यादा से ज्यादा 10–12 लाख रूपये का फर्नीचर रोहतक यूनिवर्सिटी में गया बाकी सारा रूपया दो आदमियों की जेब में चला गया। मैं सरकार के नोटिस मं यह बात लाना चाहता हूं कि जो भी रूपया किसी मुद्दे के लिये सरकार मंजरू करती है उसके लिये सरकार का यह फर्ज बन जाता है कि वह देखे कि वह रूपया ठीक तरह से खर्च हुआ है या नहीं। वह यपया किसी आदमी की जेब में गलीत तरीके से न जाने

पाये। दूसरी बात यह है कि ि ाक्षा की मद का सारे का सारा रूपया यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा हैं लेकिन दूसरी तरफ आज हालत यह है कि जितने बाढ के इलाके है उन तमाम इलाकों के अन्दर स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। आपका इलाका भी ऐसा ही हैं । बरसात के दिनों मे चार महीने तक स्कूलों में बच्चे बाहर बैठकर पढते है। जब बरसाल आती है तो किसी भी स्कूल की छत ऐसी नही है जिसक अन्दर पानी न आये पानी गिरता रहता हे और बच्चे पढ नहीं सकते। उन स्कूलों को ठीक करने के लिये इस मद के अन्दर डिमांड नही ंकी गई। मैं यह मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज को उनकी जरूरत के मुताबिक पैसा जरूर दिया जाये लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह बात हो जाती है कि जो गांव के बच्चे फटे–पुरोन कमीज पहन कर स्कूलो मे जाते है, उनको भी सहायता दी जाए।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं.16 के बारे मे बोलना चाहता हूं। इस डिमांड में सरकार ने विधान सभा से सिर्फ 10 रूपये मांगे हैं बाकी सारा रूपया जो ग्रामीण उद्योगों के लिये लगाया जाएगा वह इंडस्ट्रीज डिपार्टमैट अपनी किसी दूसरी मद से निकालकर लगाएगा। लेकिन हमें डर इस बात का है कि कही यह रूपया स्माल स्केल इंडस्ट्री की मदद में से निकाल कर इस स्कीम मे न डाल दिया जाये। हम सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहते है कि जो रूपया विलेज इंडस्ट्री के लिये लगाया जाये यह इससे भी ज्यादा लगाया जाना चाहिये लेकिन यह

स्माल स्केल इंडस्ट्री की मद से न निकाला जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार से मेरी अर्ज है कि यह जो रूपया विलेज इंडस्ट्री के लिये लगाया जा रहा है यह रूपया हैवी इंडस्ट्री की मद मे से या उस मद मे से जिसमें से फ्री इन्ट्रैस्ट लोन दिया जाता है कम करके इस मदद में डाला जाना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह है एग्रीकल्चर की। इसके लिये दस हजार रूपये की डिमांड की गई है और वह इसलिये की गई है कि एक टीम बम्बई से आई वह टीम इसलिये बुलाई गई कि वह हरियाणा के अफसरों को सलाह दे कि खेती किस तरह से की जा सकती हैं यह एक अजीब बात हे कि हरियाणा के लोग बम्बई के आदमियों से सीखें कि खेती कैसी की जाती है। मैं कहता हूं कि खेती करने में हिन्दुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा इलाका है तो वह पंजाब ओर हरियाणा का इलाका हैं यहां का किसान बहुत सियाना हैं लेकिन इसके बातजूद वह आदमी जिनके बाप ने भी कभी खेती नहीं की वह आकर हमारे किसानों का सलाह दे यह उचित बात नहीं है। यह डिमाडं तो उनके टी0ए0डी0ए0 के लिये की गई है जो हरियाणा प्रदे ा के लिये जंचती नहीं है। बाकी सारी डिमांडे जो दी गई है जैसे श्रम और रोजगार की हे इनेमें जो रूपया दिया गया है यह रूपया कम है इसलिये अगर इनतें और रूपया लगाया जाए तो और भी अच्छा होगां चौधरी रिजक राम जी और पोहलू साहब जिस तरीके से बोले, जैसे उन्होने बिजली बोर्ड को बदलने और चण्डीगढ़ को

छोडने की बात की उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बिजली बोर्ड को दूसरे भाहर में ले जाया जा रहा हे तो उका मतलब यह नहीं कि हम चण्डीगढ़ छोड़ रहे हैं आज लोगों को तीन–तीन सौ मील दूर से चण्डीगढ़ में अपने कामों के लिये आना पड़ता हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि जितने भी बोर्ड और कार्पोरे ान हे ये सारे डिस्ट्रिक्अ लैवल पर जाने चाहियें।

चोधरी ि ाव राम वर्मा(नीलोखेड): उपाध्यक्ष महोदय, जब नान–स्टाप सिंटिंग चल रही है तो आप सभी सदस्यों को पूरा टाईम देने की आज्ञा दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मांग सं0 8, जो बिल्डिग और रोड़ के बारे में हे, कुछ बातें कहनाचाहता हूं। इस में सरकार ने तीन खर्चो के लिये पैसा मांगा है और ये खर्चे कर भी दिये गये है ं। एक खर्चा है 204375 रूपये का, जिसके बारे में अदालत ने अवार्ड दिया हैं मुआवजे का खर्चा बढ़ गया और सरकार को देना पड़ा। दूसरा खर्चा 154445 रूपये का है और इस खर्चे के बढ़ने का कारण भी न्यायालय द्वारा जमीन की कीमत का मुआवजा बढ़ जाना हैं तीसरा खर्चा है 56450 रूपये का, इसमें भी गवर्नमैंट ने मुआवजे की अदायगी की है। अपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जमीन की कीमत नि ि चत करने के लिये जब सरकारी आफिसर नियुक्त होते है तो वे ठीक–ठीक कीमत क्यों नही लगाते।अगर आफिसर ईमानदारी सेकीमत नि ि चत करें तो न सरकार को कोई घाटा होगा और न ही जमीन के मालिक को कोई कश्ट होगा। ऐसा करनेसे सरकार

को पहले ही पता होगा कि हमने इतना रूपया मुआवजे का देना है। इसमें ऐसी बात लगती है कि उन आफिसरों ने ईक कीमत लगाने की कोि ा ा ही न की हो आर इस कारण से ही सरकार को बाद में अधिक मुआवजा देना पडा। जहां तक मैं समझता हूं, सरकारी कीमत जानबूझ कर कम लगाई जाती है। सभी आफिसर्ज के उपर तो भाक नही किया जा सकता, लेकिन कई आफिसर इस किसम के होते है जो जानबूझ कर कम कीमत लगाते है और वे इस ताक मे`रहते है कि कोई जमीन का मालिक आयेगा और उनसे बातचीत करेगा कि उनकीजमीन की कीमत ज्यादा लगा दो। सरकार को जो 154445रूपये की अदायगी करनी पड़ी, इससे साफ जाहिर होता है आफिसर्ज ने गडबड की है। सरकार ने मैसज्र इंडियन मैटलिरजीकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेंड नाम की फर्म को जमीन दी जिसनेसरकार को 115505 रूपये की रा ि ा, जमीन की कीमत के रूप में दी। उसके बाद दोबारा अदालत में जाने के बाद मुआवजा की रकम बढ गई और सरकार को 1 लाख 55 हजार रूपया और मुआवजे के रूप मे देना पड़ा। आ देखें, पहले 115505 रूपये कम्पेन्से ान के रूप मे दिया और बाद में कोर्ट के अवार्ड के मुताकि 155000 हजार रूपया औरकम्पेनसे ान के रूप में देना पड़ा। यानी पहले से भी ज्यादा कम्पेन्से ान बढ गया। इसका कारण साफ दिखाई देता है कि जानबूझ कर पहलजे जमीन की कीमत कम लगाई गई और अगर उसकों ठीक लगाया जाता तो इतनी रकम नहीं बढ सकती थी। इसके साथ–2 उस रूपये का इन्ट्रैस्ट और दूसरा खर्चा भी देना पडा जो सरकार के लिये घाटा

ही है। इसकी जांच होनी चाहिये कि पहले इतना कम मुआवजा किन कारणों से लगाया गया। इसके साथ ही साथ बड़े अचम्भे की बात यह है कि जिस फर्म को जमीन दी थी, वह फर्म ही नही रही इसलिये यह सारा रूपया सरकार को देना पड रहा है। बडी हैरानी है, फर्मकोई जानवर तो है नही, फर्म की बिल्डिंग होती है और फर्म आदमियों की होती है, जानवरों की नही। उन आदमियों का नाम, उनके गांव का नाम, पता कहीं तो कुछ होगा, लेकिन वह फर्म कही नहीं मिल रहीं ऐसा मालूम होता है कि दोचार आदमी आपस में मिल गये होगें ओर सरकार के साथ ठग्गी मार कर फर्म को तोड़ दिया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उन आदमियों को कयों नही पकडा गया? इसकी जांच करने की आव यकता है, सरकार इसकी जांच करे और आगे के लिये सतर्कता बरती जाये कि किसी जमीन की कीमत जानबूझ कर कम न लगाई जाये। जो आफिसर जानबूझ कर कीमत कम लगाये,उससे जवाब मांगा जाना चाहिये और पूछा जाना चाहिये कि उसने जमीन की कीमत कम क्यों लगाई। पांच चार हजार का फर्क हो तो हम समझ सकते है कि अन्दाजा गलत हो गया, गलती होगई, लेकिन 1 लाख 55 हजार रूपया पहली अदायगीसे और जयादा देना पडे, तो मैं समझता हूंकि इस में बडा भेद है। इससे कुर्प ान की बू आती है, इसकी जांच होनी चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम्पेन्से ान लगाने का जो ढंगा हे इसको सुधारा जाये ओर जो पिछले दिनों गलतियां हुई है उनकी जांच करवाएं।

इसके बाद मांग नं. 9 आती है जो एजुके ान के बारे में है। महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के लिये 65 लाख रूपया मांगा गया है औरयह रूपया दे भी दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 65 लाख रूपया यूनिवर्सिटी को देना कहां तक वाजिब है जबकि हमारे हरियाणा के प्राईमरी, मिडल और हाई स्कूलेां में एजुकें ान की बुरी हालत हैं

श्री उपाध्यक्षः यह रेपीटी ान है, आप खत्म करें।(व्यवधान) रैपीटी ान अलाउड नहीं है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः रैपीटी ान नहीं है, मैं नई बात कह रहा हूं। प्राईमरी, स्कूलों में टीचर्ज नहीं है। एक बार मैंने क्वै चन पूछा था जिसमें यह कहा था कि स्टूडैंटस की तादाद के मुताबिक प्राईमरी स्कूलों मे ंटीचर्ज की तादाद बढाई जाये। सरकार ने जवाब दिया था कि हमने तादाद पूरी कर ली है। मैंनें पूछा था कि कैसे पूरी हो गई है? उन्होने कहा कि पहले एक टीचर के पास 30 स्टूडैंट थे और अब एक पास 50 स्टूडैंट कर दिये हैं यानि रे ाो 1:30 से बढा कर 1:50 कर दी है। पहले एक टीचर 30 स्टूडैंट को पढाता था और अब 50 स्टूडैंट को पढायेगा। इस ढंग से टीचर्ज की तादाद पूरी नहीं की जानी चाहिये कयोंकि 1 टीचर को 50 स्टूडैंट पढ़ाने मु ि कल है ओर ि ाक्षा का स्तर गिरने का एक यह भी कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारएक बात अज्र करना चाहता हूं कि ि ाक्षा के क्षेत्र में किसी वर्ग के लिये रिजर्वे ान नहीं होनी चाहिये, बल्कि मैरिट के आधार पर छांट कर अच्छे और लायक टीचर लगाये जाने चाहिये क्योकिं टीचर्ज के माध्यम से जनरे ान का स्तर उंचा होता है। हरियाणा में एक कहावत प्रचलित है—पाधे का पढाया पधूकड़ा और पधूकडे का पढाया आलमाल।इसलिये टीचज्र की सिलेक ान ठीक ढंग से होनी चाहिये। उनको अच्छी तनख्वाह देनी चाहिये, ग्रेड अच्छे बना दे ताकि अच्छे और लायक लोगों को जे0बी0टी0 टीचर बनने में अट्रैक ान हों अच्छे ग्रेड होंगे तो लायक लोग इस क्षेत्र में आयेगे और ि ाक्षा का स्तर ऊंचा होगा। इससे ि ाक्षा भी सुधरेगी और जनरे ान भी अच्छी बलेबी और दे ा तरक्की करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मे आपका अधिक समय न लेकर एक बात लेबर एंड एमपलायमैंट के बारेमे कहना चाहता हूं । सरकार ने दो जगाहें पर आई0टी0आई0 खोले हैं मैं इनका विरोध नही करना चाहता लेकिन इसके साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो मौजूदा आई0टी0आई0 है उनसे हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। इनकी संख्या दो गुणी कर दी जाये और इन में दाखिल होने वाले बच्चों का दाखिला दो गुणा कर दिया जायें पालिटैक्निक इंस्टीच्यू ान्ज भी दो गुणी और उन में प्र ि ाक्षणार्थियों का दाखला भी दो गुणा कर दिया जाये ताकि बेरोजगारी कम हो।सादी बी0ए0, एम0ए0 पास करने से काम नही

चलेगा। जितनी ज्यादा टैक्नीकल एजुके ान होगी उतना ही अनएम्पलायमैंट को दूर करने के लिये सहयोग मिलेगा। इन से निकले हुये टैक्नीकल प्र ाक्षित लोगों में से 30 या 40 परसैट तो अपना काम आप खोल लेगें और बाकी सर्विस आदि में खप जायेगे। नीलोखेड़ी में पालिटैन्क्निक केपास काफी म ाीनरी है, बिल्डिंग भी बनी हुई है, सिर्फ क्लासिज आरम्भ करने की आव यकता है। बिल्डिग की तथा दूसरी सभी सहूलियत वहां आलरेडी मौजूद है। अगर सरकार वहां पर आई0टी0आइ0 खोल देगी तो सरकार का खर्चा भी कम होगा ओरलोागें को आइ0टी0आई0 मे ट्रेनिग लेने की सहूलियत भी मिल जायेगी। आ ाा है कि सरकार इस ओर अव य ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्षः आपका समय हो गया हे , एक–दो मिनट में खत्म करे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः मैं थोडा सा एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं। फसलों की बीमारियों को दूर करने के लिये जो दवाईयों इस्तेमाल की जाती है, वे बहुत मंहगी है। फसलों को बडी भारी बीमारी लगी हुई हैं, दवाईयों इतनी मंहगी है कि किसान खरीद नहीं सकता इससे किसान का ही नुकसान नहीं बल्कि सारे दे ा का नुकसान है। मेरी सरकार से गुजारि ा है कि दवाईयों सस्ती दी जाएं और स्प्रे के लिये पावर–पम्प उपलब्ध करवाएं जाएं। कृशि के क्षेत्र में बिजली की जरूरत ज्यादा बढती जा रही है, इसलिये बिजली भी बढनी चाहिये। एक बात मैं यह

कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड को यहां से ि ाफट करने का सवाल ही नहीं होना चाहिये। यह सवाल केवल बिजली बोर्ड का ही नहीं है ख़ बल्कि मे। तो कहूंगा कि किसी भी महकमें के मुख्य कार्यालय को यहां से ि ाफ्ट नहीं किया जाना चाहिय। यदि किसी विभाग को चण्डीगढ से बाहर ले जाने की बात होती है तो इससे ऐसा लगता हे कि सरकार अपने आप ही चण्डीगढ को छोडने लगी हैं। अगर यहां पर दफतर रहे तो सरकार को भी सुविधा है क्योकि जहां पर सब डिपार्टमैंट इकट्ठे है तो वहां सरकार डिपार्टमेंट के अधिकारयिों से सारी आव यक जानकारी तुरन्त ले सकती है और उन तक सारी बातें भीघ्रता से पहूंच सकती हैं और नीचे तक भी सारी बातें ठीक ढंग से पहुंच सकती है। अगर आप बोर्ड और कार्पोरे ान्ज ओर कोई दूसरे विभाग जिलों में बिखेर देगें तो इससे जहां हरियाणा का नुकसान होगा वहां सरकार को; ऐडमिनिस्ट्रे ान का कंट्राल करना भी मु ि कल होगा। आज एम0एल0एज0 जब यहां चण्डीगढ आते है तो एक दिन में वे दस महकमों का काम कर लेते है ओर अगर वे दफतर ि ाफट कर दिये गये तो उन्हे दस ग्यारह जिलों में घुमना पडेगा यह भी बडी भारी कठिनाई बढ जायेगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं फोरैस्ट के बारे में कहना चाहूंगा। यह पैसा तो सैन्ड डयुन्ज में फोरेस्ट लगाने के लिये मांगा गया है, लेकिन मेरी अर्जयह है कि फोरेस्टस लगाना

तो सब जगहर जरूरी है। इस तरफ जितना ध्यान दिया जायेउतना ही अपने प्रदे ा के लिये लाभदायक होगा।

अन्तिम बात, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं लोन्ज एंड ऐडवान्सिज की डिमांड नं. 25 के बारे में कहना चाहता हूं। यह जो को आप्रेटिव भूगर मिलज को डेढ करोड रूपये दे रहे है यह बहुत अच्छी बात है क्योकि लोगों की पेमैंन्टस रूकी पडी हैं लेकिन इसके बारे में मैं एक बात अव य कहना चाहूंगा कि इन कोआप्रेटिव भूगर मिल्ज की तरफ सरकार को जयादा ध्यान देना चाहिये। आज यहां करनाल भूगर मिल की बात आई थी कि वहां भीरे में चीनी बह गई। पिछला जो एम0डी0 था वह जाते जाते अपनी जान बचाने के लिये खुद लिख कर गया था कि भीरे में तीस हजार किंवटल चीनी बह गई लेकिन देखना यह है कि अगर तीस हजार किंवटल चीनी बह गई तो वह क्यों बह गई? इसके पीछे भी कोई कारण था। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जो प्राईवेट भूगर मिल्ज हे उन्होने किसी को प्रलोभन दे दिया हो ताकि यह लि घाटे में जाकर बन्द हो जाये और उनका अपन खूब काम चले। ज्यादा घाटे का कारण यह भी हो सकता है कि जहां भीरे में चीनी बह गई वहां हेराफेरी में रूपया भी बह रहा है। करनाल भूगर मिल में कई बोगस पेमैन्टस हुई है। जिनका गन्ना आया नहीं पर्ची कटी नहीं, उनकी भी जैजर में पोसिटंग हो गई है और उन्हे पेमैंन्ट भी हो गई है। कुछ पैसे वापिस जमा भी हूये है। बाकियों के लिये टेलिफोन आने भुरू हो गये है कि इनके खिलाफ

कोई ऐक ान न लिया जाए, इनको बचाऔ। इसलिये मैं कहूंगा कि इसकी बडे उंचे स्तर पर इन्क्वायरी होनी चाहिये। इस संबंध में मैं चार पांच पेमेन्टस के बारे मे कहना चाहता हूं। एक तो दस हजार नौ सौ पैंसठ रूपये की बोगस पेमैंट हुई हैं पता लग जाने पर इस मेसे कुछ रकम वापिस आ गयी है। इस केस में गन्ना बिल्कुल नही आया था। यही नहीं पेमैटं भी किसी के नाम से कोई और ही ले गया था। यहां एक बात और हुई है। पीछे कुछ पेमैंअस रूकी हुई थी। लेकिनजहां ओले पडे थे वहां के लिये सरकार ने कुछ पेमैंन्ट खोली थी। इसमें हुआ यह कि जिन्होने गन्ने को लैजर मे चढाया उन्होने उसमें गांव भेणी खुर्द लिख दिया क्योकि वह गांव ओलों की जद में आया था। बिल चीफ अकांउटस आफिसर से पास करा लिये। बाद में असली गांव कलसौरा लिख दिया। इस तरह पेमैंनट हो गई। बाद में कुछ पैसा आया हैं भोश अभी बाकी है। इसकी इन्कवायरी होनी चाहिये।

एक और पेमैन्ट 2451 रूपये की हुई हैं इसी तरह एक पेमैंन्ट 20 हजार रूपये की होते होते रूक गई है। जब पहला केस पकडा गया तो यह पोस्टिंग लैजर में काट दी गई, कंटिग लैजर(खाता) में मौजूद है।

श्री उपाध्यक्षः आप डिटेल्ज लिख कर मंत्री महोदय को देदें।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: एक तीस हजार की और पेमैन्ट जनवरी में हुई है। इसी तरह बोगस ट्रांसपोर्ट बिल बनाकर एक पेमैंट 6755 रूपये की ट्रक वालों को की हुई है। इस तरह से यह लाखों रूपया बनता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एकआदमी है, मैं उसका नाम नहीं लेनाचाहता। (विघन) अगर आप चाहेगें तो ले भी लूगां लेकिनउसके बारे में चूकि बात कंफर्म नहीं हुई हे इसलिये मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे बताया गया हे कि उसने गन्ना बोया ही नहीं था। भाायद उसका बौन्ड भी नही है लेकिनउसने यू0पी0 से तीन–चार रूपये किंवटल के भाव से गन्ना खरीद कर साढे तेरह रूपये किंवटल के हिसाब से मिल को दिया है। वह मिल में कर्मचारी है। वह पिछले एम0डी0 की गुड बुक्स में था औरउसी की वजह से उसने घपला किया हैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस करनाल के मिल में जहां भी हाथ लगाओं वहा गडबड ही गडबड नजर आती है।मैं तो इस मिल को रमलू मिल कहता हूं। रमलू की बात अगर आप कहे तो सुना दूं लेकिन इसमें थोडा समय लग जायेगा। इसलिये मैं ज्यादा न कहते हूये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मिल में जो खर्च हो रहा है वह ध्यान से नहीं हो रहा है बल्कि ज्यादातर पैसा वेसे ही खराब होता है। इससे जहां दे ा कानुकसान होता है वहां प्रांत में भी बडी भारी कमजोरी होती है। आज हमं सडकों के लिये , पानी के लिये और बिजली के लिये रूपये की बडी जरूरत है। इसलिये सरकार को अपना रूपयाखर्च करते समय उसके सही इस्तेमाल का पूरा ध्यान रखना चाहिये और कोआप्रेटिव मिलों की औरतो इसे वि ोश

ध्यान देना चाहिये। (इस समय बहुत से सदस्य एक साथ बोलने लगे) (विघन एवं भाोर)

श्री उपाध्यक्षः आनरेबल फाईनैन्स मिनिस्टर साहब।

वित्त मंत्री(श्री प्रीत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, अभी ऐप्रोप्रिए ान बिल पर बहस हो रही थी। काफी आनरेबल मैंबर्ज ने अपने विचार इस पर रखे है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी।

स्वामी अग्निवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पंवायट आफ आर्डर है। कल जो कुछ हम बोल चुके है याजिस किसी ने अपनी बातें कही है वे आज ऐप्रोप्रिऐ ान बिल पर नहीं बाले सकते, इसके बारे में क्या कोई रूल है?

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, मैं आपकी जानरकारी के लिये सब–क्ला(5) आफ रूल 203 पढ देता हूं। यह इस प्रकार है–

"The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Apropoiation Bill to give advance intimation of the specific points theyintend to raise , and he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repiotitious of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance."

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कैसे जान लिया कि मैं रैपीटि न करूंगी। मैंने तो स्वयं कहा था कि मैं रैपीटि ान नही करूंगी।

श्री उपाध्यक्षः मैंने कहा था कि आप अपने प्वायटंस ख्लिा कर मुझे दे दे लेकिन चूंकि आपने अपने पंवायटस लिख कर मुझे भेजे नहीं इसलिये मैने मिनिस्टर साहब को बोलने के लिये कह दिया। (विघन)

चौधरी बीरेन्द्र सिहंः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी रूलिंग के बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सदस्य ऐप्रोप्रिए ान बिल पर पहले बोले ही नही और अब बोलना चाहते है उनके बारे मे यह कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वे रैपीटि ान करेगें?

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): डिप्टी स्पीकर साहब, यह कौनसे रूल में लिखा है कि मैंबर्ज को मनचाहा बोलने की इजाजत जरूर दी जायेगी। इस बात का तो आपको फैसला करना हे कि कौन–2 से मैंबर्ज ने बोलना है और कोन–2 से मैंबर्ज ने नहीं बोलना है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों की बात का जवाब तो आपने देना है चौधरी राम लाल वधवा ने नहीं, ये पता नहीं क्यों बीच में बार–बार उठ कर बोलते हैं?

श्री उपाध्यक्षः मै जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि आप अपने प्वांयटस लिख कर भेज दीजिये। आपके चूंकि प्वांयटस नहीं आये इसलिये मैने मंत्री महोदय को कहा कि वे बोलें। (विघन)

Chaudhir Birinder Singh: Mr. Deputy Speaker, Sir, I want your ruling.....(Interruption.)

Mr. Deputy Speaker: I have just given my ruling. (Interruptions). I required a slip of points form the Hon. Members who wanted to participate in the debate, but when no slip came to me I called upon the Finance Minister to give reply to the debate.

Chaudhri Birinder Singh: you have given a slip to me only. There are other members also who wanted to speak. (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: Please take you seat as I have now called upon the Hon. Minister to give reply.

वित्त मंत्री(श्री प्रीत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, आज भी काफी आनरेबल मैंम्बर्ज ने इस ऐप्रोप्रिए ान बिल के उपर अपने ख्यालात का इजहार किया हैं जो कल बातें कही थी कुछ सदस्यों ने उन्ही का आज फिर रैपीटि ान किया है। स्वामी आदित्यवे ा जी ने कुछ जनरल नेचर की बातें कही है जैसे चौकीदारेा की नौकरियों के लिये, फलड के लिय या वाटर लौंगिंग के लियें ।मैं समझता हूं कि ऐप्रोप्रिए ान बिल से इनका कोई ताल्लूक नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनके विचारों का ऐहतराम करता हूं। डिमांड नम्बर 8 के उपर चोधरी ि ाव राम वर्मा जी ने अपने कुछ विचार रखे है। उन्होने एतराज किया है कि इतनी पेमैंट इस स्टेज पर क्यों देनी पडी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सन 1961 में जब ज्वायंट पंजाब था उस वक्त लैन्ड औनर्ज की

लैन्ड एक्वायर की गई थी। उसके बारे में कोर्ट ने जो फैसला दिया कि इसका कम्पेनसे ान दिया जाये तो हाई कोर्ट के उस डिसिजन को आनर करने के लिये यह पेमैन्ट की गई है। उस रूपये को देने के सिवाये गवर्नमेंट के पास कोई और आलटरनेटिव नही था। जहां तक कम्पनी की पेमैंन्ट का ताल्लुक है, इसमें भी हाई कोर्ट का डिसिजन हैं वैसे गवर्नमेंट इस बारे मे पता लगा रही है कि कौन उस फर्म के मालिक है और लज्दी से एक ान लेने जा रही है। अगर फिर भी फर्म का पता नही लगेगा तो गवर्नमेंट उस कम्पनी की बिल्डिग को, मैटीरियल को अपने कब्जे में ले लेगी। गवर्नमैट ने जो उस कम्पनी से पैसा लेना है वह रिकवर कर सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नही है।

दूसरी चीज, यहां पर कई आनरेबल मैंबर्ज ने डिमान्ड नं.9 के बारे मे जिक्र किया हे कि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी को सरकार 65 लाख रूपया देने जा रही हैै। लेकिन उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है। ऐसी बात नही है हर बात का ध्यान रखा जाता है। कुछ मैंबरान ने स्कुलों के बारे में जनरल डिस्क ान की है। स्कुलों की बिलिडंग के बारें, टीचर्ज के बारे और जनरल नेचर के ख्यालात का इजहार किया है। इस बारे में केवल इतना बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस सारी प्रोबल्मज को जल्दी से जल्दीदूर किया जाये। जैसा कि मैने पहले भी बजाया था कि एजुके ान का जो बजट था उसमें दस लाख रूपये का प्रोवीजन और कर दिया गया हैं स्कूलों की बिल्डिगज को मेनेटेन

करने के लिय ` एक अलग से सैल खोले जाने की प्रोपोजल अन्डर–कंसिड्र ान है।

कुछ मेरे दोस्तों ने इरीगे ान ओर पावर के बारे मे भी जिक किया है। मैं उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले साल काक जो जनरल बजट था उसके अन्दर इरीगे ान और पावर के लिये काफी पैसे का प्रोविजन किया गया था। गवर्नमैंट कोि ा ा कर रही है कि हमारी एग्रीकल्चर की, इन्डस्ट्री की, पानी की और पावर की जरूरीयात पूरी की जायें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अधिक से अधिक बढावा दिया जा रहा है।

कुछ दोस्तों ने अपने ख्यालात का यह भी इजहार किया हे कि पैसे का अच्छे से अच्छा यूज होना चाहिये। मिस–एप्रोप्रिऐ ान नहीं होनी चाहिये, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। मैंसदन को यकीन दिलाता हूं कि पबिलक के पैसे का मिस–एप्रोप्रिऐ ान नहीं होगा। यदि कोई भी सदस्य इस किस्म की जानकारी देगा कि कही पर करप् ान हुई है , पैसे का मिस–यूज हुआ है तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक ान लेगी। जहां तक यूनिवर्सिटी के खर्चे पर कन्ट्रोल करने की बात है, हम आडिट डिपार्टमैंट से आडिट करवाते है। जहां इस किस्म की गलती पायी जाती है कि यहां पर करप् ान हुई है तो एक ान लिया जाता हैं अगर आप गवर्नमेंट के पास कोई स्पैसिफिक केस नोटिस में लायेगें तो इन्कवायरी करेंगे और ऐक ान लेगें। इतना कह कर मैं अपनास्थान लेता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister(Shri Preet Singh): Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No 4) Bill be passed

Mr Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No 4) Bill be passed.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह(उचाना कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, अढाई करोंड से उपर का एप्रोप्रिए ान बिल सरकार पास करवाने जा रही है। इसमें से डेढ करोड रूपया डिमान्ड नम्बर 25 के तहत

लोन की भाक्ल में कोआप्रेटिव भाूगर मिल्ज को दे रही है। जो साढे चार करोड रूपये का घाटा पिछले साल भाूगर मिलों को पडा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में किसान के गन्ने के भाव को साढे तेरह रूपये से घटा कर बहुत नीचे ले जाया जायेगा। कोई भी संस्था जो मुनाफा कमाने वाली है वह चाहे कोआप्रटिव सैक्टर में हो या प्राईवेट सैक्टर में हो, वह इस बात पर नहीं चल सकती है कि उसको घाटा रहे। इस बिल द्वारा जो डेढ करोड रूपया किसानों के लिये लिया जा रहा है उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन एक बात का विरोध करता हूं कि जो डेढ करोड रूपया उन किसानों को दिया जा रहा है हइससके उनको तो पेमैंन्ट पूरी मिल जायेगी लेकिन जो भाूगर मिलों के अन्दर कोआप्रेटिव भाूगर मिल्ज के अन्दर धांधलेबाजी होती है ओर करोडो रूपये की म ानरी में हेराफेरी होती है, गन्ने की बोगस पेमेंट होती है उसका भी तो प्रबन्ध होना चाहिये। जो यह साढे चार करोंड रूपये का घाटा हुआ है इसके सारे लूप–होलज पता किये जाते तो घाटा नहीं पड सकता था। इस बात से साफ नहजर आता हे कि अगले साल किसानों को भाायद दस रूपये भी गन्नें का भाव न मिले। यह बहुत अनोखी बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जब किसान ज्यादा गन्ना पैदा करता है तो उसकी उचित कीमत भी प्राप्त करना चाहता है किसानो को सही कीमत नहीं मिलने पर वे आधी खेती की ओर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगें । जब कम पैदा करेगे तो लोग

चिल्लायेगें। गन्ना, गेहूं और बाजरा नहीं मिलेगा तो लेाग जरूर भाोर मचायेगें। किसान जिस खेत मे पचास मन पैदा करता हे वहां पर वह तीस मन पैदा करेगा। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आज हरियाणा सरकार नाथ्पा–झाकरी, जहां पर एक हजार साठ किलोवाट बिजली पैदा होगी वहां से अपनाक्लेम छोड चुकी है। थीं डैम पर से भी अपना हक छोड चुकी है। हम बार बार यहां सदन में कहते रहै।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री वीरेन्द्र सिंह): पवायंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मैंम्बर साहब यहां पर इस किम की मिस–लीडिग स्टेटमेंट दे रहे है कि हरियाणा सरकार थीं डैम पर अपना हक छोड चुकी है। यह इस एलीगे ान को कैसे सब्सटैं ागियेट करते है?

Shri Shamsher Singh: This is no point of Order. The Minister should not interrupt a member.

Shri Verender Singh: Share has not been determined so far. Such a misleading statement should not be allowed to be made in the House. (Interruptions)

Chaudhri Birinder Singh: This is not a misleading statement. I want to draw the attention of the House that on the 3rd October the Thein Dam dispute was settled and it was in the Rajya Sahba/Lok Sabha that a statement was made during the March Session that the Thein Dam dispute had been settled.

Shri Verender Singh: This is not correct. I accept the challenge और इस चाज्र को सब्सटैं ीयेट करने के लिये आप मैंबर साहब को कहें।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी मैं आपसे पहले ही रिक्वपैस्ट करने वाला थाकि आप ऐसी कोई बात न कहें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं हाउस की इत्तलाह के लिये इस बात को फिर से होहराना चाहता हूं कि (व्यवधान) राज्यसभा में इरीगे ान और एनर्जी मिनिस्टर ने यहब्यान दिया था..... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं यहां हाउस को यह बताना चाहता हूं कि डैम का मसला जो कई सालों से लटका हुआ था, और पिछली जानेवाली कांग्रेस हकुमत दे ा की ऐसी समस्या को सॉल्व नही ंकर सकी, जनता पार्टी की सरकार ने, प्राइॅम मिनिस्टर जी ने आते ही उस मसले का सोल्यू ान किया। उसकी एक्सीक्यु ान की क्लीयरैन्स दी। इसके अन्दर कोई भाको–सुबह नहीं कि जो गवर्नमेंट के लिये केडिट की बात है वह यह है कि उसमें भोयर का डिटरमीनेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया, कन्सर्न्ड स्टेट्स की सलाह से करेगी। अभी इस बारे मे कोई वाजिबफैसला नहीं किया गया है। केवल एक्सीक्यु ानकी क्लीयरैन्स हुई है। जो मिस–लीडिंग स्टेटमैंट इतने जिम्मेदार मैंम्बर ने दी है, यह हाउस के खुद के उपर रिफलैक ान है । ऐसी स्टेटमैंन्ट उन्हे नही देनी चाहिये। मै

हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस मामले को सूटेबली डील कियाजाये।

चौधरी बीरेन्द्र सिहं: डिप्टी स्पीकर साहब, में अब भी यह बात कहता हूं कि 3 अक्तूबर को यह मामला सैटल हो गया है। सैंटर के एनर्जी और इरीगे ान मिनिस्टर जो है उन्होने राजय सभा में स्टेटमेंट दी हे कि थीं डैम की एक्सीक्यू ान के लिये वर्क भाुरू हो गया है और उसमें इतना–2 भोयर पंजाब देगा,, इतना भोयर हिमाचल देगा। जब हरियाणा का एक्सीक्यू ान में कोई हिस्सा नहीं मिला, पैसा लगाने के लिये कोई हिस्सा नहीं मिला तो उसको वहां से बिजली कैसे मिल सकती है? डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ यही था। मैं मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट को चैलेन्ज करता हूं। अगर वे मेरी स्टेटमेंट को चैलेन्ज करना चाहे तो करें। I can prove on the floor of the House that the Thein Dam matter has been settled once for all.

Mr. Deputy Speaker: I would draw the attention of the hon. Member to Rule 201 which reads-

"The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under duscussion."

Chaudhri Birinder Singh: This is very much in continuity with the grant. (Interruptions)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: No grant has been claimed for power.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो कलियर है कि मिनिस्टर साहब ने गलत स्टेटमेंट दी है। (व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बिलकुल रेलेवन्ट बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आज अगर हरियाणा का किसान.....(वयवधान एवं भाोर)He has shown by conduct that they have left their share.

चौधरी गंगा राम: मैं हाउस के तमाम मैंबर साहेबान से एक रिक्वैस्ट कंरूगा कि हाउस के अन्दर बहुत ही गलत और मिसलींडिग स्टेटमैंटस दी जा रही है। और एक बात पर दोनेा तरफ से चैलेन्ज किया जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस को मिसलीड करना एक जुर्म है। जब ये दोनो ही एक दूसरे को चेलैन्ज कर रहे है तो यह मैटर जो है यह प्रिविलेज कमेटी केअन्दर जाना चाहिये क्योकि मैं प्रिविलेज कमेटी का एक मैंम्बर भी हूं।.....(व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, मैं बडी सीरीयसली कह रहा हूं कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह ज ने और हमारे मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है, वह सारा मामला कमेटी के अन्दर आना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker: Chaudhri Birinder Singh, Kindly wind up your speech within two minutes.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, 10000 रूपया इस सप्लीमैंटरी एस्टीमेंट्स में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिये मांगाजा रहा है कि उन्होने किन्ही एकसपर्टस को बुलाया था, उनके आने का और उनको टी0ए0/डी0ए0 का खर्चा जो किया था वह इन्होने देना है। एक तरफ तो डिप्टी स्पीकर साहब,हरियाणा के एग्रीकल्चर विभाग के कृशि, विभाग के कर्मचाहिरयों की यह हालत हे कि वहां पर एक पोस्ट होती हे सब–इन्सपैक्टर की जिसका सीधा सम्बन्ध किसान से होता है। किसान को अच्छे बीज के बारे और अच्छे खाद के बारे मे बताना उनका काम हैं लेकिन उसकी प्रेामो ान के लिये कोई एवेन्यूज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सब–इंस्पैक्टर भर्ती होता है तो वह सारी उम्र सब–इंस्पैक्टर ही रहता है।उसको कोई प्रोमो ान नहीं मिलती। एक तरफ तेा ऐसी हालत है कि उनकी तनख्वाह भी कम है और उनकी प्रोमो ान भी नही होती और उनकी हालत इतनी दयनीय है जो कि काबिले ब्यान हैं दूसरी तरफ जैसे चौधरी जगजीत सिंह पोहलू ने बताया कि लोगों की परसैंटैज बन्धी हुई है। मैं यह कहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों को जिनका सीधा सम्बन्ध किसान की उपज को बढाने से है, जिनका उपज बढाने मे सीधा हाथ है उनके लिये अच्छे ग्रेड दिया जाये। उनके लिये एवेन्यूज आफ प्रोमो ान यानि पदोन्नति के चांसिज बढ़ायें जाये। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात कह कर मै ंबैठ जाऊंगा कि अगर सरकार यह समझती है कि किसान की उपज ज्यादा बढ़े , उसकी पैदावार बढ़े तो सरकार को हर प्रेाजैक्ट पर कितना भी

ज्यादारूपया खर्च करना पड़े, करना चाहिये। अगर वह ऐसा करेगी तो उससे हरियाणा को फायदा होगा। हमं यह भी देखना पड़ेगा कि आने वाले भविश्य में हरियाणा को बिजली से कितना फायदा हो सकता है। इसलिय`सरकार को आगे बढ कर इस चैलेन्ज को एक्सेप्ट करना चारहिये और बढ़ी हुई बिजली का ट्यूबवैलों के लिये, छोटी–2 इंडस्ट्रीज के लिये, रोजगार धन्धे उपलब्ध कराने के लिये करना चाहिये। इसी तरह से हरियाणा में नहरो मे पानी भी बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से मै ंयह समझता हूं कि एग्रीकल्चर की मद के अन्दर सरकार को यह चाहिये कि वह किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत दिलाये। मैं यह चाहता हूं कि सरकार यहां पर यह अ योर कराये कि जो डेढ़ करोड रूपय कोआप्रेटिव भाूगर मिल्ज को ग्रान्ट दी जा रही है इसकी वजह से किसान के गन्ने का भाव साढे तेरह रूपये से कम नहीं होगा, बढ़ बे ाक जाये। धन्यवाद।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No-4) Bill be passed.

The Motion was carried.

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैकिंड अमैंडमेंट) बिल, 1978

Agriculture Minister(Brig. Ran Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill. 1978.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr.Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by Clause.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister(Brig. Ran Singh) Sir, I beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि जब तक एक साल में इलेक ान हो तब तक के लिये यह एड कर दिया जाये कि जिस मार्किटङ कमेटी का पैसा हो वह उसी पर खर्च होना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमेंट) बिल, 1978

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to in Produce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1978.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal (Amendment)Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment)Bill be taken into consideration at once.

चौधरी ि ाव राम वर्मा(नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं और चौधरी राम लाल सौभाग्य से एक जगह बैठा करते थे। उस समय जब ऐसी अमेंडमैंट होती थी तो मै और ये सलाह करके उसकी मुखालिफत करते थे, विरोध करते थे और चौधरी राम लाल तो बहुत तेजी से विरोध किया करते थे लेकिन आज ये उसी प्रकार की अमेंडमेन्ट लाये है जिसका विरोध मुझे करना पड़ रहा है। उस समय जग पांच साल की बात हुई तो इन्होनें उसका विरोध किया लेकिन अब ये पांच साल का विरोध करने के बावजूद खुद एक साल ओर बढ़ा रहे है क्योंकि अब वे खुद मंत्री बन गये है। मेरा कहना यह है कि यह नहीं होना चाहिये। जिस तरह से ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गये है। उसी तरह म्युनिसीपल कमेटीज और नोटीफाईड एरिया कमेटीज के भी चुनाव होने चाहिये। इनके चुनावों को डिले करने की टेकटिक्स नहीं अपनानी चाहियें। मैं चाहूंगा कि इस अमैंडमेन्ट को वापिस ले लिया जाये और चुनाव कराने का प्रबन्ध करना चाहिये।

श्री मांगे राम गुप्ता(जीन्द): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो अमैंन्डमेंट आई है यह ठीक नहीं है।चौधरी राम लाला जी ने बताया है कि कमेटी की पहले तीन साल मियाद थी उसको बढ़ाकर पांच साल कर दिया गयाथा यही लोग थे जो उस वक्त पांच साल मियाद करने का विरोध करते थे लेकिन आज ये ही उसको बढाकर छः साल कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा रेजीडेन्स शहर में है ओर मै। म्युनिसिपल कमेटी के बोर में सारी

बातें समझता हूं कि कमेटी की मियाद बढ़ाने के क्या लाभ हैं और क्या हानि होगी। हमारे देश की बदकिस्मती यह है कि कहीं लोगों को जातपात के आधार पर भड़काया जा रहा है, कहीं पर हमारे कुछ भाई शहरी और गैर–शहरी का सवाल उठाकर लोगों को भड़का रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो वही कहावल है कि किसी ने कहा कि मैंने दिल्ली में लोग पालकी में जाते हुए देखे। इस पर किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा कि आपने पालकी में लोग जाते हुए तो देख लिये लेकिन जो लोग पालकी को उठा रहे थी वे भी दिल्ली में ही रहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह भावना गल्त है कि शहर में जो लोग रहते हैं वे सारे अमीर ही रहेते है और वहां पर सारे साधन उपलब्ध हैं। ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से देहात के अन्दर गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग रहते हैं उसी तरह से शहर के अन्दर गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग रहते हैं उसी तरह से शहर के अन्दर भी गरीब और अमीर आदमी रहते हैं (व्यवधान) आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बोलने दीजिए।

चौ. राम लाल वधवा: लेकिन आप रैलवेन्ट तो बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल रैलेवेन्ट बोल रहा हूं। (व्यवधान) मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक ही बोल रहा हूं। जब सरकार ने म्युनिसिपल कमेटियों को बीच में ही सुपरसीड कर दिया तो गवर्नमैंट ने उनको चलाने के लए एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर

लगा दिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वह आउट आफ दि सिटी का होता है। उसको शहर के लोगों की तकलीफ का कुछ पता नहीं होता। जो लोकल मैम्बर्ज होते हैं वे शहर की हर बात को समझते हैं। वे लोगों की तकलीफ को समझते हैं लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वह सरकार की तरफ से लगाया जाता है। वह लोगों की तकलीफ को सुनता नहीं है बल्कि एग्जेक्टिव पावर्ज के अन्दर कुछ गल्त कानून पास कर देता है और उससे लोगों को तकलीफ होती है। मैं अपने जींद की बाबत बताता हूं कि जींद की म्युनिसिपल कमेटी सुपरसीड हुई और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। उस एडमिनिस्ट्रेटर ने 31 मार्च, 1978 को हाउस टैक्स लगाने के लिए लिस्ट फाइलन की और वह टैक्स 1 अप्रैल, 1977 से लगा दिया। कानूनन तो यह टैक्स लगाना ही गल्त है क्योंकि सरकार ने हाउस टैक्स एग्जैम्पट कर रखा था और पिछली तारीख से तो लगाना बिल्कुल ही गल्त है। जींद की म्युनिसिपल कमेटी को हाउस टैक्स से म्युनिसिपल एक्ट की धारा 101 (ए) के तहत एग्जैक्पट किया हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, शहर में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं। हाउस टैक्स लगने से गरीब आदमी पर बहुत बोझ पड़ेगा ओर वह बेचारा बहुत ही परेशानी महसूस करेगा (व्यवधान)।

चौ. राम लाल वधवा: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि जो

बिल है उस पर ही बोलें क्योंकि इससे मुझे जवाब देने में सुविधा होगी और मुझे उस पर ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता: अगर मंत्री जी ऐसा कहते हैं तो इस बारे में मैं और नहीं कहूंगा सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस हाउस टैक्स को बन्द किया जाए।

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. राम लाल वधवा): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी माननीय सदस्य चौ. शिवराम वर्मा जी ने एक बात कही मैं आज भी उस पर कायम हूं उससे पीछे नहीं हटा हूं। मैं आपके द्वारा उन्हें सूचना देना चाहता हूं कि मुझे अभी चार्ज लिये केवल तीन महीने ही हुए हैं और मैंने 24 दिसम्बर की डेट इलेक्शन के लिये मुकर्रर कर दी है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह एक साल की मियाद बढ़ाने की स्थिति इसलिये पैछा हुई कि सन् 1973 में बंसीलाल की जो पिछली सरकार थी, उसने म्यूनिसिपल एक्ट में यह तरमीम कर दी थी कि तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे और तीन साल के बाद चुनाव होंगे। इस प्रकार की एक नयी डेमोक्रेसी इस हाउस के अन्दर लाई गई थी जिसका हम दोनों ने विरोध किया था लेकिन हाउस में बहुमत होने के कारण बंसीलाल सरकार ने वह म्यूनिसिपल एक्ट पास कर दिया था। तीन साल के बाद उस सरकार को चुनाव करवा देने चाहिए थे लेकिन चुनाव करवाए नहीं गए बल्कि उसकी मियाद दो साल और बढ़ा दी यह कर दिया कि 1978 तक यह चुनाव नहीं होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। अब हमारी जनता सरकार ने आने के बाद यह फैसला किया

कि चाहे म्यूनिसिपल कमेटियां हों, चाहे पंचायतें हों, चाहे कोई दूसरे अदारे हों, हमने नये सिरे से प्रजातन्त्र को यहां पर कायम करना है और वह प्रजातन्त्र कायम किया भी है एक एक करके हम चुनाव करा कर पब्लिक के हाथ में सब कुछ देते जा रहे हैं यह एक साल की मियाद बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि हम एक साल आगे जा रहें हैं, बल्कि हमने तो केवल एक कानूनी खला को पूरा करने के लिये ऐसा किया है। पांच साल 1978 में खत्म हो रहे थे, इसलिये सारी फारमैल्टीज पूरी करने के लिये जो समय लगना था, उसके लिये हमें एक साल का समय बढ़ाना पड़ा है। यह तो सिर्फ एक कानूनी खला पूरा रकने के लिये ऐसा कदम उठाया गया है वैसे इलैक्शनों के लिये हमने 24 दिसम्बर की तारीख निश्चित कर दी है। (थम्पिग)

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

चौ. शिवराम वर्मा (नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी मंत्री महोदय जी ने जोकि हमारे आनरेबल साथी भी रहे हैं,

यह कहा कि तीन साल इलैक्टिड कमेटी रहेगी और तीन साल एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा लेकिन तीन का पांच हुआ और अब पांच का छः कर रहे हैं। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: वर्मा साहब, आप समझे नहीं। (शोर)

चौ. शिवराम वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, अब पांच का 6 कर रहे हैं और यह ऐक्ट में रहेगा इसलिये इसी का हमने विरोध किया था क्योंकि इसको हटाने का फिर दोबारा संशोधन आयेगा इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस बारे जरा विचार करें। इसी तरह लोगों के विरोध करने के बावजूद जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बने थे और बाद में सरकार ने तोड़ दिये हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं (थम्पिग) डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम विरोधी पक्ष में बैठा करते थे तो उस समय हर रोज कहा करते थे कि ये इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट जो हैं, बिल्कुल सफेद हाथी हैं और अब सरकार ने उनको तोड़ कर बड़ा अच्छा काम किया है, सचमुच सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक साल और ये कमेटियां इसी प्रकार चलेंगी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों का काम भी कमेटियों के ऊपर आएगा। तो जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों ने लोगों की जमीने ले रखी हैं और उन जमीनों का कई सालों से लोगों को पैसा नहीं मिला है यानि उन लोगों का लाखों रूपया इन ट्रस्ओं की तरफ बकाया है तो उस पैसे को देने का सरकार प्रशासकों को आदेश दे कर कुछ न कुछ प्रबन्ध करे। जो एक साल की मियाद सरकार बढ़ाने जा रही है इसकी समाप्ति से पहले मैं यह

चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीने इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों ने ले रखी थीं उनको उस जमीन की कीमत दे देनी चाहिए नहीं तो इस मियाल के बढ़ाने से लोगों के दिलों में यह भ्रम आएगा कि शायद अब उनकी यह बात एक साल और पीछे पड़ गई है पता नहीं क्या होगा।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की क्लाज दो पर बोलना चाह रही हूं। बिल की क्लाज 2 के अन्तर्गत हरियाणा नगरपालिका एक्ट की धारा 277 की उपधारा में 5 वर्श शब्द के स्थान पर 6 वर्श शब्द रखा जायेगा बिल के उदेश्यों और कारणों में भी यह ब्यान किया गया है और अब सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने अपना ब्यान देते हुए यह बात कही है कि चुनाव के लिए 24 दिसम्बर की डेट फिक्स कर दी है और बिल लाने का कारण केवल मात्र इतना है कि नगरपालिकाओं की सीमाओं में कुछ विस्तार किया जाना था यह कहीं कुछ कमी की जानी थी और इलैक्टोरल रोल तैयार किये जाने थे। इसी वजह से यह एक साल की अवधि बढ़ाई गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इस बारे में एक स्पश्टीकरण लेना चाहती हूं कि यह जो कारण या उदेश्य इन्होंने बातए हैं या अपनी स्पीच में इन्होंने जो कुछ कहा है ये कारण कोई परमानेन्ट कारण नहीं है बल्कि एक पर्टीकुलर पीरियड से सम्बन्धित हैं। बल्कि ये जो कारण जैसा कि आज इलेक्टोरल रोल के बनने में दिक्कतें आई हैं या नगरपालिका सीमााओं के विस्तार या कमी के लिये जो समय

चाहिएं, ये केवल मात्र आज के हालात हैं इसलिये आज के हालात में अवधि को बढ़ाकर पांच से छः साल करने से तो बेहतर था कि 24 दिसम्बर तक का समय ही मांग लेते। अगर ये पांच से छः साल का समय भी कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं लेकिन क्या मंत्री महोदय स्पश्टीकरण देने की कृपा करेंगे कि क्या यह संशोधन इस क्लाज में बना रहेगा और इसके अन्तर्गत म्युनिसिपल कमेटियां के चुने हुए सभी सदस्य 6 वर्श के लिये चुने जायेंगे अगर ऐसा है तो हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि संसद के चुनाव भी पांच वर्श के लिये होते हैं और विधान सभाओं के चुनाव भी पावं वर्श के लिये होते है। जब संसद ने अपनी अवधि पांच वर्श से बढ़ाकर 6 वर्श की थी तो हमने श्री वधवा साहब और सभी लोगों ने इसका जोर शोर से विरोध किया था। अगर मंत्री महोदय हमें यह स्पश्टीकरण दे दें कि ये जो कारण इन्होंने बताये हैं ये परमानेन्ट कारण नहीं रहेंगें, हर पांच साल के बाद इलैक्टोरल रोलज में दिक्कतें नहीं आयेगी, हर पांच साल के बाद नगरपालिका के विस्तार या कमी की बात नहीं आयेगी, ये तो केवल आज के हालात को मदेनजर रखते हुए ऐसा किया गया है फिर तो हम इसकी ताईद करते हैं।

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. राम लाल वधवा): डिप्टी स्पीकर साहब, इसका मतलब यह नहीं कि यह अवधि 6 वर्श की ही रहेगी और चुने हुए मैम्बर भी 6 वर्श के लिये रहेंगे। नगरपालिका कानून के अन्तर्गत उसमें जो तीन साल की मियाद मुकर्रर है, ये

जो चुनाव होंगे कानून के अन्तर्गत उतने समय तक ही सदस्य रहेंगे।

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Ch. Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to move –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैंड होल्डिग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1978

Revenue Minister (Thakur Bir Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill, 1978.

Sir I also beg to move –

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्वामी आदित्यवेश (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल लाकर हमारी जनता सरकार ने हरियाणा के गरीब किसान भाइयों का बहुत भला किया है, इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि सवा छः एकड़ जमीन का मालिया माफ कर दिया जाएगा इससे गरीब किसानों को काफी राहत मिल जाएगी, इसके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने तो गरीब लोगों का खून चूस रखा था और एक एक ईच धरती पर टैक्स लगा रखा था। अब इस बिल को लाकर जनता सरकार ने वास्तव में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। हमारी जनता सरकार ने चुनाव के दिनों में लोगों से इस बारे में जो वायदा किया था, उसको अब पूरा कर दिया है। इसके लिये मैं एक बार फिर अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

13.00 बजे

चौ. जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने यह जो बिल पेश किया है मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि जब विशाल हरियाणा पार्टी का राज थ तो उस वक्त मैं

वजीर था और हमने उस वक्त किसानों का भला किया था। हमने उस वक्त पांच एकड़ तक का मालिया माफ किया था। आज चौ. देवी लाल ने सवा छः एकड़ का मालिया माफ किया है यह बहुत अच्छी बात की है, इससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ–साथ मैं चौधरी साहब से यह भी कहना चाहता हूं कि आज किसानों से जो लागत लिया जाता है वह नकद न लेकर इस कांइड लिया जाए। आज यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि यह किसानों की सरकार है इसलिये में सी.एम. साहब से दर्खास्त करूंगा कि किसानों के लगान नकदी के रूप में न लेकर अनाज के रूप में लिया जाए। मैं चाहता हूं कि इस बारे आज ही इस बिल में अमैंडमैंट कर दी जाए। आज क्या होता है कि किसानों को लगान देने के लिये अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं, जेलों की तरफ जाना पड़ता है, बहियों पर अंगूठे लगाने पड़ते हैं और बैकों से पैसा लेना पड़ता है इसलिये सरकार अगर लगान इन कांइड ले ले तो किसानों को यह तकलीफ नहीं होगी। सरकार की पालिसी यह भी है कि किसान की भलाई हो, उनका अनाज सस्ता न बिके और उसको उसकी उपज के पूरे दाम मिलें। इसलिये इस बिल में यह भी अमैंडमैंट एड कर दी जाए कि किसानों से लगान इन कांइड लिया जाएगा ओर उनको उनकी उपज के पूरे भाव भी मिलेंगे।

चौ. शिवराम वर्मा (नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन इसमें

भूस्वामियों को केवल 5 रूपये से लेकर 10 रूपये साल की ही बचत हो सकती है, कोई लम्बी चौड़ी नहीं हो सकती। सरकार अगर जमीन के छोटे मालिकों को गरीब समझती है तो उनको फर्टिलाइजर में भी सबसिडी दी जानी चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई में भी रियायत मिलनी चाहिए ओर उनको हर प्रकार की सहूलियत दी जाए। हर प्रकार के आरक्षण का आधार भी आर्थिक स्थिति पर किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो एस.एफ.डी.ए. करती ही है।

चौ. शिवराम वर्मा: वह तो करती है लेकिन अगर ये बातें सरकार भी करे तो उससे किसानों को, गरीब आदमियों को और ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था।

चौ. लाल सिंह: (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे समय दिया। मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि आज उसने गरीब आदमी को जमीन का अन्न खाने लायक बना दिया है। पहले तो जो पैदा होता था उसे टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। पिछली सरकार ने बहुत टैक्स लगा दिये थे जिनकी वजह से गरीब आदमी बहुत दुखी थे। लेकिन आज की सरकार ने जो किसानों पर उपकार किया है उसके लिये मैं उसको बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि जो सरकारी मुलाजिम इस सरकार की ईमानदारी से सेवा करते हैं उनको भी सरकार को

कुछ ईनाम देना चाहिए। अभी अभी एक अफसर की बात आई है जिसका नाम है लखी राम। उस आदमी ने 21 किलो सोना पकड़ा है इसलिये उस आदमी को ईनाम भी मिलना चाहिए और तरक्की भी मिलनी चाहिए।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill be taken int consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will takeup the Bill clause by clause.

SUB CLAUSE (2) of CLAUSE 1

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker: I have received notice of an amendment to this clause from Rao Dalip Singh, M.L.A. He may please move his amendment.

Rao Dalip Singh (Mohindergarh): Sir, I beg to move –

In proposed section 5A, in line 4, after the words "or less" insert the workds "or the land owners of land holding measuring more than 2.5 hectares (6.25 acres) but the land holding tax does nto exceed the amount of tax payable on 2.5 hectares (6.25 acres) of class I soil of land mentioned in schedule I of the Act."

डिप्टी स्पीकर साहब यह जो इसमें सवा छः एकड़ तक की टैक्स एग्जैम्पशन दी है, इसके लिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं। जैसे कि पोहलू साहब ने बताया कि यह एग्जैम्पशन पहले भी सन् 67 में पांच एकड़ तक के लिये दी गई थी। लेकिन इस बिल में यह क्लियर नहीं होता कि जो सवा छः एकड़ का टैक्स है वह माफ होगा। हमारे यहां पर चाही लैंड भी है, बरानी भी है, बूढ़ भी है और कल्लर भी है। लेकिन एक चाही जमीन जो नहरी है और जिसमें पूरी पैदावार होती है, कपास भी होती है और बासमती चावल भी होता है उसका भी सवा छः एकड़ का लगान माफ कर दिया और दूसरी तरफ मेरे पास बड़ी रद्दी बूढ़ जमीन है उसका भी सवा छः एकड़ का लगान माफ किया है। चाहे मैं उसका टैक्स खराब जमीन होने की वजह से कम देता हूं। मैं यह चाहता हूं कि जितना लगान आपने एक अच्छी जमीन का माफ किया है उतना ही पैसा खराब जमीन का माफ होना चाहिए।

चाहे मेरे पास खराब जमीन 12 एकड़ क्यों न हो। फर्ज करो मेरे पास बूढ़ जमीन है और उस पर लैंड होलडिंग टैक्स चाही की इरीगेटिड जमीन से कम है तो मेरी अमैंडमैंट का मतलब यह था कि इसमें अमाउन्ट आनी चाहिए कि जितना पैसा इरीगेटिड जमीन का सवा छः एकड़ का माफ होगा उतना ही पैसा खराब जमीन का माफ हो गया था लेकिन बाद में फिर लगा दिया गया। इसलिये उसे भी माफ कर दिय जाए। इसके साथ साथ मेरी एक और प्रार्थना है कि फ्लड के अन्दर रिवर्ज के एकशन से कुछ जमीनें बरान हो गई। हमारे यहां तहसील महेन्द्रगढ़ में दुहान नही है, साहबी नही है और एक और नदी है उनसे काफी लैंड बरान हो गई है, अन–प्रोडक्टिव हो गई है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऐसी जमीन भी टैक्स से बिल्कुल एग्जैम्पट होनी चाहिए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

In proposed section 5A, in line 4, after the words “or less” insert the workds “or the land owners of land holding measuring more than 2.5 hectares (6.25 acres) but the land holding tax does nto exceed the amount of tax payable on 2.5 hectares (6.25 acres) of class I soil of land mentioned in schedule I of the Act.”

Mr. Deputy Speaker: Question is –

In proposed section 5A, in line 4, after the words “or less” insert the workds “or the land owners of land holding measuring more than 2.5 hectares (6.25 acres) but the land holding tax does nto exceed the amount of tax payable on 2.5

hectares (6.25 acres) of class I soil of land mentioned in schedule I of the Act."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Thakur Bir Singh): Sir, I beg to move –

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill be passed.

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो एक्ट है, जिसके लिये मैंने अपनी अमैंडमैंट दी थी यह बड़ा भारी डिस्टिक्रमिनेटरी है। एक तरफ तो एक किसान जिसके पास बहुत अच्छी जमीन है जिसमें बासमती चावल पैदा होता है और जिसका वह लगान देता है, वह है और दूसरी तरफ एक गरीब किसान हे जिसके पास रद्दी जमीन है कल्लर जमीन है इन दोनों के ीच बड़ा भारी भेदभाव किया गया है। यह एक्ट हाईकोर्ट में बिल्कुल वायलेट हो जाएगा यानी वौयड हो जाएगा। इसलिये गवर्नमैंट से मेरी प्रार्थना यह है कि there should be no discrimination with the land honders who have poor quality of land.

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूंगा कि स्टैप्स तो बहुत अच्छे हैं कि सरकार ने सवा 6 एकड़ के मालिकों की जमीन का मालिया मुआफ किया है। पहले भी 1967 में मुआफ किया था और आज चौधरी साहब ने भी वही कदम उठाया है। लेकिन भेदभाव वाली चीज न करें, कुछ बड़ा दिल करें। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पूरा नहर का पानी मिलता है, वहां पर सवा 6 एकड़ पर मालिया 30 रूपये हो सकता है, 25 रूपया हो सकता है लेकिन कुछ ऐसी जमीन है जहां एक रूपया या डेढ़ रूपया मालिया बनेगा। इस तरह से किसी को 25 रूपये का रिलीफ मिल गया और किसी को एक या डेढ़ रूपया का रिलीफ मिल गया और किसी को एक या डेढ़ रूपया का रिलीफ मिल गया, यह ठीक नहीं है। अमाउन्ट के ऊपर रिलीफ होना चाहिए। सवा छः एकड़ जमीन के ऊपर जो हाइयेस्ट अमाउन्ट लैंड रैवेन्यू की, लैंड होल्डिंग टैक्स की बनती है उसके मुताबिक किसी किसान के पास उतना मालिया देने की जो जमीन है, वह मुआफ होना चाहिए या टोटल डयूज में से उतनी रकम घटाकर उसे वसूल करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस बिल को वापिस लेंगे या इस स्टेज के ऊपर भी कुछ करेंगे। नही तो आगे के लिये वायदा करें कि यह बात किसी दूसरे बिल के जरिये से मन्जूर कर लेंगे ताकि हरियाणा में जो बहुत से बरानी और रेतीले इलाके हैं, जैसे उनका सिरसा और डबवाली का इलाका है, उस इलाके को याद करके फिर महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी की तरफ निगाह करेंगे। चाही टैक्स वाला मामला भी बड़ा जरूरी

है, इसकी तरफ की नजर करें ताकि सब लोग सैटिसफाई हो जाएं वरना इससे लोगों में बेचैनी फैलेगी।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1978

Local Government Minister (Ch. Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1978.

I also beg to move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अच्छी चीजों का विरोध करने की आदत नहीं है, लेकिन यह बिल

असल में विरोध करने के काबिल है। अगर एम.एल.एज. असैम्बली में बैठ कर अपनी पैन्शन के लिये इतनी तेजी के साथ बिल पास करना चाहें और इसके बारे में लोगों की ओपीनियन भी मालूम न करें तो बहुत बुरी बात है। होना यह चाहिए था कि अगर असैम्बली में मैम्बर अपनी पैन्शन के मुताल्लिक फैसला करना चाहें तो पब्लिक ओपीनियन के लिये यह बिल पब्लिक के सर्कुलेट करना चाहिए, टाईम लें, सोचें और देखें कि लोग क्या कहते हैं। (व्यवधान) मान लिया मुझे इस बिल से पूरा फायदा पहुंचेगा। मेरे 25 साल पूरे हो जाते हैं और मैं मैक्सिमम पैन्शन लूंगा। मैं पंजाब के टाईम से, यानि सन् 1956 से मैम्बर चला आ रहा हूं।

चौ. राम लाल वधवा: 500 रूपये से फालतू नहीं मिलेगी। (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह: मुझे कुछ तो फायदा पहुंचेगा ही, लेकिन मैं फिर भी इसका विरोध करता हूं। इतनी जल्दी से ऐसे बिल को पास न करें, इसको कंसिडर न करें और वापिस लें लें। थोड़ा सा खुद भी सोचें, पार्टी में भी डिस्कस करें, तब सोच समझ कर लायें।

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): यूं कहो कि वरना हम वाकआउट कर जायेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह: वाक आउट करने से आपको फर्क नहीं पड़ता इसलिये मैं वाक आउट नहीं करूंगा। मैं अपना विरोध

रिकार्ड करता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब को एक दोस्त के नाते सलाह दूंगा कि इस बिल को असैम्बली में जल्दबाजी में पास न करें।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. खुरशीद अहमद पदासीन हुए।)

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): चेयरमैन साहब, इस वक्त जो बिल विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैन्शन) संशोधन विधेयक, 1978 सदन में पेश किया गया है मुझे इस बिल को देखकर बेहद अफसोस हुआ है। चेयरमैन साहब, इससे पहले वाला बिल जितना काबिलेतारीक था यह बिल उतना ही अफसोसनाक है। मुझे मालूम है कि मेरे सदन के मुआज्जिज साथी, मेरी यह बात सुनकर चौंक गए होंगे और बहुत से सदस्य मेरे ख्यालात से मुखालिफ होंगे। शायद बहुत कम मेरे सदन के साथी मेरे साथ सहमति प्रकट करें लेकिन वास्तव में इस वक्त सवाल सदन के सदस्यों की सहमति का नहीं है, बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व का है, पब्लिक के प्रति रिस्पौंसिबिलिटी और अपनी जिम्मेवारी का सवाल है। इस वक्त बिल में जो प्रावधान किया गया है, सारे बिल की क्लाजिज को पड़ने के बाद दो लाईनें कहने को जी करता है:—

कल तक तो बस्ती में थे ताजीदा के सब के सब,

दरिया का रूख बदलते ही तैराक हो गए।

आज से पहले, कांग्रेस सरकार इस तरह का बिल लाई थी और एम.एल.एज. की पैन्शन का प्रावधान किया था। हम लोग जहां भी थे और जिस भी स्थान पर थे, हमने उस बिल का विरोध किया था और एक बात कह कर आलोचना की थी कि आज संसद मैं और विधान सभाओं में बैठे हुए ये विधायक, आगे आने वाले समय के लिये अपनी रोजी–रोटी का प्रबन्ध कर रहे हैं और शायद उनको मालूम हो गया है कि आगे आने वाले समय में वे विधान सभा में नहीं आ सकते। इस तरह की बातें कह कर .....(शोर)

चौ. लाल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत बहिन जी से दरख्वास्त करूंगा कि यहां पर ऐसी बात न की जाए कि आने वाले समय में ये नहीं आयेंगे। हम तो तीन दफा आ लिये हैं (व्यवधान) मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। (व्यवधान) इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ये नहीं आयेंगे .....(शोर)

श्री सभापति: चौ. लाल सिंह जी, आपका प्वायंट आफ आर्डर मैं समझ गया हूं, आप बैठ जाइये .....(व्यवधान)

चौ. लाल सिंह: एक एम.एल.ए. गजिटिड आफिसर की पोस्ट के बराबर का होता है, उसकी इज्जत होती है और बाद में उसके बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे रूलते फिरते हैं। आज अगर यह बिल लाए हैं तो कोई चोरी नहीं है, डाका नहीं है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: This is no point of order. This is rather the misuse of point of Order.

चौ राम लाल वधवा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेरी प्रार्थना यह है कि बहिन सुशमा जी ने जा बात कही कि मैम्बर नहीं आयेंगे, यह सारे हाउस पर अस्पर्शन है, इसको प्रौसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: आप मुझे कम्लीप तो करने दीजिए। (व्यवधान)

Mr. Chairman: Please take your seat. I am on my legs. This is not point of Order.

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिये खड़े हो गए) (व्यवधान एवं शोर)

श्रीमती सुशमा स्वराज: वधवा साहब, आप सुनते तो है नहीं, वैसे ही कहने लग जाते हैं। (व्यवधान)

Mr. Chairman: Let me reply to earlier point of order first and then you can speak. You are not permitted to speak.

चौ. उदय सिंह दलाल: चैयरमैन साहब, सवाल बिल के ऊपर बोलने का नहीं है, चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन यह कहना कि मैम्बर नहीं आयेंगे यह ठीक नहीं, ये मैम्बर तो मैम्बर बन कर जायेंगे लेकिन यह (सुशमा स्वराज) कभी नहीं आयेंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: उसने शायद यह कहा ही नहीं। (व्यवधान)

चौ. गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर .....

Mr. Chairman: Let me reply to earlier point of order first please. (Interruptions)

चौ. गंगा राम: आन ए प्वायंट आफर आर्डर .....

Mr. Chairman: After I have replied to the first point of order, you can speak. I have not yet replied to the point of order raised earlier.

चौ. गंगा राम: आन ए प्वायंट आफर आर्डर .....

Mr. Chairman: I have yet to reply. Please take your seat. (Interruptions) दलाल साहब ने कहा कि जब सुशमा स्वराज बोल रही थी तो उन्होंने यह कहा कि ये मैम्बर साहब वापिस नहीं आयेंगे, परन्तु मैं समझता हूं कि उन्होंने यह कहा था कि जिस वक्त यह बिल पहली दफा असैम्बली में पेश किया गया था उस वक्त हम लोगों की आगुमैन्ट फील्ड में यह थी कि वे मैम्बर्ज अपनी पेशबन्दी कर रहे हैं। आज के सदन के बारे में शायद यह नहीं कहा गया। यह प्रोसीडिंग्ज से देखा जाएगा। अगर ऐसा कहा है तो I do not think there is anything which deserves expunction.

राव बीरेन्द्र सिंह: चैयरमैन साहब, सुशमा जी ने यह कहा है कि शायद इनको डर है कि ये न आएं और दलाल साहब ने कहा कि शायद इनको यह डर है कि ये न आएं भगवान करे

इनकी बात सच्ची हो और ये दोनों ही न आएं (हंसी) अब इस कंट्रोवर्सी को खत्म कीजिए।

श्री सभापति: ठीक है यह तो आपके इंट्रैक्ट में है। (हंसी)

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मैं क्या कहूं? इस सारे हंगामे के बाद मुझे तो यह कहने को जी करता है–

यह बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं,

वह बात इन्हें नागवार गुजरी। (प्रशंसा)

चेयरमैन साहब, आपने बिल्कुल सही समझा। मैंने कहा था (विघ्न) कि जिस वक्त कांग्रेस सरकार यह बिल लाई थी हम लोग जहां भी थे, जिस भी स्थान पर थे

Ch. Ganga Ram: On a point of order .....(Interruptions)

Mr. Chairman: There is a point of order from Ch. Ganga Ram. Let him speak.

चौ. गंगा राम: चेयरमैन साहब, मैं बहिन जी से केवल एक बात कहना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री सभापति: आप अपना प्वायंट आफ आर्डर कहिए। (विघ्न)

चौ. गंगा राम: चेयरमैन साहब, मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि इस समय यहां जितने भी मैम्बर्ज बैठे हैं ये व्यक्ति हैं जिन्होंने चार साल तक जेलें काटी हैं और 19 महीने मीसा में रहे हैं और यह वह समय था जिस समय इनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। (विघ्न) चेयरमैन साहब, जिस वक्त हम जेल में बैठे हुए इसका विरोध किया करते थे उस समय बहिन जी पता नहीं * * * * (हंसी एवं शोर) जेल में तो थी नहीं। (शोर)

Mr. Chairman: This is not a point of order.

Smt. Sushma Swaraj: Chairmna sahib, there words should be expunged * * * * (Interruptions) * * * * गंगा राम जी यहां हम किसी के राजनीतिक कैरियर का हिसाब–किताब नहीं गला रहे हैं। (शोर)

Mr. Chairman: The words Gude-Gudia spoken by Ch. Ganga Ram should be expunged. (Interruptions)

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब * * * *

Development and Panchayat Minister (Sh. Lachhman Singh): On a point of order ..... (Interruptions)

Mr. Chairman: There is point of order by Sh. Lachhman Singh.

श्री लछमन सिंह: चेयरमैन साहब, हाउस के कोई नार्मज हैं। (विघ्न) आपने तो बिल्कुल फ्री स्टाइल कर दिया है। (विघ्न)

Mr. Chairman: Please go to your seat first and than address the House.

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मुझे गंगा राम जी के रिमार्क्स पर एतराज है। वे यह कहते हैं कि जिस वक्त वे जेल में थे उस वक्त मैं * * * *

Mr. Chairman: Sushmaji, there words have been expunged. Please do not refer to them again.

श्रीमती सुशमा स्वराज: गंगा राम जी को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जिस वक्त वे जेल में थे उस वक्त मैं भी जेल में * * * *(शोर)

Mr. Chairman: There should be no controversy now. (Interruptions)

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, आप मुझे इस पर बोलने दीजिए। इन फिजूल के प्वायंट आफ आर्डर्ज का आप फिक्र मत कीजिए। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Chairman: Sushmaji please take your seat. (Interruptions).....Please take your seat. If I permit you then you speak. (Interruptions)..... Please take your seat now (Interruptions). आपको सुन नहीं रहा था। दलाल साहब ने सुन लिया और उनको मैंने बैठा दिया। (विघ्न) सुशमा जी अब आप बोलिए।

श्रीमती सुशमा स्वराज: न मालूम बीच में क्यों हंगामा हो गया। छोटी सी बात इनको नागवार लग गई। मैं कह रही थी कि उस सारे विरोध को मदेनजर रखते हुए मुझे यह अपेक्षा थी कि आज हमारी सरकार एक ऐसा बिल लाएगी जिससे कांग्रेस सरकार का लाया हुआ वह बिल भी समाप्त हो जाएगा लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। एक ऐसा बिल लाया गया जिसमें बजाय हरियाणा विधान सभा के सदस्यों को पैन्शन देने के और भी कई लोगों का प्रावधान कर दिया गया। मैं इस चीज के विरुद्ध नहीं हूं कि हरियाणा विधान सभा के मैम्बरों को पैन्शन मिले और बाकी लोगों को पैन्शन न मिले। चेयरमैन साहब, मेरा विरोध तो इस पूर्ण बिल से है। क्यों? इसका एक इम्पोर्टैंट कारण है। मैं एम.एल.ए. की जौब को पैन्शनेबल जौब नहीं समझती। चेयरमैन साहब, आपको मालूम है कि गवनमैंट कर्मचारी को सरकारी अधिकारियों को, सेवादारों को पैन्शन मिलती है। 20–20, 25–25 वर्श के लोग सरकारी नौकरी करते हैं और अगर एक दिन भी निर्धारित अवधि से कम रह जाए तो उन्हें पेन्शन का हकदार नहीं समझा जाता या उनकी पैन्शन कम कर ली जाती है लेकिन यहां हम लोग हैं जो अपने लिये इस तरह का प्रावधान कर रहें हैं। इसमें और उनमें केवल मात्र फर्क इतना है कि वे लोग अपनी चीज के लिये, अपनी मांग मंगवाने के लिये, अपना भत्ता बढ़वाने के लिये, वेतन और पैन्शन आदि बढ़वाने के लिये विधान सभा के बाहर धरना देते हैं और हम लोग इस हैसियत में हैं कि स्वयं अपने आपको दे सकते हैं। उस हैसियत का नाजायज फायदा उठाकर के आज हम यह

बिल विधान सभा में लाए हैं। (शोर) क्या अब समय नहीं था इस बात को देखने का कि अगर * * * * एक वर्श, दो वर्श, तीन वर्श या पांच वर्श के लिये तो आगे आने वाले समय के लिये ..... (विघ्न एवं शोर)..... (इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

Ch. Jagjit Singh Pohloo: On a point of order .....

Mr. Chairmna: There is a point of order by Mr. Pohloo .....(Interruptions) Please take your seat.

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि .....

Mr. Chairman: Please take your seat. Mr. Pohloo is on a point of order ..... (Interruptions) ..... Please take your seat .....

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि * * * * हम तो बड़ी जेलें काट कर अपनी ताकत से बन कर आए हैं। (प्रशंसा) इन्होंने कोई तकलीफ नहीं भुगती बल्कि आराम से दिल्ली में ऐश की (शोर) * * * * (शोर)

श्री सभापति: इस गलती से बनकर आने वाली बात को ऐक्सपंज कर दिया जाए। (शोर)

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, आप मुझे अपने प्वायंट की इलैबोरेट तो करने दीजिए। (शोर)

चौ. गंगा राम: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है .....(शोर)

Mr. Chairman: Please take your seat. There is a point of order by Ch. Ganga Ram ..... (Interruptions)

चौ. गंगा राम: चेयरमैन साहब, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। बहिन सुशमा स्वराज ने यहां पर एक बात कही कि जिस टाईम * * * * । मैं इस बात को चैलेन्ज करता हूं क्योंकि * * * *। (शोर)

Mr. Chairman: This is not a point of order. It is an irrelevant question. No point of order ..... (Interruptions). Please take your seat.

श्रीमती सुशमा स्वराज: मैं चैलेन्ज को स्वीकार करती हूं। (शोर)

मास्टर शिव प्रसाद: ये हाई कोर्ट में प्रेक्टिस करती रही हैं। (विघ्न)

एक आवाज: इस केस की फाईल उठा कर तो देखें।

Mr. Chairman: All these objections are irrelevant. Do not discuss what anybody else was doing at that time. Please do not discuss that.

चौ. बीरेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, आदरणीय सुशमा जी ने कहा कि .... * * * * लेकिन मेरे दूसरे साथी चौ. गंगा राम जी

इस बात को चैलेंज करते हैं। इस मामले में एक की स्टेटमैंट गलत है। They want to mislead the House. I want that the matter should be referred to the Privilege Committee.

श्री सभपति: यहां कोई भी आदमी किसी भी डिगनिटरी का नाम, चाहे वह सैन्टर का मिनिस्टर हो या गर्वनर आदि हो, किसी भी प्वायंट आफ आर्डर में या बहस में घसीटने की कोशिश न करें। (विघ्न) and if somebody has used any name, those names should be deleted.

Smt. Sushma Swaraj: Chairman Sahib, on a point of personal explanation .....(विघ्न)

Ch. Birender Singh: On a point of order. Smt. Sushma Swaraj and Ch. Ganga rAm have given different statements.

Mr. Chairman: They have differed on a point which should not have been discussed. Both the discussions have been deleted and now there is no question of point of order..... (Interruptions).....

कामरेड शंकर लाल: चेयरमैन साहब, मुझे इस बिल पर दो मिनट बोलना है।

श्री सभापति: जब सुशमा जी अपनी बात खत्म कर लेंगी तो आपको टाईम मिल जाएगा। (विघ्न)

चौ. राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, आप इन्हें कहें कि यदि वे बिल पर ही बोलें तो ठीक रहेगा। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मैं आन ए प्वायंट आफर पर्सनल ऐक्सप्लेनेश्न पर हूं।

Mr. Chairman: I would request all the members to avoid recrimination. Only the person who acts, he knows it best and others are telling it.

श्रीमती सुशमा स्वराज: * * * * तब वकालत नामा माना जाएगा। (विघ्न) मरेा वकालत नामा ऐसे नहीं जाएगा।

Mr. Chairman: This is not permitted to anybody, so I will request you all to please take your seats. (Interruptions.)

चौ. संत कंवर: चेयरमैंन साहब, मेरा एक प्वायंट आफर आर्डर है। जो लोग जेल काट कर नहीं आए उनको यहां नहीं बोलने दिया जाएगा। गलत आदमियों को हीरो नहीं बनने देंगे। (शोर)

श्रीमती सुशमा स्वराज: यह सारे का सारा हंगामा चेयरमैन साहब, उस गलत शब्द पर हुआ है जिसके बारे में मुझे पूरा प्वायंट इलैबोरेट नहीं करने दिया गया। मेरा अभिप्राय तो इतना था कि आप जानते है बहुत से लोग .....

श्री सभापति: आने बीस मिनट के लिये हैं। अब आप वाइन्ड–अप कीजिए।

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मुझे अपनी बात को वाइन्ड–अप तो करने दीजिए क्योंकि इस पर इतना हंगामा हुआ है। चेयरमैन साहब, मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है ... .(शोर) आप जानते हैं कि बहुत से लोग .....(शोर).....

श्री सभापति: आप वाइंड–अप कीजिए आपको बोलते हुए बीस मिनट से ऊपर हो गये हैं .....(शोर).....

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मुझे वाइंड–अप तो करने दीजिए .....(शोर).....

श्री शमशेर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, अभी चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने प्वायंट आफ आर्डर उठाया और उन्होंने आपकी रूलिंग चाही कि दो मैम्बरों ने मिस–लीडिंग स्टेटमैंट दी है। अब दोनों में किसी भी एक की स्टेटमैंट मिस–लीडिंग हो सकती है। बार बार एक दूसरे को चेलैन्ज किया गया है। चेयरमैन साहब, हाउस का प्रैसीडैन्ट भी है, मिस्टर सुरेन्द्र सिह के ब्यान पर मामला प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया था। उस वक्त यह कहा गया था कि यह झूठा ब्यान है, मिस–लीडिंग है। तो यह केस भी बिलकुल एक्सट्रीम स्टेज पर है। Both the parties have challenged and counter-chanllenged. वह कहते हैं कि उसका ब्यान गलत है और वे कहती हैं कि उसका ब्यान गलत है इसलिये यह फिट केस है जोकि प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए। अगर यह केस प्रिविलेज कमेटी में नहीं जाता है तो

डिसक्रिमिनेशन होगी। एक कांग्रेस (आई) के मैम्बर के खिलाफ तो प्रिविलेज कमेटी में केस दे दिया जाता है और दूसरे मैम्बरों के खिलाफ नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए (शोर)

चौ. राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, ये रिमार्क्स तो आपने एक्सपंज करवा दिये है। (विघ्न)

श्री सभापति: इसका बेस ही एक्सपंज हो गया है और वह प्रोसिडिंग्ज का पार्ट नहीं रहा।

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मैं तो खुद चाहती हूं कि आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में ले जाइये।

श्री सभापति: यह एक्सपंज हो चुका है। Sushma ji please try to wind up your speech .....(Interruptions). Please take your seats.

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन सहाब, इतना हंगामा होने के बाद मैं कैसे वाइंड–अप कर सकती हूं। अगर विरोधी पक्ष के लोग इस चीज को उठा रहे हैं तो मैं अपने आप खुद आफर करती हूं कि आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में ले जाइये। –(शोर)– मैं कह रही थी कि हम लोगों को सन् 1946 से लेकर आजतक सब लोगों को पैन्शन मिलेगी। गलती वाली बात, उन लोगों के लिये थी जो जनता द्वारा रिजैक्ट कर दिये गये हैं। उन पर कमीशन बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं। वे लोग भी इस बिल के तहत सारे के सारे हरियाणा राज्य के कोश

पर हमेशा के लिये बोझ बनेंगे। पांच सौ रूपया महीना वे हरियाणा सरकार से वसूल करेंगे। गलती की बात जो कही थी वह यह थी जिसके लिये इतना हंगामा खड़ा कर दिया। आज इसके फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम में यह लिखा है .....

Ch. Birinder Singh: On a point of order. मैं यह बात कहता हूं कि सन् 1946 से 1977 तक जो विधान सभा के सदस्य बने थे कैसे गलती से बने, और ये कैसे बगैर गलती के बन सकते हैं।

श्री सभापति: न तो ये गलती से बने हैं और न ही वे गलती से बने थे। You all are duly elected.

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, इसके फाइनेन्शियल मेमोरैन्डम में लिखा है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो तीन लाख और 12 हजार रूपये का घाटा प्रति वर्श बजट में पड़ेगा। यह बड़ी शर्म की बात है कि हम एक एक पैसा सड़कों के निर्माण के लिये और डिवैल्पमैंट के कामों के लिये देते हुए तो आर्गुमैंट लेते हैं कि हमारे पास फन्डज की कमी है लेकिन आप उस फन्ड की कमी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है जब कि हरियाणा के राज्यकोश पर तीन लाख और 12 हजार रूपये का प्रति वर्श भार डाला जा रहा है। यह सब इसलिये किया जा रहा है कि हम इस हैसियत में हैं कि अपने आपको पैसा दे सकते हैं। मैं इसका बिल्कुल सख्त विरोध करती हूं।

चौ. राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, मेरा सुझाव है कि अगर हाउस स्वीकर कर लेता तो मैं अमेंडमैंट ला देता हूं कि जो पैन्शन न लेना चाहें वे नहीं लें।

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब मैं यह एलान करती हूं ....शोर .....चेयरमैन साहब, इस वक्त पालियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर को अमेंडमैंट लाने की जरूरत नहीं है (शोर)

चौ. लाल सिंह: इस बिल में तबदीली लायी जाये कि जो पैन्शन न लेना चाहे वह न ले।

श्री सभापति: यह बात पहले ही कही जा चुकी है। आप इसे रिपीट न करें।

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, अभी मिनिस्टर महोदय ने यह कहा कि अमैंडमैंट ला देता हूं। मैं उनकी इन्फर्मेशन के लिये बताऊं कि उन्हें अमेंडमैंट लाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आलरेडी प्रोविजन है कि जो कलेम करेगा उसको मिलेगी। कोई हमारे घर पर नहीं भेजेगा। अगर हम कलेम करेंगे तो हमें पैन्शन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। मैं यहां सदन में एलान करती हूं इस तरमीम से पहले, यदि यह विधेयक आज पारित भी हो जाता है तो मैं इस पैन्शन की अधिकारी होने के बावजूद भी ता–जिन्दगी कभी इस पैन्शन को वसूल नहीं करूंगी। मेरा यह विरोध कोई कागजी विरोध नहीं मैं वास्तव में इस बिल का विरोध करती हूं।

चौ. राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, इमसें कोई खास बात नहीं है कि जो मेम्बर पैन्शन न लेना चाहें वे न लें। वे लिख कर दे दें। –शोर–

श्री भले राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो लोग पेन्शन नहीं लेना चाहते हैं वे अपना नाम लें दे और हाथ खड़ा कर दें –शोर–

श्री सभापति: जिन्होंने नहीं लेनी उन्होंने एलान कर दिया है। आपको कोई खतरा नहीं है। आप अपनी सीट ले लीजिए।

कामरेड शंकर लाल (सिरसा): आदरणीय चेयरमैन साहब, इस बिल पर बहुत हंगामा खड़ा हो गया है। आज सुशमा जी ने ऐसी बात कही जो कुछ मेम्बर साहेबान का खराब मालूम हुई। उन्होंने अपनी भावनाओं के मुताबिक जनता पार्टी की सरकार और देश की भलाई की बात कही है। मैं आपके जरिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये पैन्शन, कारों का लोन और बिल्डिंग लोन मैम्बरों को क्यों दिया जा रहा है।

श्री सभापति: कारों और बिल्डिंगों का कोई लोन नही दिया जा रहा है।

कामरेड शंकर लाल: चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पैन्शन से हरियाणा सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, सरकार पर बोझ पड़ेगा तो फिर जनता पर बोझ पड़ेगा।

हमें इस पैन्शन को नहीं लेना चाहिए। मैं अपने आप को भी आफर करता हूं कि इस पैन्शन को नहीं लूंगा। इस पेन्शन के लेने से लोग समझेंगे कि मैम्बर साहेबान जो असैम्बली में बैठे हैं वे अपने फायदे के लिये इस बिल को पास करवा रहे हैं। यह गलत बात है (शोर) आज हरियाणा में गरीब लोग तड़फ रहे हैं ओर नाजायज टैक्स उन लोगों पर लगा रहे हैं। फोर्थ क्लास के एम्पलाइज रहे है, रो रहे हैं और एम.एल.ए. लोग पैन्शन का बिल पास कर रहे हैं। इस किस्म का एम.एल.एज. को फायदा पहुंचाना गलत बात होगी। यह बात ठीक नहीं होगी। सुशमा जी ने जो कुछ भी कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं। यह पैन्शन मैम्बरों को नहीं देनी चाहिए, उन्हें सादगी से रहना चाहिए वजीरों को भी ज्यादा खर्च घटाना चाहिए। खर्च घटायेंगे तो जनता के अन्दर आदर्श कायम होगा। जनता पार्टी की सरकार खुद अपने फायदे के लिये जो कुछ भी कर रही है यह गलत कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि खाओ और मौज उड़ाओं। मैं इसका विरोध करता हूं।

चौ. उदय सिंह दलाल (बादली): चेयरमैन साहब, पिछली सरकार ने जी गलत तरीके से बिल पास कर दिया था उसको दुरुस्त करके हमारी सरकार यह तरमीम लायी है। मैं इसके लिये अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन साहब, कुछ आदमी * * * * (शोर)

श्री सभापति: देखिए, कोई भी मैम्बर किसी दूसरे मैम्बर की स्पीच के बारे में परसनल एस्पर्शन कास्ट न करे। अगर

परसनल एस्पर्श कास्ट की गई तो that would not form a part of the record. किसी का नाम न लीजिए। Please do not cast any aspersions on another Member.

चौ. उदय सिंह दलाल: जो मैम्बर कई कमेटियों का सदस्य हो....

Mr. Chairman: Please take your seat. देखिए कोई मैम्बर किसी दूसरे मैम्बर पर परसनल एस्पर्शन कास्ट नहीं करेगा अगर सिकी मैम्बर पर परसनल एस्पर्शन कास्ट की गई है तो that would not form part of the record. You express your ideas. Do not say anything about any other hon. Member of this House. Every member is equally honourable.

चौ. उदय सिंह दलाल: इसलिये इस बिल को सरकार का लाने का जो असल मकसद था वह यह था कि कुछ मैम्बरों की माली हालत इस टाईप की होती है कि अगर वे मैम्बर न रहें, उनका कोई रोजगार का साधन न रहे और उनके बच्चो रोटी दाल के लिये तड़फते रहें तो उनका स्टैंडर्ड गिरता है। विधायक को लोग कहते हैं कि यह पहले एम.एल.ए. था अब इसके बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं। इस भावना को मन में रख कर सरकार यह बिल लायी है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो मैम्बर कहते हैं कि यह बिल गलत है, या जो यह चाहते हैं कि हम नहीं लेंगे, वे बेशक न लें। ऐसे मैम्बर भी होंगे जो सिर्फ मीटिंगों के टी.ए.डी.ए. का पता

नहीं कितना रूपया लेते हैं * * * * इसके लिये में एक तजवीज पेश करूंगा। (व्यवधान)

(इस समय श्रीमती सुशमा स्वराज कुछ कहने के लिये खड़ी हुई)

श्री सभापतिः सुशमा जी, आपके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, आप बैठिये।

चौ. उदय सिंह दलालः अगर कोई मैम्बर हरियाणा सरकार के लिये बोझ नहीं बनना चाहता तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि वे यहां पर गलत तौर पर बोल रहे हैं। अगर उनके मन में कोई कुर्बानी की बात है तो उनकी यह बात बड़ी सराहना के लायक है। वे अपना नाम दर्ज करायें कि वे आज के बाद न पैन्शन लेंगे, न टी.ए.डी.ए. लेंगे, और न ही अलाउन्स लेंगे और वे जनता की फ्री सेवा करेंगे। चेयरमैन साहब, आप उनसे या तो लिखवा कर ले लें या उनको खड़ा करके पूछ लें, हम सब उनका बहुत आदर करेंगे कि वे सरकार के खजाने से किसी किस्म का पैसा विदड्रा नही करेंगे। लेकिन * * * *। मैं इस बिल की ताईद करता हूं और पिछली सरकार ने इस बारे में जो गलती कर रखी थी, वह इस सरकार ने दुरूस्त कर दी है, इसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। अन्त में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

स्वामी अग्निवेश (पुंडरी): आदरणीय चेयरमैन साहब, इस सदन के सामने जो बिल आज हमारे मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं बड़े दु:ख के साथ इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं पूरी गम्भीरता के साथ यह अनुभव करता हूं कि हम यहां पर अपने बहुमत के आधार पर तो बेशक इसे पास करके चले जायें लेकिन जब हम लोगों के बीच में जायेंगे, अपने गरीब किसान मजदूर भाइयों के बीच में जायेंगे, जिनकी बदौलत हम आज यहां पर बैठे हुए हैं, अपने इस काम के बारे जब उनके दिलों की भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे, तो मुझे स्पश्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वह जनता जिसने हमें अपने कन्धों पर बिठा कर यहां पर भेजा था, वह इस बात का दु:ख महसूस करेगी कि इन लोगों ने वहां जाकर हमारी भलाई के लिये तो पता नहीं कुछ किया है या नहीं किया है लेकिन अपनी माली हालत सुधारने के लिये जरूर प्रबन्ध कर लिया है। आजतक हमने संसदीय प्रजातन्त्र के इतिहास में कही भी यह नहीं सुना था ....

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। चेयरमैन साहब स्वामी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। इसका अपना घर–बार नहीं हैं। अपनी कोठड़ी पर तो इन्होंने ताला भेड़ रखा है .....(हंसी एवं शोर)

श्री सभापति: आप प्वायंट आफ आर्डर कहिये।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: मेरा प्वायंट आफर आर्डर यह है कि अगर स्वामी जी सरकार से कुछ नहीं लेना चाहते तो फिर इन्होंने पहले जो पैट्रोल और कार सरकार से ले रखी थी, वह क्यों ली थी?

Mr. Chairman: Please take you seat. ऐसे है कि यह अलाउन्स है। टी.ए.डी.ए. तभी मिलता है जब मैम्बर्ज खुद उसको क्लेम करते हैं यानी लिखकर देते हैं। जिन भाइयों को यह मन्जूर नहीं है या जो मैम्बर यह नही लेना चाहते, वे इसे क्लेम न करें, उनको नहीं मिलेगा। इस बारे में कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिये। यह प्वायंट आफ डिबेट नहीं है। सरकार किसी को घर तो देने नहीं जाती। यह प्वायंट डिबेट के काबिल नहीं है, यह कोई डिबेट का प्वायंट नहीं है। अगर किसी के पास कोई दूसरा प्वायंट है, तो वह कह सकता है। यह तो पहले ही वालन्टरी है। Those who want, they will claim and take it. Those who do not want, they cannot and should not be forced. There is no compulsion about it in the Bill.

श्री लछमन सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। खाना तैयार है। .....(शोर)

श्री सभापति: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है कि खाना तैयार है।

चौ. राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, जैसे आपने कहा इसमें डिबेट वाली कोई बात नहीं है। बार–बार यहां पर हाउस में

एक बात कही गयी है कि जो मैम्बर लेना चाहे ले और जो न लेना चाहे वह न ले। फिर यह बिल अभी सदन के सामने पेश है। अभी मैम्बर्ज ने इसको पास करना है। आप मैम्बर्ज से पूछ लीजिये अगर वह इसको पास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो न सही।

श्री सभापति: अग्निवेश जी, आप वाइन्ड–अप कीजिये।

स्वामी अग्निवेश: चेयरमैन साहब, इस बिल के पीछे जो भावना है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जनता ने हमें इसलिये चुनकर भेजा है कि यहां पहुंच कर हम अच्छे–अच्छे विधान बनायें। विभान सभा का दसस्य बनना, कभी भी अपनी माली हालत सुधारने का जरिया नहीं हुआ करता। यदि हम यह समझते हैं कि हमें यहां पर आकर यह हमारे लिये बड़ी शर्म * * * * तो यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है।

श्री सभापति: स्वामी जी, आप वह लैग्वेज इस्तेमाल कीजिये जो सदन में इस्तेमाल होती रही है। आप इतने पढ़े–लिखे आदमी होकर ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे है जो आपकी ही शान में शोभा नहीं देती। यह पैसा बटोरने वाली बात एकसपंज की जाये।

चौ. उदय सिंह दलाल: * * * *

Mr. Chairman: It has already been expunged. I have said the same thing. Please take your seat.

चौ. संत कंवर: * * * * ....(व्यवधान).... हम लोगों से रोटी मांग कर नहीं खा सकते .....(व्यवधान व शोर)

श्री सभापति: आप बैठिए। आपकी सभी बातें मानी जा चुकी हैं।

स्वामी अग्निवेश: चेयरमैन साहब, जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो कुछ आदर्शों को लेकर बनी थी। जिन आदर्शों की महात्मा गांधी जी ने कल्पना की थी उनको लेकर के बनी थी। .....

Sh. Shamsher Singh: On a point of order.

Mr. Chairman: There have already been enough points of Order. You wnat to add on more.

Sh. Shamsher Singh: I have a different point of Order.

Mr. Chairman: Would it really be a different point of Order?

Sh. Shamsher Singh: Yes.

Mr. Chairman: There is some real point of Order. Please take your seat.

श्री शमशेर सिंह: चेयरमैन साहब, दलाल साहब ने बीच में ही बोलते हुए यह फरमाया था कि वे * * * *। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह शब्द एक्सपंज कर दिये गये हैं या अभी

रिकार्ड पर ही हैं? ये अनपार्लियामेंटरी शब्द हैं और यहां पर बोले गये हैं .....

Mr. Chairman: It was never made with the permission of the Chair and whatever has not been made with the permission of the Chair will not be recorded.

स्वामी अग्निवेश: सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बिल को पास करके चले जायेंगे। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि हाउस का मूड कुछ ऐसा चल रहा है जिसके हिसाब से यह इस बिल को पास करवा लेंगे। लेकिन मैं स्पश्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार के इतिहास में यदि यह बिल आज पास होता है कि यह दिन सबसे अधिक शर्मनाम दिन माना जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन भावनाओं को लेकर हमारे संसद सदस्यों ने राजघाट पर शपथ ली थी, हम भी उन्ही आदर्शो का पालन करने की शपथ लेकर विधान सभा में आये थे। हम यह चाहते है कि हम लोग उन आदर्शो के खिलाफ आचरण न करें। न ही मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से लूंगा और मेरा विचार है कि ने ही कोई अन्य माननीय सदस्य इसे व्यक्तिगत रूप में लेगा लेकिन सारी पार्टी के बारे में और सारे सदस्यों के बारे में जनता की क्या राय बनेगी यह आप सोच लीजिये। दूसरी बात मैं विशेश रूप से कहना चाहता हूं जिसकी ओर बहिन सुशमा जी ने भी ध्यान आकर्शित किया। इस बिल के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को वह आर्थिक सुविधा देने जा रहे हैं, जिनको आज शाह आयोग ने या दूसरे किसी आयोग न क्रिमीनल करार दिया

है। जिनको जधन्य अपराधी करार दिया है, जिन लोगों को लोग जेल की सींखचों के पीछे देखना चाहेंगे और जिनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, वे लोग भी इस बिल के तहत इस सारी सुविधाओं का लाभ उठायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर हम करना क्या चाहते है? जनता ने हमको 5 साल के लिये चुनकर भेजा है। अगर हम यहां आकर ठीक से काम करेंगे तो दुबारा भी वे हमें चुनेगे। 5 साल में से अभी हमने एक साल भी काम नहीं किया कि हमने आते ही पहले दिन, अपने लिये पैन्शनों का प्रबन्ध करना शुरू कर दिया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप संख्या के ऊपर न जाइये कि एक या दो आदमी विरोध कर रहे हैं। यहां पर गिनती का सवाल नहीं है यहां पर तो स्पिरिट का सवाल है।

श्री सभापतिः स्वामी जी, अब काफी डिस्कशन हो चुकी है। अब आप समाप्त कीजिए, आप वाईन्ड–अप कीजिए।

स्वामी अग्निवेशः मैं अपनी बात को खत्म करने हुए यही कहना चाहात हूं कि आप इस बारे में फिर से गौर कर लीजिए। चेयरमैन साहब, मैं एक बात कहकर खत्म करना चाहता हूं कि अगर हम इसी प्रकार करते चले जाएंगे तो आम आदमी यह सोचेगा कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। हमारे हाथ में अधिकार है। विधायक या विधान मंडल एक ऐसी संस्था है जो देने वाली भी है ओर लेने वाली भी है। हम ही देने वाले हैं और हम ही लेने वाले हैं। तीन सौ से पांच सौ किए और पाचं सौ से पांच हजार हो जाएंगे लेकिन आखिर में फैसला जनता की अदालत में

होगा। उस भय को ध्यान में रखते हुए, उस भय को सामने रखते हुए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि आज इसको पास न करें। आज यह इंट्रोडयूस हो गया है। अगले सत्र में इस पर चर्चा कर लेंगे और उस समय यह पास हो जाएगा। उस वक्त तक जनता के विचार भी आपके सामने आ जाएंगे और तक आप दसको पास कर लेना (शोर)।

श्री भले राम: चेयरमैन साहब, स्वामी जी ने कुछ एतराज की बात कही कि विधायकों को पैन्शन नहीं लेनी चाहिये लेकिन इनको कहने से पहले यह सोच लेना चाहिये कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यह एक ठेकेदार की कार में जाते हैं और हम तीन सौ रूपए लेकर रिक्शा में जाते हैं (शोर)

स्वामी अग्निवेश: चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज तक किसी ठेकेदार की गाड़ी में नहीं चला हूं। यह बिल्कुल साफ बात है (शोर)।

Mr. Chairman: Please do not make a controversial statement about another Member. That is not permitted.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): चैयरमैनसा साहब, यह जो बिल हाउस में आया है, मुझे आश्यर्य है कि इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है। इस बारे में पहले से एक कानून पास था लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई थीं और उन खामियों को दूर करने के लिये यह अमैंडिंग बिल लाया गया है। इस तरह का एक बिल लोकसभा ने भी पास किया है और उसके अनुसार

पार्लियामैन्ट के मैम्बरों को पैन्शन मिलेगी। हम यहां जो बिल पास कर रहे हैं उसमें यह है कि अगर कोई सदस्य विधान सभा का सदस्य न रहे और वह पैन्शन लेना चाहे तो उसको दरखास्त देन पड़ती है और उसके अन्दर जो लिखा हुआ है वे सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। जो भाई पेन्शन न लेना चाहें वे न लें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देना चाहता हूं कि जैसे भारत सरकार ने फ्रीडम फाइटर्ज के लिये पेन्शन दी। उसमें एक शर्त यह है कि जो पांच सौ रूपए महीना कमाता है वह पेन्शन का अधिकारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कितने लोग है जो फ्रीडम फाइटर्ज की पेन्शन नहीं ले रहे हैं हालांकि वे पांच सौ रूपए से कम कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यह पेन्शन नहीं ले रहे हैं। हिसार में फ्रीडम फाइटर्ज को सरकार ने जमीन दी लेकिन बहुतों ने वह नहीं ली। इसमें भी यही है कि जो लोग नहीं लेना चाहें वे न लें लेकिन यह बिल जरूरी है। अभी हमारे एक साथी श्री अयोध्या प्रसाद की मृत्यु हो गई। कुदरती तौर पर हमने यहां पर उनके लिए शोक प्रस्ताव पास किया लेकिन इसी हाउस में गालिबन स्वामी जी ने, मुझे ठीक याद नहीं है, यह आवाज उठाई कि उनकी माली हालत ऐसी है कि उसको देखते हुए उनके परिवार के लिये फाइनैन्शिल हैल्प होनी चाहिये। मुझे खुशी है कि उनके परिवार को दस हजार रूपये की हैल्प की घोशणा सी.एम. द्वारा कर दी गई। स्वामी जी से आमतौर पर मैं सहमत होता हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि इस मामले में मुझे इनसे मतभेद रखना पड़ा है। यह बिल इसलिये नहीं है कि एम.एल.एज. इसमें कुछ

लेना चाहते है। या उनका हलवा मांड़ा बनेगा। चेयरमैन साहब, तीन लाख रूपया एक साल में इस मद में खर्च होगा। तीन लाख का मतलब है कि पच्चीस हजार रूपया एक महीने में हुआ। पांच सौ रूपया ज्यादा से ज्यादा किसी को पेन्शन मिल सकती है इसके मायने हुए कि एक वक्त में पचास आदमी पेन्शन ले सकेंगे। मेरा अन्दाजा है कि दस–बीस आदमी ही ऐसे हो सकते हैं जो पेन्शन लेंगे। इस प्रकार से तीन लाख के बजाए एक लाख या डेढ़ लाख में काम हो जाएगा। मैं स्वामी अग्निवेश और बहिन सुशमा से अपील करूंगा कि इसका विरोध न करे। यह बिल उनके लिए है जिनकी माली हालत कमजोर है, यह उन लोगों की हैल्प होगी।

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. राम लाल वधवा): चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा हाउस को बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे साहब ने बताया कि सरकार कोई नया बिल नही लाई है। यह बिल पहले ही पास हो चुका है और पार्लियामैन्ट में भी इसी किस्म का एक बिल पास हुआ है। पहले वाले बिल में कुछ लकूना रह गया था, अब उसको दूर किया जा रहा है। पहले यह था कि चार साल के बाद विधान सभा भंग हो गई ओर एक आदमी चार साल तक सदस्य रहा तो वह पैन्शन नहीं ले सकता था क्योंकि पांच साल तक सदस्य रहने के बाद ही पैन्शन का ऐनटाइटल होता था। इसी प्रकार के जो छोटे–मोटे लकूने थे वे ठीक करके अमेन्डिंग बिल आपके सामने रखा है। लेकिन सारी बहस सुनने के बाद मैं बात कहना चाहता हूं कि यह जो कहा जा रहा है कि एक दफा

जो चुनकर आ गया वह पैन्शन का ऐन्टाइटल हो गया यह बात तो ठीक है लेकिन सवाल यह है कि जो मैम्बर बार–बार चुनकर आ जाएगा उसको पेन्शन नहीं मिलेगी। जब वह मैम्बर नहीं रहेगा तो उसको पैन्शन मिलेगी। अगर कोई मैम्बर दूसरी दफा चुनकर आ जायेगा तो उसको पैन्शन नहीं मिलेगी। चेयरमैन साहब, हम तो पचास बार चुनकर आंएगे (व्यवधान)।

श्री दीप चन्द भाटिया: चेयरमैन साहब, इन्होंने कहा है कि मैं पचास बार चुनकर आऊंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी उम्र कितनी होगी? (व्यवधान)

Mr. Chairman: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now the House will take up the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLUASE 1

Mr. Chairman: Question is –

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLUASE 2

Mr. Chairman: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLUASE 1

Mr. Chairman: Question is –

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Chairman: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Ch. Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be passed.

Mr. Chairman: Motion moved –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be passed.

14.00 बजे

कामरेड शंकर लाल: चेयरमैन साहब, इसके विरोध में मैं वाक आऊट करता हूं। मैम्बरों की कोई पेन्शन नहीं होनी चाहिये। (शोर एवं व्यवधान) (वास्तव में माननीय सदस्य ने वाक आउट नहीं किया)

स्वामी आदित्य वेश: चेयरेमैन साहब, पहले यह कानून था कि जो मैम्बर 5 वर्श के लिये रहेगा उसको पैन्शन दी जाएगी और अब सरकार इन कानून में एक नई प्रगति करना चाह रही है क्योंकि यह जनता की सरकार जनता की सेवक है और जनता की सेवा करना चाहती है। सरकार यह करना चाहती है कि जो आज शपथ ग्रहण कर लेगा, वह उसके पश्चात इस पेन्शन का मालिक

बन जायेगा। अभी–अभी मेरे माननीय साथी चौ. उदय सिंह दलाल कह रहे थे कि कई मैम्बर ऐसे हैं * * * * शायद उनको यह पता नहीं कि जब कभी भी देश के सामने कोई समस्या आई है तो वे ही लोग सबसे पहले .....(शोर एवं व्यवधान)

चौ. उदय सिंह दलाल: चेयरमैन साहब, * * * * –(शोर)–

स्वामी आदित्य वेश: चेयरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब है .....(शोर).....

श्री सभापति: स्वामी जी आप बैठिये. Please take your seat and I request every-body to take his seat. (Interruptions) जो दूसरे मैम्बर साहेबान के बारे में किसी ने कोई रिमार्कस दिये हैं, वह एक्सपंज किये जाते हैं। स्वामी जी, आप बिल के मैरिटस पर कह लीजिए.....(शोर एवं व्यवधान).....

(इस समय बहुत से मैम्बर साहेबान बोलने के लिये खड़े हो गये।)

When I am on my legs, every body should take his seat.

मैं सभी मैम्बर साहेबान से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे बिल के मैरिटस पर बोलें लेकिन they should not cast aspersion on any-body else in the House.

स्वामी आदित्यवेश: ठीक है जी चेयरमैन साहब, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह बिल भारतीय संविधान की अन्तर्आत्मा के प्रतिकूल है क्योंकि इस बिल में एक झलक आ रही है कि एक नागरिक से दूसरे नागरिक के प्रति डिसक्रिमीनेशन का व्यवहार किया जा रहा है। जितने भी यहां पर नागरिक हैं जो इस भारत भूमि पर पैदा हो चुके हैं, चाहे एक दिन के लिये, चाहे 10 दिन के लिये चाहे 10 साल के लिये, चाहे 50 साल के लिये और चाहे 100 साल के लिये, उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना अनिवार्य है क्योंकि ऐसा न होना भारतीय संविधान की मूल धारा के प्रतिकूल है। अतः मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इस सदन के पवित्र पटल पर यह एलान करता हूं कि मैं सारा जीवन कोई पैन्शन नहीं लूंगा।

चौ. राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, यहां पर कोई आनरेबल मैम्बर साहेबान ने 5 साल का प्रश्न उठाया है। मैं उन्हें यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इस हाउस के अन्दर डिस्कशन के समय हमारे एक साथी श्री अयोध्या प्रसाद जी की बात आई थी, वे केवल डेढ़ साल इस हाउस के मैम्बर रहे हैं क्या आप मैम्बर साहेबान चाहेंगे कि जिस प्रकार की उनकी माली हालत है उसको देखते हुए उन्हें सहायता नहीं मिलनी चाहिये? यह बिल इसीलिये यहां पर लाया गया है कि जिससे ऐसे लोगों को पैन्शन मिल सके ओर उनके परिवार का पालन–पोशण हो सके जो सारा समय राजनीति में लगाते हैं।

Mr. Chairman: Any M.L.A. who takes over as an M.L.A. even for a day, he is an M.L.As. This is a Bill for M.L.As. So there is no discrimination. (Interruptions).

Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now I would request the Education Minister to move the next Bill.

A Member: Chairman Sahib on a point of order ..... (Interruptions).

Mr. Chairman: There is no business before the House. No point of order can be raised.

दि हरियाणा प्राईवेट कालेजिल (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमैंट) बिल, 1978

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा चन्द आर्य): चेयरमैन साहब, मैं हरियाणा प्राईवेट महा विद्यायल (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक 1978 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इस बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Chairman: Motion moved –

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill taken into consideration at once.

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): चेयरमैन साहब, यह बिल पहले भी हाउस में पेश हो चुका है। पिछले बार जब सरकार ने यह बिल पेश किया था तो मैंने यह सुझाव दिया था कि ऐसी जल्दबाजी में कोई कानून न बनाओ कि जिसका फायदा न हो, बल्कि नुकसान ज्यादा हो। सरकार ने शायद अब कुछ निशाने बनाये हुए थे और कुछ जल्दी में थी। यह एतराज भी मैंने किया था कि कांस्टीच्यूशन की आर्टीकल 31 क तहत कोर्ट में ये बिल ठकर नहीं पायेगा लेकिन सरकार को ऐसी गलत सलाह मिली कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रैजीडेन्ट साहब की कन्सैंट के लिये भी यह बिल नहीं रखा गया जबकि कांस्टीच्यूशन में यह साफ तोर पर प्रोवाइडिड था। आज फिर वही बिल हमारे सामने आया है। इस बिल में बहुत सी बातें हैं जिनसे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकी। हिन्दुस्तान में 90 परसेन्ट कालेजिज तथा स्कूलज प्राईवेट हैं और केवल 10 परसेन्ट ऐजुकेशनज इंस्टीच्यूशन्ज सरकार के हाथ में हैं या यूनिवर्सिटयों के हाथ में है। अगर सरकार प्राईवेट कालेजिज में दखल देने की कोशिश करेगी तो एक नतीजा यह निकलेगा कि आगे के लिये लोग प्राईवेट कालेजिज खोलना बन्द कर दैंगें। चेयरमैन साहब, प्राईवेट कालेज चलाना कोई आसान काम नहीं है। इलाके के लोगों की सेवा के लिये लोग दान के तौर पर पैसा खर्च करते हैं। चेयरमैन साहब, आपने भी अपने नूंह में कालेज

खोला हैं जिस इलाके में कोई सरकाारी कालेज नहीं होगा तो लोगे भी वहां प्राईवेट कालेज खोलने की कोशिश करते हैं। अगर सरकारी कालेज हो तो प्राईवेट कालेज खोलने की किसे पड़ी है कि वह खोले, जनता इसक लिये क्यो पैसा देगी और क्यों लोग मेहनत करेंगे? आज सरकार एक इस तरीके का बिल लाई है जिससे कि ऐसे आदमी जोकि प्राइमरी पास भी नहीं हैं, जिन्होंने आज तक कालेज तक की शकल भी नहीं देखी है, जिन्होंने शायद चिड़ियों को कभी बाजरा भी ने फेंका हो, जिन्होंने शायद गर्मियों के दिनों में पियाऊ भी न लगाया हो, उन्हें इन इंस्टीटयून्ज का तीन साल के लिये मालिक बनाने जा रही है। सरकार के पास तो बहुत ओहदे हैं, बड़े–बड़े इंस्टीच्यूशंज और कार्पोरेशंज भी हैं। उनमें सरकार ने अपने लोगों को इस विधान सभा में से भी और बाहर से भी एकोमोडेट कर दिया है। उनकी तनखाहें हैं, उनके पास कारें हैं और चीजें भी हैं। तो सरकारी खजाने के ऊपर तो सरकार जो चाहे खेल खेल सकती है लेकिन कालेजों के मामले में तो सोच समझ कर चलने की जरूरत है। मैं तो यही सुझाव दूंगा। मुझे यह भी मालूम है कि सरकार इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं होगी क्योंकि इन्होंने तो यह अपना एक मकसद बनाया हुआ है। इस बिल में कोई प्रोवीजन नहीं कि अगर कोई कालेज ठीक नहीं चल रहा होगा और उसमे एडमिनिस्ट्रेटर मुकरर किया जाएगा तो उसका खर्चा कहां से चलेगा। आज हर शख्श जानता है कि प्राईवेट कालेज खसारे पर चलते हैं, डैफिसिट में चलते हैं। यहां पर डैफिसिट के लिये सरकार 45 प्रतिशत ग्रान्ट देती है

लेकिन सबसे जयादा 95 प्रतिशत ग्रान्अ हिन्दुस्तान में दिल्ली के कालेजों को मिलती है और बाकी 5 प्रतिशत खर्चा प्राईवेट मैनेजमैंट को करना पड़ता है जिसे वह पूरा नहीं कर पा रही है इसकी वजह से पीछे आपने पढ़ा होगा कि दयाल सिंह कालेज के इतने बड़े ट्रस्ट ने अपना कालेज सौंपने के लिये 5 साल तक सरकार की खुशामद की और आज जाकर सरकार ने वह कालेज लिया। इसी तरह से राम लाल आनन्द कालेज, दिल्ली, की मैनेजमैंट की तरफ से भी छः साल से कोशिश हो रही थी तब जाकर यूनिविर्सिटी ने वह कालेज लिया इसी तरह से हम राव तुला राम कालेज, दिल्ली में नहीं चला पा रहे हैं, उसके लिये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके सरकार या यूनिवर्सिटी ले ले लेकिन नहीं ले रहे हैं। आज उसकी हालत यह है कि हम उसका खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैनेजमैंट कहां तक चन्दा ले करके डैफिसिट पूरा करें? इसी तरह से आपके स्कूल हैं। लोग बिल्डिंग देते हैं, जमीन देते हैं, फर्नीचर देते हैं और तीन साल की तनखाह देने के लिये भी तैयार होते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से सरकार किसी किसी स्कूल को अपनी तहबील में लेती है। बहुत से कालेज ऐसे हैं कि सरकार को उन्होंने रिक्वैस्ट की हुई है कि हमारा कालेज सरकार ले ले और सरकार उसे चलाए लेकिन उन कालेजों को सरकार नहीं ले रही है। सरकार तो उन कालेजों को लेगी जो सरकार की निगाह में चुभते हों। इसलिये इस तरीके से इंस्अीच्यूशंज में, एजुकेशन के अन्दर पोलिटिक्स को दाखल करना, कोई भलाई का काम नहीं होगा। सरकार ने यह कोई इन्तजाम

नहीं किया कि 45 प्रतिशत ग्रान्ट से अगर कालेज का खर्चा पूरा नहीं होगा तो बाकी खर्चा कहां से दिया जाएगा। यह मनी बिल तो नहीं है और सरकार को एक साल में डैफिसिट के लिये एक कालेज को लाखों रूपये देने पडेंगे। तो उससे कितना खर्चा बढ़ेगा? कहां से लाएंगे इतना पैसा? अगर पैसा नहीं दे पाएंगे तो वे कालेज बनद होंगे। तो अगर कालेज बन्द करने के लिये सकरार टेक–ओवर करती है तो बउ़े शौक से करे। बेहतर तो यह होता कि अगर किसी कालेज के इन्तजाम में खराबी है तो जैसे बहुत सी स्टेट गवर्नमैंटस ने कर रखा है या यूनिवर्सिटीज ने कर रखा है कि मैनेजमैंट कमेटी के अन्दर यूनिवर्सिटी दखल दें, उसमें ऊपर से कुछ और मैम्बर डाल दें। इसलिये यूनिवर्सिटी के सुपुर्द यह काम होना चाहिए कि वह उनकी देखभाल करे। सरकार ने एक्ट बनाने के लिये यह बिल आज यहां पर रख दिया है कि अगर यूनिवर्सिटी कोई खराबी देखे या अरदवाइज सरकार को पता लगे यानी कोई आदमी शिकायतें इकट्ठी करके ले आए कि इस कालेज का इंतजाम ठीक नहीं चल रहा है तो सरकार उस कालेज में अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देगी। इसका नतीजा क्या होगा कि तीन साल के लिये उस सारे कालेज की जायदाद का मालिक एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। लोगों ने जो 30–30, 40–40 और 50–50 सालों के अन्दर एक एक ईट इकट्ठी कर के दी है उस पर एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा अख्तियार होगा। अब तीन साल के लिये टैम्पोरेरली एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठे और वह तीन साल मैंनेजमैंट के पूरे अख्यितार हासिल करेगा जैसा कि इस बिल में

देने का इरादा है। तो अगर उन तीन सालों में वह सब कुछ बेच कर चला जाएगा तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस बिल के अन्दर यह कोई पाबन्दी नहीं है कि वह सिर्फ एजुकेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, यह भी कोई पाबन्दी नहीं है कि वह यूनिवर्सिटी के कायदे कानून के मुताबिक कालेज का इन्तजाम करेगा। वह तो तीन साल के लिये कालेज की प्रोपर्टी का मालिक होगा। वह एक मैनेजमैंट और ट्रस्ट की तरह से होगा जिसको कि यह अख्यितार होता है कि चाहे वह उस प्रापर्टी को बेच दें, रहन रख दे या किसी दूसरे का कब्जा भी करवा दे। तो इससे प्राईवेट इंस्टीच्यूशंज को इतना खतरा पैदा हो सकता है कि चौधरी साहब को बहुत समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। अगर चौधरी साहब को लोगों ने गलत राय दी है तो वे किसी पढ़े–लिखे आदमी से सलाह कर लें (विघ्न) मैं तो आप जेसा ही हूं। एक दो जमात ज्यादा पढ़ा हूं। इस बिल में कुछ रूल्ज वगैरह की बात रखी है यह शायद ऊपर से सैट्रल गवर्नमैंट से सुजैशन मिली है कि असैंबली के सामने रूल्ज भी रखने चाहिए। पहले इन्होंनें यह प्रोवीजन नहीं किया था। लेकिन इस बिल के अन्दर सिवाये नुकसान के कोई फायदा दिखाई नहीं देता है अव्वल तो ये यूनिवर्सिटी के काम में दखल दे रहे हैं। सरकार पहले अपने आदमियों को और अपने आप को पढ़ने लिखने का इन्तजाम करवाये ....

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): यह इसलिये कर रहे हैं कि आप जैसों को मौका मिल जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह: नहीं मेरे जैसे नहीं मिलेंगें क्योंकि मेरे से ज्यादा और बहुत बुद्धिजीवी हैं। एक तो आपके पीछे राम लाल वधवा जी बैठे हैं ....(विघ्न).....

चौ. देवी लाल: आप भी पीछे फिरा करते थे ....(विघ्न)... ...

राव बीरेन्द्र सिंह: यह तो देख लैंगे कौन पीछे फिरता है, वक्त बता देगा। चौधरी साहब वह वक्त जल्द ही आ रहा है, जल्द आ जाएगा इतनी तेजी मत करो। तो चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज करता हूं कि ये और कामों की तरफ ध्यान दें। व्यास–रावी के पानी की बात नहीं करते ओर अगर हम ला एंड आर्डर की बात करते है तो सरकार के पास फुर्सत नहीं है चाहे रोज डाके पड़े, चोरियां हों या और खराबियां हों।

चौ. देवी लाल: चेयरमैन साहब, क्या यह ला–एंड आर्डर पर बहस हो रही है?

राव बीरेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, मैं तो कह रहा हूं कि ला–एंड–आर्डर की तरफ ज्यादा ध्यान दें बजाये इन चीजों के। पढ़ने लिखने की बात तो छोड़ो वह तो पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों की बात है अब तो जो आपका खास काम है वह काम करो।

ला–एंड–आर्डर को संभालो (विघ्न) हरियाणा के हित की बात करो और अपने हकूक हासिल करने की बात करा .....

चौ. राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, इन्होंने भी सन् 67 में खूब काम किया था .....

राव बीरेन्द्र सिंह: हां, उस वक्त तो आपके सहयोग से बहुत अच्छा काम चला था (हंसी) लेकिन सहयोग बहुत थोड़े दिन मिला और अब यह भी नहीं पता कि चौधरी साहब को कितने दिन मिलेगा? (हसी)

श्री सभापति: राव साहब, आप बिल देखें, उस पर ही बोलें।

राव बीरेन्द्र सिंह: बहुत अच्छा। मैंने बिल देख लिया है और जो मैंने कहना था वह कह चुका हूं। मुझे सिर्फ इतनी ही अर्ज करनी थी। धन्यवाद।

श्रीमती शान्ति देवी (कैलाना): चेयरमैन साहब, कालेजों के बारे में जो यह बिल आया है मैं इसका हार्दिक स्वागत करती हूं क्योंकि हमारे हरियाणा के अन्दर कई सालों से कुछ रूग्ण जिन्हें सिक कहा जाता है ऐसे कालेज थे। यदि सरकार ने उस बीमारी को हरियाणा से निकालने के लिये एक अच्छा कदम उठाया है तो इसमें क्या बुराई है? पुरानी सरकार ने यह कलंक हमारे माथे मढ़ा था। इस बिल के आने से शायद राव साहब को भी कोई तकलीफ हो सकती है क्योंकि इन्होंने भी अपने हल्के में ऐसी

बीमारी चला रखी होगी। लेकिन हम तो बड़े चिन्तित हैं कि किस तरह से उन लैक्चररों को जो दुर्भाग्य से प्राईवेट कालेजों के अन्दर कार्यरत हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है। उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। किसी को भी कोई साधन सुलभ नहीं है। न उनको रिहायश के लिये कोई सुविधा उपलब्ध है और न ही कोई अन्य प्रकार की कोई और सुविधा उपलब्ध है (विघ्न) इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी को इस सुन्दर कदम उठाने के लिये बधाई देती हूं।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): चेयरमैन साहब, इस बिल में थोड़ी सी तबदीली हुई है। यह बिल हमने पिछले सैशन में पास किया था और जैसे कि राव साहब ने कहा मुझे याद है कि इन्होंने उस वक्त भी इसकी मुखालफित की थी और मैंने उस वक्त भी इसकी हिमायत की थी और अब भी कर रहा हूं। मैं राव साह को याद करवाता हूं कि उनको क्यों अन्देशा हो गया है, ये इतने सुन्दर–सुन्दर इंस्टीच्यूशंज चला रहे हैं.....

चौ. देवी लाल: यह तो इन्होंने खाने का धंधा बना रखा है .....

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, मैं यह बात नहीं कहता। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह: आपने कितने प्राईमरी स्कूल खोले हैं .....(व्यवधान)

चौ. देवी लाल: मैंने आप जैसे पढ़ा–पढ़ा कर छोड़ दिए हैं। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: मैं इस बिल की मैरिटस पर विचार करना चाहता हूं। जब पहले यह बिल पास हुआ था, उस वक्त सरकार से एक गलती हो गई थी कि यह बिल राश्ट्रपति की मन्जूरी के लिये नहीं भेजा गया था। सरकर की यह हिम्मत है कि अपनी गलती को सरकार ने स्वीकर किया। यह बल की स्अेटमैंट आफ औब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज में लिखा हुआ है। अब राव साहब को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हिन्द सरकार ने यह सुझाव दिया था कि इइस बिल में यह संशोधन होना चाहिए इस आधार पर हमारी सरकार ने इस सुझाव को इनकारपोरेट कर लिया। अब राव साहब को क्या गिला है, मुझे इस पर आश्चर्य है। एक तरफ तो ये शिकायत कर रहे हैं कि राव तुलाराम जैसे कई कालेजों को, उनकी मैनेजमैंट सरकार को सौंपना चाहती है लेकिन सरकार ले नहीं रही और दूसरी तरफ इस बिल के जरिए सरकार खुद लेना चाहती है तो वे सरकार को दोशी ठहराते हैं। राव साहब ने क्लाज 3 को अच्छी तरह पढ़ा होता तो शायद वे इस ढंग से क्रिटिसाईज न करते। इसमें लिखा है कि कालेज की मैनेजमैंट को बाकायदा नोटिस देगें जिसमें यह लिखा जाएगा कि देखिए, आप अपनी डयूटी को, अपपने कर्त्तव्य को पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं। जब मैनेजमैंट का इस पर स्पश्टीकरण आएगा और उस स्पश्टीकरण में मैनेजमैंट यह कहेगी कि पीछे जो गलती हुई है,

उसको आयंदा नहीं दोहरायेंगे तो सरकार उस कालेज को टेक–ओवर नहीं करेगी। इस हालात में क्या सरकार का सिर फिरा है कि उसको ले लेगी? मैनेजमैंट का जवाब सैटिस्फैक्टरी होगा तो सरकार नहीं लेगी। सरकार ने इसमें यह प्रोबीजन नहीं रखा है कि टेक–ओवर करने के बादा भी घाटे में चले तो सरकार कैसे घाटा पूरा करेगी। यह बात ठीक है लेकिन अब सरकार टेक–ओवर कर लेगी ओर फिर भी घाटे में चल रहा है तो सरकार मामला जरूर कैबिनेट में लायेगी। केबिनेट के सामने जरूर यह कवैश्चन होगा ओर सरकार इसका प्रबन्ध करेगी। ऐसे कालेजिज जिनको मैनेजमैंट कमेटी नहीं चला सकती, उनको चलाने के लिये सरकार खर्च देगी। मेरे अपने हल्के में ऐसे कालेज है जिनमें टीचर्ज को तन्खाह तक नहीं मिलती, बच्चों की पढ़ाई का बहुत बुरा हाल है। ऐसे कालेजिज की मैनेजमैंट को सरकार सम्भाल लेगी और प्रबन्ध करेगी, यह पब्लिक के हित की बात है। एजुकेशन डिपार्टमैंट ने इस किस्म का सर्वे किया है कि कौन कौन से कालेज ऐसे हैं जो खराब हालत में चल रहे हैं। यह किसी पालिटीशियन ने सर्वे नहीं किया, डिपार्टमैंन के सरकारी कर्मचारियों ने किया है ओर रिपोर्ट की है कि फलां कालेज सरकार को लेना चाहिए, उस इलाके की मांग है कि उस कालिजज को सरकार सम्भाले। इसलिये मैं आपकी मारफत कहना चाहता हूं कि इस बिल की मुखालफत नहीं होनी चाहिए श्रीमती शान्ति राठी ने भी यही कहा है कि इस बिल की मुखालफत नहीं होनी चाहिए।

इस बिल की क्लाज 4 में लिखा हुआ है:—

"Nothing contained in this Act shall apply to any minority college."

यानी यह बिल माईनौरिटी कालेजिज पर लागू नहीं होगा। वैसे मुझे मालूम है कि संविधान में यह लिखा है कि अगर माइनौरिटीज अपने कालेज खुद चलाना चाहे तो उनको खुद चलाने का अधिकार है। लेकिन अगर माइनौरिटीज खुद ही कहें कि फलां कालेज जो हम चला रहे हैं इसका इन्तजाम उनसे ठीक नहीं चल रहा, सरकार इसको सम्भाल ले तो इस क्लाज 4 के तहत ऐसे कालेज को भी हम टच नहीं कर सकते। अगर माइनौरिटी कालेज की ऐसी सिचुएशन आ जाए और लोग भी कहं कि इसको टेक—ओवर कर लिया जाए तो सरकार को सम्भालना चाहिए।

Mr. Chairman: Question is –

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now the House will take up the Bill clause by clause.

SUB- CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Chairman: Question is –

The sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Chairman: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Chariman: I have received notice of an amendment to this clause from the Education Minister. He may please move his amnendment.

Education Minister (Shri Hira Nand Arya): Sir, I beg to move-

In sub-clause (1), in line 8, after the words “State Government”, the word “may” be inserted.

Mr. Chariman: Motion moved-

In sub-clause (1), in line 8, after the words “State Government”, the word “may” be inserted.

Mr. Chariman: Question is –

In sub-clause (1), in line 8, after the words “State Government”, the word “may” be inserted.

Mr. Chariman: Question is –

That clause 3, as amended, stand part of the Bill.

CLAUSE 4 TO 11

Mr. Chairman: There are no amendment to clauses 4 to 11. Therefore, of the House agrees, these may be put together.

Voices: Yes.

Mr. Chariman: Question is –

That clauses 4 to11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB- CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Chairman: Question is –

The sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Chairman: Question is –

The Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman: Question is –

That title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Education Minister (Shri Hira Nand Arya) : Sir, I beg to move-

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill, be passed.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill, be passed.

Mr. Chairman: Question is –

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill, be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा विधान सभा प्रोसीडिग्ज (प्रोटैक्शन आफ पब्लिकेशन) बिल, 1978

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa) : Sir, I beg to introduce the Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill, 1978.

I also beg to move-

That the Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill, be taken into consideration at once.

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair).

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill, be taken into consideration at once.

चौ. रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, जो बिल मंत्री महोदय ने पेश किया है मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार ने और जनता पार्टी ने चुनाव के समय वचन दिया था कि प्रैस को स्वतन्त्रता दी जाएगी। जो अंकुश प्रैस की स्वतंत्रता के ऊपर लगा हुआ था और यहां की प्रोसीडिंग्ज के बोर में भी बड़ी पाबन्दी थी उसे आज सरकार ने इस बिल के द्वारा हटाने की तजवीज की है। मैं सरकार को इसके बारे में बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि प्रैस वालों को भी सरकार थोड़ा सा निगाह में रखे ताकि वे कोई डिसटौर्टिड रिपोटिंग न करें ओर रिपोर्ट करने में कहीं फेवरेटिज्म आदि की नीति न बरतें। हम देखते है कि प्रैस से जो रिपोटिंग आ रही हैं वह कोई बहुत

ठीक तौर पर नहीं है। बहुत से अखबारों में अनुचित ढंग से या डिसटौर्टिड–वे में प्रोसीडिंग्ज छपती हैं। उनका स्पीकर साहब, अगर आप ध्यान रखते रहे तो बड़ी कृपा होगी।

Mr. Speaker:Question is-

That the Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

Mr. Speaker: Now the House will taken up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Chairman: Question is –

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker:Question is-

Mr. Speaker: I have received notice of an amendment from Shri Ram Lal Wadhwa. He may please move his amendment.

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa) : Sir, I beg to move-

That in the heading, long title, clauses 1.3 and 4 for the words “Haryana Vidhan Sabha” wherever occuring, the words “Haryana Legislative Assembly” be substituted.

Mr. Speaker: Motion moved-

That in the heading, long title, clauses 1.3 and 4 for the words “Haryana Vidhan Sabha” wherever occuring, the words “Haryana Legislative Assembly” be substituted.

Mr. Speaker: Question is -

That in the heading, long title, clauses 1.3 and 4 for the words “Haryana Vidhan Sabha” wherever occuring, the words “Haryana Legislative Assembly” be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker:Question is-

That clause 3 as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker:Question is-

That clause 4 as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker:Question is-

That clause 1 as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker:Question is-

The Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker:Question is-

The Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to move-

That the Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Vidhan Sabha Proceedings (Protection of Publication) Bill, as amended be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा पब्लिक वकफस (एक्सटैन्शन आफ लिमिटेशन) बिल, 1978

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma): Sir, I beg to introduce the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, 1978

I also beg to move-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, मैं इस बिल की इस सैन्स में मुखालिफत करता हूं कि यदि आम तौर पर किसी का कब्जा नाजायज हो तो उसकी 12 साल की मियाद होती हैं यह 12 साल की मियाद सन् 75 से पहले ही खत्म हो गई थी।

अब हम उस मियाद को 31 दिसम्ब्र, 1980 तक और आगे न बढ़नी होती। जब यह मियाद भी खत्म होगी तो मुझे पता है कि और ऐक्सटैन्शन के लिये बिल आ जाएगा। मैं यह नहीं चाहता कि वकफ की प्रोपर्टी पर लोग कब्जा कर लें और यह उसको वापिस न मिले। यह मेरा मुद्छा नहीं लेकिन एक लिमिटेशन एक्ट जो है उसका खास महत्व है और वह यह है कि मुकदमेंबाजी में लोग लम्बे अर्से तक न लटके रहें बल्कि किसी मामले को हम जल्दी से सैटल होने दें। वक्फ बोर्ड खासा अच्छा बोर्ड है। जब वह सन् 75 तक कार्यवाही नहीं कर सकता तो आगे भी क्या करेगा। इसलिये मैं ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह अश्योरैन्स दे दे कि 31 दिसम्बर, 1980 के बाद यह मियाद नहीं बढ़ेगी तब तो ठीक है वरना इसका कोई फायदा नहीं।

चौ. खुरशीद अहमद (तावडू): स्पीकर साहब, मैं इस बिल को स्पोर्ट के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल उस जायदाद के बारे में है जिस पर कब्जा यदि मुखालफाना भी हो तो भी इख्लााक किसी आदमी को यह जेबा नहीं देता कि वह उस जायदाद पर कब्जा करके बैठ जाए। यह वह जायदाद है जो कुछ लोगों ने अपनी जायदाद में से निकाल कर एक पब्लिक परपज के लिये वक्फ बोर्ड के हवाले की है। मैं तो यह चाहता हूं कि 1980 तक मियाद बढ़ाने की तो बात ही क्या है इस पर कोई मियाद लागू नहीं होनी चाहिए। इस पर लिमिटेशन तो परपिचुयटी तक चलनी

चाहिए ताकि ऐसी जायदाद पर जो गल्त तरीक से कब्जा करे, वह काबिज न रह सके।

चौ. रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, इस बिल की अहमियत जैसे खुरशीद जी ने बताया बड़ी भारी है और वक्फ की प्रौपर्टी, जो धार्मिक कामों के लिये है, की सुरक्षा के लिये, उसको नाजायज कब्जे से बचाने के लिये, यदि कोई लिमिटेशन न भी रखी जाए तो भी ठीक बात है। लेकिन एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग वक्फ प्रौपर्टी के ट्रस्टी बने हैं, जो बोर्डज के चेयरमैन बने हुए हैं या जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उन्होंने तकरीबन सारी प्रौपर्टी खा ली। (विघ्न) बिल्कुल बगैर नमक मिच्र लगा कर खा ली। इतनी कुरप्शन फेली है जिसका कोई हिसाब नहीं। लोगों से फर्जी दावे कराये जाते हैं और इनके पटवारी और दूसरे कारकून उनके हक में फर्जी ब्यान दे देते हैं कि साहब इनका कब्जा पुराना है। (विघ्न) हरियाणा में तो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी इसको हज्म कर बैठे हैं। इसलिये मैं ज्यादा न कहते हुए मुख्यमंत्री जी से और विशेश कर मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि आप पिछले दस–पन्द्रह साल के केसिज की किसी एक शहर में अवश्य तहकीकात कराएं। आापकी करोड़ों रूप्यों को गबन इस प्रौपर्टी का मिलेगा। कई लोगों ने बड़ी बेरहमी के साथ इस जायदाद को हड़प किया है। इसलिये सरकार का फर्ज है कि वह कानून में तरमीम करके जिन लोगों ने बेईमानी की है और

जिन्होंने इस जायदाद को बहुत ही बुरी तहर से खाया है, उनसे इसे वापस कराए।

चौ. प्रताप सिंह ठाकरान (गुड़गांवा): स्पीकर साहब, वक्फ बोर्ड की प्रौपर्टी के बारे में मुझे जाती तौर पर तजुर्बा है और काफी कुछ इस बारें में इल्म है कि इस प्रौपर्टी का बहुत गलत ढंग से इस्तेमान हुआ है क्योंकि मैंने इस बारे में मुकदमें भी लड़े हैं। वक्फ के कर्मचारियों ने और दूसरे आफिस बीयरर्ज ने उसका बहुत मिस–यूज किया है मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसकी स्पैशल इन्क्वायरी करवायी जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में पेश किया गया है, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं ओर सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है क्योंकि जब यह बिल पास हो जाायेगा तो एक बहुत कड़ा अहम सवाल हमारे प्रदेश का सौलव हो जायेगा। हमारे प्रदेश मे एक बहुत बड़ी समस्या है कि वक्फ की बेहन्तहा प्रौपर्टी इस वक्त नाजायज तौर पर लोगों ने कब्जे में की हुई है। यह ठीक है कि इस कब्जे की कुछ मियाद होती है। अगर 12 वर्श तक किसी का नाजायज कब्जा रह जाये तो वह प्रापर्टी उसकी अपनी हो जाती है। इस मियाद को पहले भी कई बार बढ़ाया गया है लेकिन उस मियाद के बढ़ाने के बावजूद भी पिछली सरकार ने बहुत सुस्ती दिखायी। उन जमीनों से उन लोगों को बेदखल नहीं कराया गया। मैं इस बिल की ताईद तो करती हूं लेकिन इसके

साथ–साथ वक्फ मिनिस्टर महोदया से यह बार–बार गुजारिश करना चाहूंगी कि वे इस बढ़ाई हुई मियादा का पूरा–पूरा फायदा उठायें। उन नाजायज कब्जों के खिलाफ फौरी तोर पर रिटें दायर करें। अगर रिटें दायर कर दें तो इस बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाया जा सकता है। वे सारे के सारे कब्जे बेदखल कराये कराये जाये और उस प्रौपर्टी को उस काम के लिये जिसके लिये यह बिल पास किया जा रहा है वापिस किया जाये। कही ऐसा न हो कि पहले जो इतनी सारी अवधि बढ़ाायी गई है उसी तरह से यह मियाद भी बेबुनियाद हो कर रह जाये। मैं इस बिल का पूण्र रूप से समर्थन करते हुए सरकार से गुजारिश करूंगी कि इस बिल के पास होने की सफलता तभी हो सकती है जब इस अवधि का लााि उठाते हुए फौरी तौर पर मुकदमें करें और सारी की सारी जायदाद को बेदखल करवायें। उस सारी जायदाद से उस जमात को फायदा पहुंचवायें जो जमात आज पिछड़ी हुई है।

Mr. Speaker: Before asking the Hon. Minister to reply I must say that I have myself beeen a member of the charitable institutions and I also fully associate myself with the views/sentiments expressed by the Hon. Members in this respect. I now request that Hon. Minister to give the reply.

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह वक्फ बोर्ड दो अक्तूबर सन् 1960 में बना था। वैसे तो स्टेट इसके अन्दर ज्यादा इन्टरफियर नहीं करती क्योंकि यह सैन्ट्रल बोड्ड के अधीन काम करता है। मैं हाउस को यह

बताना चाहती हूं कि इस वक्त तक जो पुराने मैम्ब्र बोर्ड के थे जिन्होंने घपलेबाजी की थी, वे हटा दिये गये हैं। यह वक्फ बोर्ड पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों स्टेटस का हैं यह अब री–कांस्टीच्यूट हो चुका है ओर यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि चाहे बोर्ड के मामले में स्टेट गवर्नमेंट इन्टरफियर नहीं कर सकती फिर भी अधिक से अधिक जितनी घपलेबाजी है, इसकी इन्कवायरी करायी जायेगी। बोर्ड एक अटोनोमस बोडी है लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझते हुए हाउस को आश्वासन दिलाती हूं कि इस वक्त 1825 केसिज कोर्ट में पैंडिन्ग हैं जिनका निर्णय होना है। अगर यह बिल पास नहीं किया जाता तो वह वह मालिक बन सकते हैं। वक्फ की प्रौपर्टी को बचाने के लिये यह बिल लाया गया है। इसलिये में हाउस से निवेदन करूंगी कि इस बिल को पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

SUB- CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is –

The sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB- CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is –

The sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is –

The Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is –

That title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma) : Sir, I beg to move-

That the Haryana Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978

Excise and Taxation Minister (Ch. Sher Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, 1978.

I also beg to move-

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

चौ. जगजीत सिंह पोहलू (पाई): स्पीकर साहब, मैं अपने आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां यह बिल पेश किया है, वहां आज हरियाणा मे ंतकरीबन 96 हजार पुराने मुकदमें पैंडिन्ग पड़े हुए हैं जिनका अभी फेसला होना है। 12–12 साल पुराने मुकदमें हैं क्योंकि जजिज थोड़े हैं। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि सब–डिविजनल लैवल पर एडीशनल सैशन जज के कोर्टस कायम कर दिये जायें और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पूरे सैशन जज होने चाहिये। जैसे कुरूक्षेत्र में सिर्फ एक एडीशनल सैशन जज है उससे काम नहीं चलता है। कुरूक्षेत्र जिले के मुकदमें करनाल में भेजने पड़ते हैं। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों के लिये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट तो इक्ट्ठी रहे परन्तु इसके

साथ–साथ अगल से तीन जजों का एक सर्किट बैंच कायम कर दिया जाये। यह चाहे जीन्द में हो, चाहे कैथल में हाो इससे हरियाणा के लोगों का खर्चा बच सकेगा क्योंकि लोगों को बड़ी दूर से हाई कोर्ट आना पड़ता है ओर गांवों के लोगों को काफी तकलीफ होती है। इसलिये मैं चीफ मिनिस्अर साहब से प्रार्थना करूंगा कि अपने जितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, सब–जजिज हैं इनको एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के बराबर, एस.डी.एम. के बराबर फेसेलिटीज दी जायें ताकि इनकी हौसला–अफजाई हो सके। इनको अधिक से अधिक प्रोमोशन दी जाये ताकि वे जल्दी से जल्दी लोगों को इन्साफ दे सकें।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is –

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3 to 5

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is –

The Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is –

That title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Ch. Sher Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

राज्य में कानूनी स्थिति सम्बन्धी सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा वक्तव्य

Mr. Speaker: Now the Home Minister will make a statement on the Law and Order situation in the state.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब .....

स्वामी अग्निवेशः अध्यक्ष महोदय, कल भी और परसों भी मुझे जितनी भी रिपोर्टस मिली हैं, वे सारी की सारी अंग्रेजी में दी गयी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इतना ..... (व्यवधान)

Mr. Speaker: Will the Irrigation and Power Minister kindly sit down for one minute? Swami ji, I beg you that you had come and spoken to me in the my Chamber. आपने मेरे से इस विशय में चैम्बर में आकर परा डिस्कशन कर लिया था और मैंने आपको यह आश्वासन दिलाया था कि आप मेरे दफतर में एक पत्र लिखकर दीजिये। मैं गवर्नमैंट को लिखूंगा कि आगे से हर रिपोर्ट की एक कापी अंग्रेजी में और एक हिन्दी में भेजी जाये। पता नहीं आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है या क्या बात है। उसके बाद आप मेरे को यह पत्र भेजते हैं। आप मुझे जब चैम्बर में मिले थे तो मैंने आपको यह आश्वासन दिलाया था कि गवर्नमैंट से कहूंगा कि आगे से हर पत्र की और हर रिपोर्ट की कापी हिन्दी में भेजी जाये। आप इस बात पर यकीन रखे कि मैं इसके बाद गवर्नमैंट से अनुरोध करूंगा कि हर रिपोर्ट की एक कापी इंगलिश में और एक हिन्दी में आपके पास भेजी जाये।

स्वामी अग्निवेशः अध्यक्ष महोदय, शायद मैं आपकी बात नहीं समझ सका। आपने यह कहा था कि आप वह पत्र मुझे दे दें। आपको मैं सदन में कल वे रिपोर्टें हिन्दी में उपलब्ध करवाऊंगा। मैं आज सारा दिन बैठा रहा। सारा दिन निकल गया जब मुझे न

मिलीं तो मैंने आपको याद दिलाया कि मुझे अभी तक भी वे नहीं मिलीं हैं।

श्री अध्यक्ष: देखिये, जो रिपोर्टस पहले अंग्रेजी में प्रिन्ट हो गयी है, वे एक दिन में तो हिन्दी में प्रिन्ट होनी नामुमकिन हैं। मैंने आपको यह आश्वासन दिलाया था कि आगे से सरकार जो भी रिपोर्ट प्रिन्ट करवायेगी, वह दोनों भाशाओं में प्रिन्ट करवायेगी। इन रिपोर्टस की कापी 24 घन्टे में तो उपलब्ध करवाने के लिये मैं नहीं कह सकता लेकिन जितना भी कम से कम टाईम लेकर गवर्नमैंट का प्रिन्टिंग प्रैस उसको छापा सकता है, वह छपवाकर मैम्बर्ज को उपलब्ध करायी जायेगी।

स्वामी अग्निवेश: धन्यवाद जी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मिस्टर स्पीकर सर, जैसे कि सुबह कहा गया था कि कुछ केसिज स्टे आर्डर्ज के थे और कुछ इन्डीविजुअल डिस्पयूटस की वजह से वायलैन्स हुआ और क्राईम कमिट हुआ, (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उसके बारे में 7–8 काल अटैन्शन मोशन्ज मैम्बर साहेबान ने दीं। आपने उन मोशन्ज को थौरोली एग्जामिन किया, उनमें कोई सार नहीं पाया और रिजैक्ट कर दीं। अपना काल अटैन्शन मोशन मूव करने के लिये वे लोग भी मेरे ख्याल में सीरियस नहीं थे। वे केवल एक वातावरण पैदा करना चाहते थे। अखबारात में नाम लाना चाहते थे। शायद इसीलिये वे इस समय सदन में हाजिर नहीं हैं। फिर

भी सरकार ने चाहा कि इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया जाये कि यहां पर कोई ला–एण्ड–आर्डर की प्रौब्लम नहीं है। ..... (व्यवधान)

स्वामी अग्निवेश: मैंने, चौ. रिजक राम जी से सुशमा जी ने और स्वामी आदित्यवेश जी ने काल अटैन्शन मोशन दिया था। हम चारों के चारो सदन में मौजूद हैं.....

श्री उपाध्यक्ष: और भी 6–7 मैम्बर्ज थे, आप बैइ जाइये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आपने तो एक दिया होगा लेकिन 7–8 मोशन थे। .....(व्यवधान)

Ch. Khurshid Ahmed: This is not in a good taste to address the House like this.

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं यह अर्ज कर रहा था कि दरअसल यहां पर ला–एण्ड–आर्डर का कोई प्रौब्लम नहीं है। एक एक बकुए को ऐसे ही रंग देने की कोशिश की जा रही है? जब तक समाज रहेगा, दुनिया रहेगी, लोग रहेंगे, प्रौपर्टी के हकूक रहेंगे, ऐसी बातें समाज में होती रही हैं और होती रहेंगी। 5–7 इन्सीडैन्टस जिनका खासतौर पर काल अटैन्शन मोशन्ज में यहां पर जिक्र किया गया है उनमें से एक चौ. खुरशीद अहमद के इलाके के पास का है। चौ. खुरशीद अहमद साहब की तरफ से मुझे पर्सनली भी बताया गया और शायद उस बारे में कोई काल अटैन्शन मोशन भी दी गयी हो। डिस्ट्रिक्ट गुडगांव में हथीन पुलिस स्टेशन में एक

कोई गुढ़ावली गांव है। वहां पर फायरिन्ग हुई थी। वाक्यात में मुख्तसर तौर पर आपको बताता हूं। उसकी प्रि–हिस्टरी यह थी कि एक एबडक्शन का केस रजिस्टर्ड था, एक मुलजिम रिक्वायर्ड था। राजस्थान की पुलिस हरियाणा की पुलिस की इमददा लेकर उस गांव में पहुंची और वारन्ट एक्जीक्यूट करना चाहा। लोगों की तरफ से मुकम्मल तौर पर एक्जीक्यूशन आफ वारन्ट की मजाहमत की गयी। ए.एस.आई. उस वारन्ट को एक्जीक्यूट करना चाहता था, उस पर बाकायदा हमला किया गया, उसकी बाजू पर भी चोट मारी गयी फिर उसके सिर पर हमला किया गया। इन हालात में पुलिस को वहां पर गोली चलानी पड़ी। उस वजह से वहां पर एक आदमी की डैथ भी हुई। केस रजिस्टर्ड है, मुलजिम गिरफ्तार हैं, कार्यवाही चल रही है। एक ऐसा ही वाक्या जिसके बारे में काल अटैन्शन मोशन दिया गया है .....

स्वामी अग्निवेश: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं होता।

श्री वीरेन्द्र सिंह: इस पर कोई बहस नहीं हो सकती।

स्वामी अग्निवेश: मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: रिप्लाई आने दीजिये, स्वामी जी। ..... (व्यवधान एवं शोर)

स्वामी अग्निवेश: मैं आपके सामने यह तथ्य रखना चाहता हूं कि जो आदमी मारा गया हैं, वह निरपराध था और उसका झगड़े से सम्बन्ध नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी, आप बैठिये, आपके पास जो फैक्टस हैं, वे इनको लिखकर भेज दें।

स्वामी अग्निवेश: अभी एक मिनट में बैठ रहा हूं। सरकार को जो पुलिस ने रिपोर्ट दी हैं वही यहां पर पढ़ी जा रही है.....(व्यवधान एवं शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरा कहना यह है कि इस पर बहस नहीं हुआ करती .....(शोर)

स्वामी अग्निवेश: उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने तथ्य तो रखने चाहियें। ये तथ्य नहीं हैं जो इन्होंने बताये हैं। जो आदमी मारा गया, हमने उस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री महोदय को तारें भी भेजी थीं, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह जरूरी नहीं कि आपकी जो तारें वसूल हों, उनका जवाब दें। (शोर) क्या जवाब दें? ..... (व्यवधान एवं शोर)

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, हम अपने हल्के से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। अगर हमारे हल्के में

कोई घटना हो जाती है तो इम्मीजीयेटली हम गवर्नमैंट के नोटिस में और कैसे ला सकते हैं? .....(व्यवधान एवं शोर).....

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): जब गवर्नमैंट की तरफ से कोई ब्यान दिया जा रहा हो उस वक्त न कोई प्वायंट आफ आर्डर किया जा सकता है और न ही कोई डिस्कशन की जा सकती है इसलिये इसको मिनिस्टर साहब के ब्यान तक ही महदूद रखना चाहिये। .....(शोर)

चौ. रिजक राम: उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहब ने जो फरमाया, ठीक फरमाया है। अगर मिनिस्टर साहब इन केसिज की डिटेल्ज दिये बगैर ब्यान दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि ये केसिज सब–जुडिस हैं, और तो कोई बात नहीं है, उन पर असर पड़ेगा।

15.00 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह: एफ.आई.आर. में जो फैक्टस हैं, वही कुछ बता रहा हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे इस बारे में पहले ही पता है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था डिप्टी स्पीकर साहब, कि कुछ ऐसे वाक्यात होते ही रहते हैं। लेकिन जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में कोई भी ऐसे वाक्यात नहीं हुए हैं, जिनको वाकई ला–एण्ड–आर्डर की प्रौब्लम के नाम से नवाजा जा सके। सरकार के लिये और सरकार की पुलिस के लिये यह क्रेडिटेबल हैं कि हरियाणा के हर कोने में पूरी तरह अमन और

शान्ति है। प्रैस वाले इंडिविजुअल डिसप्यूटस को, ऐसे वाक्यात को जो इंडिविजुअल नेचर के हैं ऐसे हैडिंग जमाकर छापते हैं जिनसे कि लोगों की भावनाएं उभरती हैं, सूबे की फिजां खराब होती है, यह बड़ी दु:खद बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। इस बात का जिक्र मैंने भी किया है और चौ. रिजक राम ने भी किया है। हारमानी रखने के लिये प्रैस इतना ही जिम्मेदार है जितने हम और आप जिम्मेदार हैं। मैं प्रैस वाले भाइयों से बड़ी मुअदबाना अर्ज करूंगा कि वे इस किस्म की इंडिविजुअल डिसप्यूटस की खबरे उसी ढंग से छापें जिस नौइयत की वह खबर हो और इस किस्म का आभास लोगों को उस खबर से न मिले कि कम्युनल हारमनी और स्टेट के अमनो–अमान में कुछ खराबी है। मैं अपने दूसरे सदस्यों से भी अपील करूंगा चाहे वे इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं कि हरियाणा हम सबका है आप सब जिम्मेदार लोग हैं। आप अपने–अपने हल्को में और अपने असरो–रसूख से ऐसा वातावरण पैदा करें कि सरकार और प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति यह समझकर चले कि यह प्रदेश मेरा है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि सरकार की निगाह में, कानून की निगाह में हरियाणा में बसने वाले 36 बिरादरी के लोग एक जैसे हैं। किसी विशेश वर्ग का किसी विशेश जाति का या बिरादरी का हरियाणा नहीं है। हरियाणा 36 बिरादरी का प्रदेश है और हरियाणा में रहने वाला हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। यह मौजूदा सरकार की धारणा है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो लोग जाति–पाति के सवाल को या किसी वर्ग के सवाल

को भड़काना चाहेंगे और झगड़ा पैदा करना चाहेंगे, सरकार का पुख्ता इरादा है कि ऐसे लोगों से पूरी सख्ती से निपटा जाए। चाहे वह सिकी वर्ग से ताल्लुक रखते हों, चाहे सिकी जाति या बिरादरी से ताल्लुक रखते हों, यह मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूं। मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों एमरजेंसी के दौरान पुलिस की क्रैडिबिलिटी जाती रही थी उसका कारण यह था कि इस सरकार के बनने से पहले पुलिस के कर्मचारियों के काम की असैसमैंअ क्राइम की बिनाह पर की जाती थी। यह देखा जाता था कि पुलिस आफिसर के हल्के में कितने केस हुए इससे उसकी एफीशैंसी असैस की जाती थी। एमरजेन्सी के दौरान वीकर लोगों की शिकायत थाने में दर्ज नहीं की जाती थी, उस समय उसकी कोई बात सुनता नहीं था। उनका एक ही ध्येय था कि अमनो–अमान दिखाने के लिये एफ.आई.आरज. का नम्बर रिडयूस किया जाए। मैं यह मानता हूं कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एफ.आई.आरज. का नम्बर बढ़ा हैं, केसिज के नम्बर बढ़े हैं। इसका कारण यह नहीं कि क्राईम नम्बर बढ़ा है बल्कि नम्बर आफ रजिस्ट्रेशन की तादाद बढ़ी है ताकि कमजोर से कमजोर वर्ग का आदमी भी अपनी बात पुलिस में दर्ज करवा सके। मोजूदा सरकार ने यह भी तरीका अपनाया है कि पुलिस कर्मचारी के काम की असैसमैंट इस बात से करेंगे कि उसके प्रति लोगों की पहुंच कितनी आसान हे। हम उसके काम की असैसमैंट इस बात से करेंगे कि इस इनवैस्टीगेशन कितनी पाक और साफ करता है। हम इस तरह से उसके काम की असैसमैंट करेंगे कि पुलिस

स्टेशन पर जाने के लिये लोगों में भय तो नहीं आता! इन तीन–चार बातों से पुलिस कर्मचारी के काम की असैसमेंट की जाएगी ताकि पुलिस के प्रति कैडिबिलिटी कायम की जा सके। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में पुलिस की नफरी कम है। इनवैस्टीगेशन आफिसर्ज की कमी है, पुलिस कांस्टेबल्ज की कमी है ओर यह मामला सरकार के विचाराधान है बल्कि काफी आगे तक चला गया है कि इनवैस्टीगेशन आफिसर्ज को बढ़ाकर पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए शहरों की आबादी बढ़ रही है। गांव भी बड़े होते जा रहे हैं और पुलिस की नफरी जितनी आबादी बढ़ी है उसके मुकाबले कम बढ़ी है .....

चौ. गया लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो स्टेटमैंट दे रहे हैं उसमें कोई वजनदार बात नहीं है। गरीब लोगों में आजकल बड़ी बेचैनी बढ़ रही है .....

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो–तीन दिन पहले एक खबर मौसूल हुई कि करनाल के एस.पी. ने 17 लाख की मालियत का सोना बरामद किया और कुछ सदस्यों ने मांग की कि ऐसे एस.पी. को या जो आफिसर कंसर्न्ड हों, शायद दूसरे स्टाफ के मैम्बर जैसे इंस्पैक्टर सब इन्स्पैक्टर या कांस्टेबल हों या कोई दूसरे पुलिस कर्मचारी हो, उनको पूरी तरह से एवार्ड दिया जाए। मैंने उस वक्त कहा था कि मुख्यमंत्री जी से सलाह करके मैं फिर बताऊंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, कस्टम एक्अ के तहत जो इस प्रकार का सोना पकड़ा जाता है उसके लिये एक रूल है कि

पकड़ने वाले को मालियत का दस परसेन्ट एवार्ड दिया जाए। इसलिये मैं इस वक्त कोई एवार्ड अनाउन्स नहीं कर सकात क्योंकि शायद कोई टेक्नीकल गड़बड़ न आ जाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन पुलिस कर्मचारियों की सर्विसिज की डयू रिकगनिशन सरकार करेगी।

एक भयानक वाक्या भिवानी का है। वहां पर बैंक आफ इंडिया को लूटा गया। दिन दिहाड़े यह डाका पड़ा था और हरियाणा की पुलिस ने तीन घंटे के अन्दर चार मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और एक–एक पैसे की रिकवरी की गई। एक बड़ी अजीबो गरीब बात यह है कि कल तक यह खबर थी कि उन चार गिरफतार व्यक्त्यिों में से एक पाकिस्तानी शहरी था लेकिन अब पता चला है कि जिन दो ने अपने आपको पंजाब का बताया था और शायद अपने आप को सरदार के रूप में रख रहे थे, वे दो भी पाकिस्तानी शहरी हैं। इस प्रकार चार गिरफ्तार व्यक्तियों में से तीन पाकिस्तानी हैं और एक हिसार का ड्राईवर है। यह सोना पाकिस्तान से स्मगल होकर आया था। एक बात और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पलवल का जो इंसीडेंस हुआ जिसमें सड़क पर लौरी और ट्रकों को लूटा गया और इसमें असरफ और अकबर को गिरफ्तार किया गया था। इसमें बीस गिरोह के लोग हैं ओर वे राजस्थान, यू.पी. और दिल्ली की तरफ से ओपरेट करते हैं। हमने इन वाक्यात को रोकने के लिये कदम उठाए हैं। चैक पोस्टस बड़ी मजबूत कर दी गई हैं, हर एक पोस्ट पर वायरलैस

सिस्टम सैट कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में तो ऐसे लोग नहीं है लेकिन बाहर के जो लोग आपरेट करते हैं उनको हरियाणा से बचकर नहीं निकलने दिया जाएगा।

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned Sine-die.

15.14 बजे

(The Sabha* then adjourned Sine-die)